

# लोक सभा

## समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 25 नवम्बर, 2024/ 04 अग्रहायण, 1946 (शक)

संख्या 23

पूर्वाह्न 11.00 बजे

### 1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

### 2. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री चव्हाण वसंतराव बलवंतराव, लोक सभा के वर्तमान सदस्य; श्री एसके नुरुल इस्लाम, वर्तमान सदस्य और पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्य; श्री एम.एम.लॉरेंस, सातवीं लोक सभा के सदस्य; श्रीमती एम. पार्वती, ग्यारहवीं लोक सभा की सदस्य; और श्री हरीशचन्द्र देवराम चव्हाण, चौदहवीं, पन्द्रहवीं और सोलहवीं लोक सभा के सदस्य के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

तत्पश्चात, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

### 3. प्रश्न

चूंकि सभा निधन संबंधी उल्लेख किए जाने के बाद स्थगित हो गई थी, अतः तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः आज की कार्यसूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 20 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 230 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

(लोक सभा पूर्वाह्न 11.05 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 12.01 बजे

*(व्यवधान के कारण लोक सभा बुधवार, 27 नवम्बर, 2024 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

उत्पल कुमार सिंह  
महासचिव

# लोक सभा

-----

## समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

-----

बुधवार, 27 नवम्बर, 2024/ 06 अग्रहायण, 1946 (शक)

-----

संख्या 24

पूर्वाह्न 11.00 बजे

### 1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 21 का मौखिक उत्तर दिया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.05 बजे स्थगित हुई  
और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 22 से 40 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

### 2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 231 से 460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

### 3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संस्कृति मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ड. की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-विधि 2024 - दतिया, मध्य प्रदेश में बीर सिंह पैलेस।
- (दो) केंद्रीय संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-विधि 2024 - 'शाह मकदूम दौलाह मनेरी और इब्राहिम खान का मकबरा' और 'मनेर में टैंक', मनेर, पटना, बिहार।
- (तीन) केंद्रीय संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-विधि 2024 - 'करन चेपर गुफा', 'सुदामा गुफा' और 'लोमास ऋषि गुफा', बाराबर और नागार्जुन हिल, जहानाबाद, बिहार।
- (चार) संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-विधि 2024 - 'ग्राम बेनीसागर में टैंक और अवशेष', जिला - पश्चिम सिंहभूम, झारखंड।
- (पांच) संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-विधि 2024 - महासू के लिए पवित्र प्रसिद्ध मंदिर (हनोल), देहरादून, उत्तराखंड।
- (छह) केंद्रीय संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-विधि 2024 - वापीयाका केव और वडा थीका केव, बाराबर और नागार्जुन हिल, जहानाबाद, बिहार।
- (सात) केंद्रीय संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-विधि 2024 - मंदिरों का जागेश्वर समूह नामतः जागेश्वर, मृतंजय, नंदा देवी, सूर्य को समर्पित तीर्थ, नवग्रह तीर्थ, पिरामिडल तीर्थ, कुबेर और चंडिका मंदिर, अल्मोड़ा, उत्तराखंड।



- (आठ) संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-विधि 2024 - 'लॉरिया अरेराज में लॉर स्तंभ के रूप में अशोक स्तंभ', गोविंदगंज, जिला - पूर्वी चंपारण , बिहार।
- (नौ) संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-विधि 2024 - 'हदफ में जामा मस्जिद' और बारादरी भवनों के अवशेष तथा प्रोबेबल अंडर ग्राउंड सेल और ऊंचे टीले पर स्थित मार्ग, ग्राम-अराजी मुकिमपुर, राजमहल उपखंड, साहेबगंज, झारखंड।
- (दस) संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-विधि 2024 - 'रंगमति मस्जिद और उससे संबद्ध एबूलेशन टैंक' रंगमति हिल, जिला-धुबरी, असम।
- (ग्यारह) केन्द्रीय संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-विधि 2024 - नादिर शाह का मकबरा और आदिल शाह फारुखी का गुम्बद, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश।
- (बारह) केन्द्रीय संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-विधि 2024 - गोपी केव, बाराबर हिल और नागार्जन हिल, जहानाबाद, बिहार।
- (तेरह) संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-विधि 2024 - 'स्तूप के उत्खनित अवशेष और साथ में ग्राम हरपुर बसंत के सर्वे प्लॉट सं. 261, 262, 263, 264, 265, 268, 269, 270 तथा ग्राम चक्रमदास के 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048 और 1049 में शामिल समूची साथ लगी भूमि', हरपुर बसंत और चक्रमदास, जिला - वैशाली, बिहार।
- (चौदह) केन्द्रीय संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-विधि 2024 - 'अशोक के महल का अनुमानित स्थल', कुम्हारार, पटना, बिहार।
- (पंद्रह) संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-विधि 2024 - 'बौद्ध स्तूप', ताजपुर देऊर (केसरिया), जिला-पूर्वी चंपारण, बिहार।
- (सोलह) केन्द्रीय संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-विधि 2024 - 93वीं उच्चभूमि के स्मारक और सिकंदरबाद भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
- (सत्रह) केन्द्रीय संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-विधि 2024 - "सम्राट औरंगजेब का पैवेलियन और भाग बादशाही के नाम से प्रचलित संपूर्ण परिसर, तहसील - खजुआ, जिला - फतेहपुर, उत्तर प्रदेश।"
- (अठारह) संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-विधि 2024 - केसर पसंद के समीप कब्रिस्तान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
- (उन्नीस) संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-विधि 2024 - सादत अली खान का मकबरा, सादत अली खान की बीवी माशिर जैदी का मकबरा और सापर का

मकबरा, केसरबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

- (बीस) केंद्रीय संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-विधि 2024 - मोहल्ला मेंहदीगंज में स्थित दिनात-उद-दौला की करबला, लखनऊ।
- (इक्कीस) संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-विधि 2024 - अल्फ्रेड पार्क में महारानी विक्टोरिया का मैमोरियल, इलाहाबाद (प्रयागराज), उत्तर प्रदेश।
- (बाईस) केंद्रीय संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-विधि 2024 - "आलमबाग में कब्रिस्तान", लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
- (तेईस) संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-विधि 2024 - शहर कब्रिस्तान, कारवी, गाँव और तहसील-कारवी, जिला चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।
- (चौबीस) केंद्रीय संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-विधि 2024 - ब्रिटिश कब्रिस्तान, चिड़िया झील, लखनऊ।
- (पच्चीस) संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-विधि 2024 - "पिहानी में नवाब सदर जहां का मकबरा, हरदोई जिला, उत्तर प्रदेश।"
- (छब्बीस) संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-विधि 2024 - भितरगाँव मंदिर के समरूप योजना पर निर्मित एक प्राचीन ईंट मंदिर, कांचिलीपुर (कारचुलीपुर), जिला-कानपुर, उत्तर प्रदेश।
- (सत्ताईस) संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-विधि 2024 - "रायबरेली और प्रतापगढ़ रोड़ के दूसरे मील पर साईं पुल, जिला-रायबरेली, उत्तर प्रदेश।"
- (अट्ठाईस) संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-विधि 2024 - "मील 6, (लखनऊ, कानपुर रोड़) बागावन में कब्रिस्तान हेतु विरासत उप-विधि, जिला- रायबरेली, उत्तर प्रदेश।"
- (उनतीस) केंद्रीय संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-विधि 2024 - "गोमती नदी के दायें किनारे पर शाह नजफ में गाजी-उद्-दीन हैदर (अवध के पहले राजा) का मकबरा, तहसील और जिला-लखनऊ, यू.पी.।"
- (तीस) केंद्रीय संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-विधि 2024 - कचहरी कब्रिस्तान, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
- (इकतीस) संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-विधि 2024 - "मेरियोन में

कब्रिस्तान, तहसील और जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

- (बत्तीस) संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-विधि 2024 - जामी मस्जिद, पूर्वी बांदा शहर, अस्पताल के पास, बांदा, उत्तर प्रदेश।
- (तैंतीस) संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-विधि 2024 - केसरबाग दरवाजा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
- (चौंतीस) संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-विधि 2024 - "इरिच गांव में स्थित जामा मस्जिद, परगना गरोठा, जिला-झाँसी, उत्तर प्रदेश।"
- (पैंतीस) संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-विधि 2024 - डालीगंज में नासिर-उद-दीन हैदर का करबला, तहसील लखनऊ सदर, जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
- (छत्तीस) संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-विधि 2024 - शाहजहां के एक विशिष्ट अधिकारी नवाब दिलेर खान का मकबरा, तहसील शाहबाद, जिला-हरदोई, उत्तर प्रदेश।
- (सैंतीस) संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-विधि 2024 - जनाब एलिया का मकबरा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 23 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 444(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 23 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 445(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय पुलिस सेवा (काडर संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2024 जो दिनांक 25 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 449(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 24 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 448(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (पांच) भारतीय पुलिस सेवा (काडर संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2024 जो दिनांक 31 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 463(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 31 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 464(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि. 540(अ) जो 06 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें दिनांक 14 फरवरी, 2023 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 99(अ) का एक शुद्धिपत्र दिया हुआ है।
- (दो) सा.का.नि. 541(अ) जो 06 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें दिनांक 14 फरवरी, 2023 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 98(अ) का एक शुद्धिपत्र दिया हुआ है।
- (3) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 687(अ) जो 05 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित अरूणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम संघ-राज्यक्षेत्र, संयुक्त काडर भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के लिए संयुक्त काडर प्राधिकरण गठित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, नैनीताल के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, नैनीताल के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) बीरबल साहनी पुरावनस्पतिविज्ञान, लखनऊ के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बीरबल साहनी पुरावनस्पतिविज्ञान, लखनऊ के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (7) (एक) भारतीय खगोलभौतिकी संस्थान, बंगलोर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय खगोलभौतिकी संस्थान, बंगलोर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) भारतीय भूचुम्बकत्व संस्थान, नवी मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय भूचुम्बकत्व संस्थान, नवी मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) विज्ञान और प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) विज्ञान और प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालुर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालुर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) जवाहर लाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, बेंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जवाहर लाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, बेंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण

की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (13) (एक) रमन अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रमन अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) सत्येन्द्रनाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइन्सेज, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सत्येन्द्रनाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइन्सेज, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन-इंडिया, अहमदाबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन-इंडिया, अहमदाबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, शिलोंग के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, शिलोंग के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (19) (एक) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, भारत, प्रयागराज के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, भारत, प्रयागराज के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत चौधरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद (स्टार्स), मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद (स्टार्स), मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) समग्र शिक्षा (स्टार्स स्कीम), हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) समग्र शिक्षा (स्टार्स स्कीम), हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) समग्र शिक्षा, गुजरात काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन, गांधीनगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) समग्र शिक्षा, गुजरात काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन, गांधीनगर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) समग्र शिक्षा, तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) समग्र शिक्षा, तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) समग्र शिक्षा, आंध्र प्रदेश, विजयवाडा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) समग्र शिक्षा, आंध्र प्रदेश, विजयवाडा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) समग्र शिक्षा, यू.पी. एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड, लखनऊ के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) समग्र शिक्षा, यू.पी. एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड, लखनऊ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) समग्र शिक्षा, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) समग्र शिक्षा, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।



- (17) (एक) स्कूल एजुकेशन सोसाइटी, हिमाचल प्रदेश, समग्र शिक्षा, शिमला के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) स्कूल एजुकेशन सोसाइटी, हिमाचल प्रदेश, समग्र शिक्षा, शिमला के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) इंडियन रिन्यूबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (2) इंडियन रिन्यूबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 28 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. यूबीआई:एचआर:16061(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) इंडियन ओवरसीज बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 10 सितंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. एचआरएमडी/पीईएन/001/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 12 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. पीईएन/01/2024 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 25 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एचओ: एचआर:टीबीडी:2024-25:01(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (2) 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के 54वें मूल्यांकन रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 50 की उप धारा (4) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो 4 नवंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचआर/पीएंडपीएमडी/एसपीएल/एसपी/2024-25/7 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा के निबंधन और अन्य शर्तें तथा उनको देय वेतन और भत्ते) संशोधन नियम, 2024 जो 21 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.650(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कीर्तिवर्धन सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-  
(एक) बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024 जो 14 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.190(अ) में प्रकाशित हुए थे।  
(दो) बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन (दूसरा संशोधन) नियम, 2024 जो 20 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.2374(अ) में प्रकाशित हुए थे।  
(तीन) हरित साख नियम, 2023 जो 12 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.4458(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ.05(अ) जो 1 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 31 दिसंबर, 2021 की अधिसूचना संख्या का.आ.5481(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) हरित साख नियम 2023 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ.884(अ)

जो 22 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त नियमों के अधीन किए गए किसी क्रियाकलाप के संबंध में हरित साख की गणना करने हेतु प्रविधि को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) (एक) राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 से 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 से 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 62 की उप-धारा (3) के अंतर्गत जैव विविधता नियम, 2024 जो 25 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.665(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 की धारा 4 की उप-धारा (2) के अंतर्गत वन (संरक्षण एवं संवर्धन) संशोधन नियम, 2024 जो 20 सितंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.582(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) खेल विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुकान्त मजूमदार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2022-2023 के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज के वर्ष 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 79 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) नियम, 2024, जो दिनांक 5 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.475(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उप-धारा (4) के अंतर्गत कंपनी (शास्तियों का न्यायनिर्णयन) संशोधन नियम, 2024, जो दिनांक 5 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या

सा.का.नि.476(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) अधिसूचना संख्या का.आ. 3959 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 18 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अंतर्गत जारी दिनांक 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 371(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (2) (एक) केंद्रीय भंडारण निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) केंद्रीय भंडारण निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जॉर्ज कुरियन) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय हज समिति, मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।  
(दो) भारतीय हज समिति, मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।  
(तीन) भारतीय हज समिति, मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

#### 4. विधेयकों पर अनुमति

महासचिव ने अठारहवीं लोक सभा के दूसरे सत्र के दौरान संसद की सभाओं द्वारा पारित तथा 27 जून, 2024 को सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद से राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 3 विधेयक सभा पटल पर रखे:-

1. जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्याक 3) विधेयक, 2024;
2. विनियोग (संख्याक 2) विधेयक, 2024; और
3. वित्त (संख्याक 2) विधेयक, 2024.

**5. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2024-25) के साथ राज्य सभा के एक सदस्य के सहयोजन हेतु प्रस्ताव**

श्री अनन्त नायक ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा, श्री कृष्ण लाल पंवार, जिन्होंने 14 अक्टूबर, 2024 से राज्य सभा से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के कार्यकाल के समाप्त न हुए भाग के लिए, समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

**6. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2024-2025) के लिए राज्य सभा के एक सदस्य के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव**

श्री गणेश सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा, श्री बीडा मस्थान राव यादव, जिन्होंने 29.08.2024 से राज्य सभा से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के कार्यकाल के समाप्त न हुए भाग के लिए, समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा के सदस्यों में से एक सदस्य निर्वाचित करे और समिति के लिए इस प्रकार निर्वाचित सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

**7. श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव**

डॉ जितेंद्र सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम अधिनियम, 1980 की धारा 6 की उप-धारा (1) और (2) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अधीन श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम के संस्थान निकाय के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

**अपराहन 12.08 बजे**

**8. नियम 377 के अधीन मामले।**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी द्वारा कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कारवार एसएसए में टेलीफोन एक्सचेंज के संचालन में आने वाली समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री अनुराग शर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के कार्यान्वयन के बारे में।
- (3) श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा झारखंड के पूर्वी सिंहभूम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पटमदा पंप नहर परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री प्रदीप पुरोहित द्वारा संबलपुरी/कोसली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) डॉ. निशिकान्त दुबे द्वारा झारखंड के गोड्डा में सैनिक स्कूल की स्थापना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री योगेन्द्र चांदोलिया द्वारा दिल्ली में विद्युत वितरण कंपनियों की खराब वित्तीय स्थिति के बारे में।
- (7) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को जोड़ने वाली रेल सेवाओं के विस्तार के बारे में।
- (8) श्री पी.पी.चौधरी द्वारा साइबर वित्तीय धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए कड़े बैंकिंग प्रोटोकॉल और केवाईसी मानदंड लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री बिभु प्रसाद तराई द्वारा ओडिशा में एनएच 53 के चंडीखोले-पारादीप खंड के प्रस्तावित विस्तार के लिए वैकल्पिक मार्ग के बारे में।
- (10) श्री गौरव गोगोई द्वारा असम के छह जातीय समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2019 को अधिनियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री प्रद्युत बोरदोलोई द्वारा स्प्रिंग्स की राष्ट्रीय रजिस्ट्री के साथ-साथ राष्ट्रीय स्प्रिंगशेड प्रबंधन मिशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा केरल के एडुकोण स्थित मौजूदा आयुर्वेद अस्पताल को पूर्ण आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) डॉ. शशि थरूर द्वारा अनंतपुरी एफएम के आकाशवाणी एम के साथ विलय से उत्पन्न स्थिति के बारे में।
- (14) श्री राजीव राय द्वारा उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में रेल संपर्क में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री देवेश शाक्य द्वारा उत्तर प्रदेश के एटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं में सुधार

किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (16) श्री थरानिवेथन एम.एस. द्वारा तमिलनाडु में तिंडीवनम और नागरी के बीच रेलवे लाइन परियोजना के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू द्वारा आंध्र प्रदेश में गहन कृषि अनुसंधान में निवेश की आवश्यकता के बारे में।
- (18) श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे द्वारा देश में निजी वित्त कंपनियों के अनैतिक व्यवहार पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (19) श्रीमती शांभवी द्वारा समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे यांत्रिक कार्यशाला के पुनर्विकास, इलेक्ट्रिक लोको शेड की स्थापना तथा एलएचबी अनुरक्षण हेतु एक नई कार्यशाला स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (20) डॉ. राजकुमार सांगवान द्वारा उत्तर प्रदेश के बागपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एम्स स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (21) श्री अमरा राम द्वारा खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के बारे में।
- (22) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा रक्त-आधान सेवाओं का विनियमन और निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रक्त-आधान कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (23) श्री वामसि कृष्णा गद्दाम द्वारा तेलंगाना के पेद्दापल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मंथनी क्षेत्र में पेद्दापल्ली-मनुगुरु रेलवे लाइन को तेजी से पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (24) श्री राहुल कस्वां द्वारा राजस्थान में किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीएपी उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (25) श्री जयन्त बसुमतारी द्वारा असम के कोकराझार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के बारे में।
- (26) श्री गोपाल जी ठाकुर द्वारा मैथिली भाषा को श्रेष्ठ भाषा का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

**अपराह्न 12.09 बजे**

*(व्यवधान के कारण लोक सभा गुरुवार, 28 नवम्बर, 2024 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**उत्पल कुमार सिंह  
महासचिव**



# लोक सभा

-----

## समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

-----

गुरुवार, 28 नवम्बर, 2024/ 07 अग्रहायण, 1946 (शक)

-----

संख्या 25

पूर्वाह्न 11.00 बजे

### 1. शपथ अथवा प्रतिज्ञान

निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ ली अथवा प्रतिज्ञान किया, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया:-

| क्र.सं. | सदस्य का नाम                  | निर्वाचन क्षेत्र | राज्य      | शपथ/प्रतिज्ञान | भाषा   |
|---------|-------------------------------|------------------|------------|----------------|--------|
| 1       | 2                             | 3                | 4          | 5              | 6      |
| 1.      | श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा | वायनाड           | केरल       | प्रतिज्ञान     | हिन्दी |
| 2.      | श्री रविन्द्र वसंतराव चव्हाण  | नांदेड़          | महाराष्ट्र | शपथ            | मराठी  |

पूर्वाह्न 11.03 बजे

### 2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 41 का मौखिक उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 42 लिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 42 का उत्तर सभा पटल पर रखा गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.07 बजे स्थगित हुई  
और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 43 से 60 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

### 3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 461 से 690 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

**मध्याह्न 12.00 बजे**

### 4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश गोपी) ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (गैस विनियम) संशोधन विनियम, 2024 जो दिनांक 8 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. पीएनजीआरबी/फिन/9-गैस एक्स (2)/2021 खंड-4 (पार्ट फाइल-2) (ई-4950) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तोखन साहू) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कैलेंडर वर्ष 2023 में प्रत्येक टाइप के सामान्य पूल रिहायशी आवास में होने वाली 5% रिक्तियों के लिए दिनांक 17.11.1997 के दिशा-निर्देशों के निबंधनों के अनुसार किए गए सामान्य पूल रिहायशी आवास के विवेकाधीन आउट-ऑफ-टर्न आवंटन के वार्षिक विवरण की एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
  - (एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
  - (दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

### 5. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री किरन रिजीजू ने कार्य मंत्रणा समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

## 6. मंत्री द्वारा वक्तव्य

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. सोमन्ना) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखे:-

(एक) पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) के संबंध में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) के संबंध में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

## 7. वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव - समय का बढ़ाया जाना

श्री जगदम्बिका पाल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय को बजट सत्र, 2025 के अंतिम दिवस तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

**अपराह्न 12.04 बजे**

## 8. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

1. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी द्वारा दिल्ली में प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के बारे में।
2. श्री हंसमुखभाई सोमाभाई पटेल द्वारा गुजरात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (रेलगाड़ी संख्या 12918) को दैनिक आधार पर चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

3. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि और उनकी संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास के निर्माण की आवश्यकता के बारे में।
5. श्री रोडमल नागर द्वारा मध्य प्रदेश के राजगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में फसल प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्रीमती अनीता शुभदर्शिनी द्वारा ओडिशा के अस्का में अस्का सहकारी चीनी उद्योग लिमिटेड (एसीएसआईएल) के पुनरुद्धार और उन्नयन की आवश्यकता के बारे में।
7. श्री मितेश पटेल बकाभाई द्वारा पुरुष और महिला कर्मचारियों को समान रूप से बाल देखभाल अवकाश प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
8. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव द्वारा तेलंगाना के महबूबनगर जिले के बोमरसपेटा मंडल के लागचेरला गांव में किसानों की भूमि के कथित अवैध अधिग्रहण के बारे में।
9. श्रीमती मंजू शर्मा द्वारा राज्यों में शहरी सड़कों के रखरखाव और मरम्मत के बारे में।
10. सुश्री प्रणीति सुशीलकुमार शिंदे द्वारा महाराष्ट्र में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के बारे में।
11. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला द्वारा राजस्थान में यूरिया और डीएपी की कमी की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
12. एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा केरल के इडुक्की जिले के थोडुपुझा में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए शीघ्र मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
13. एडवोकेट अदूर प्रकाश द्वारा केरल के तिरुवनंतपुरम दक्षिण में नेमोम रेलवे टर्मिनल परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
14. श्री टी. एम. सेल्वागणपति द्वारा तमिलनाडु के सेलम इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के बारे में।
15. श्री ईश्वरस्वामी के. द्वारा तमिलनाडु के पोलाची रेलवे स्टेशन पर बेहतर रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत थावे जंक्शन रेलवे स्टेशन को शामिल एवं विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
17. कामरेड सेल्वाराज वी. द्वारा भारतीय मछुआरों के लिए श्रीलंकाई नौसेना द्वारा उत्पन्न समस्याओं के स्थायी समाधान की आवश्यकता के बारे में।
18. श्री केसिनेनी शिवनाथ द्वारा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अतिरिक्त 10 बिस्तरों वाले मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य/देखभाल केन्द्र उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
19. श्री अशोक कुमार रावत द्वारा जाति के आधार पर नई थल सेना रेजिमेंट स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
20. श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा राजस्थान के नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नये केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना के बारे में।

**अपराह्न 12.07 बजे**

*(व्यवधान के कारण लोक सभा शुक्रवार, 29 नवम्बर, 2024 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**उत्पल कुमार सिंह**  
महासचिव

# लोक सभा

## समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 29 नवम्बर, 2024/ 08 अग्रहायण, 1946 (शक)

संख्या 26

पूर्वाह्न 11.00 बजे

### 1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 61 लिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 61 का उत्तर सभा पटल पर रखा गया। तारांकित प्रश्न संख्या 62 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.10 बजे स्थगित हुई)

और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 63 से 80 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

### 2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 691 से 920 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

### 3. \*अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने सभा के सुचारु संचालन के बारे में टिप्पणी की।

मध्याह्न 12.00 बजे

### 4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बीबीनगर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

---

\* पूर्वाह्न 11.08 बजे। मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

- (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बीबीनगर के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल) ने राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 70 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ 4238(अ) जो 26 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में, उसमें उल्लिखित, कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्तनु ठाकुर) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) मुम्बई पत्तन न्यास पेंशन निधि न्यास, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मुम्बई पत्तन न्यास पेंशन निधि न्यास, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) मुर्मुगावो पत्तन प्राधिकरण, गोवा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मुर्मुगावो पत्तन प्राधिकरण, गोवा के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) मुर्मुगावो पत्तन प्राधिकरण, गोवा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (चार) मुर्मुगावो पत्तन प्राधिकरण, गोवा के वर्ष 2023-2024 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) कोचिन पत्तन प्राधिकरण, कोच्चि के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) कोचिन पत्तन प्राधिकरण, कोच्चि के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (तीन) कोचिन पत्तन प्राधिकरण, कोच्चि के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (चार) कोचिन पत्तन प्राधिकरण, कोच्चि के वर्ष 2023-2024 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2024-2025 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (दो) गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2024-2025 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (तीन) भारत डायनामिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2024-2025 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (चार) मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2024-2025 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (पाँच) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2024-2025 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (छह) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2024-2025 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (सात) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2024-2025 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (2) (एक) नेशनल मेरीटाइम फाउंडेशन, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल मेरीटाइम फाउंडेशन, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) पर उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।



- (दो) एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) पर उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) यन्त्र इंडिया लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) यन्त्र इंडिया लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) आरमर्ड व्हिकल्स निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) आरमर्ड व्हिकल्स निगम लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) हूप कम्फर्टस लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हूप कम्फर्टस लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) इंडिया आप्टेल लिमिटेड, देहरादून के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडिया आप्टेल लिमिटेड, देहरादून का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, पुणे का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) बीईएल आप्ट्रोनिक डिवाइसेज लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बीईएल आप्ट्रोनिक डिवाइसेज लिमिटेड, पुणे का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन,

लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ज) (एक) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (झ) (एक) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (8) (एक) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स, पहलगाम, जम्मू-कश्मीर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स, पहलगाम, जम्मू-कश्मीर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

## 5. मंत्री द्वारा वक्तव्य

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित चिकित्सा उपकरण: विनियमन और नियंत्रण से संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 138वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

## 6. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने 2 दिसम्बर, 2024 से आरंभ हो रहे सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.03 बजे

**7. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर, जोधपुर और विजयपुर के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव**

श्री जगत प्रकाश नड्डा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि एम्स (संशोधन) अधिनियम, 2012 की धारा 6 के साथ पठित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) अधिनियम, 1956 की धारा 4 (छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन तीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर, जोधपुर और विजयपुर के लिए अपने में से, प्रत्येक के लिए, दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

**8. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु-विज्ञान संस्थान (निमहन्स), बेंगलूर के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव**

श्री जगत प्रकाश नड्डा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु-विज्ञान संस्थान (निमहन्स), बेंगलूर अधिनियम, 2012 की धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (ठ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु-विज्ञान संस्थान (निमहन्स), बेंगलूर के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

**9. राष्ट्रीय सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के लिए दो महिला सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव**

श्री जगत प्रकाश नड्डा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 17 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो महिला सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

**10. आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए), जामनगर के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव**

श्री प्रतापराव जाधव ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए) अधिनियम, 2020 की धारा 6 की उप-धारा (1) के खण्ड (ट) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए), जामनगर के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

**11. प्रस्ताव**

श्री किरन रिजिजू ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा 28 नवम्बर, 2024 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

**अपराह्न 12.08 बजे**

**12. नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

1. श्री दामोदर अग्रवाल द्वारा भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को जोड़ने वाली रेल सेवाएं बढ़ाए जाने के बारे में।
2. श्रीमती भारती पारधी द्वारा गोंदिया - बालाघाट - नैनपुर - जबलपुर रेल खंड के दोहरीकरण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. डॉ. के सुधाकर द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को अम्ब्रेला योजनाओं के रूप में बदलने की आवश्यकता तथा इस योजना को अन्य कृषि कार्यकलापों तक विस्तारित करने के बारे में।
4. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर द्वारा दादरा एवं नगर हवेली में सड़कों के निर्माण के लिए लोगों की पैतृक भूमि के अधिग्रहण के बारे में।

5. श्री दुष्यंत सिंह द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत राजस्थान के कुछ गांवों को शामिल तथा इस परियोजना से प्रभावित निवासियों को मुआवजा प्रदान किए जाने के बारे में।
6. श्री जगदम्बिका पाल द्वारा डुमरियागंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डीएपी की कमी के बारे में।
7. श्री दिलीप शङ्कीया द्वारा दिल्ली में वायु प्रदूषण के बारे में।
8. डॉ. हेमंत विष्णु सवरा द्वारा महाराष्ट्र के पालघर जिले में मृदा अपरदन को रोकने के लिए तटीय क्षेत्र के साथ दीवार बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
9. श्रीमती डी.के. अरुणा द्वारा तेलंगाना की वाल्मीकि या बोया समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
10. श्री मनीष जायसवाल द्वारा झारखंड के हजारीबाग में हवाई अड्डे के निर्माण की आवश्यकता के बारे में।
11. डॉ. मोहम्मद जावेद द्वारा किशनगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रमजान नदी के बाढ़ क्षेत्र पर अवैध अतिक्रमण के बारे में।
12. प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ द्वारा मुंबई में सायन ब्रिज के पुनर्निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
13. श्री राजमोहन उन्नीथन द्वारा केरल के वायनाड के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
14. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश द्वारा धुले हवाई अड्डे को पूर्ण हवाई अड्डे के रूप में विकसित किए जाने तथा वहां से वाणिज्यिक और कार्गो उड़ान सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
15. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर द्वारा बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
16. श्री दिनेश चंद्र यादव द्वारा सहरसा आरएमएस को आईसीएच में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
17. श्री भास्कर मुरलीधर भगरे द्वारा महाराष्ट्र के डिंडोरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बढ़ते मानव-तैदुआ संघर्ष के बारे में।

18. श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर द्वारा महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर-पश्चिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जोगेश्वरी गुफाओं और अंधेरी गुफाओं के संरक्षण के बारे में।
19. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल द्वारा अस्थायी आधार पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
20. डॉ. रानी श्रीकुमार द्वारा तमिलनाडु-केरल सीमा पर स्थित शेनबागवल्ली नदी पर बांध के पुनरुद्धार के बारे में।
21. श्री इटैला राजेंद्र द्वारा तेलंगाना में सिकंदराबाद और मेडचल के बीच प्रस्तावित मेट्रो रेल कॉरिडोर के विस्तार के बारे में।

#### **अपराहन 12.10 बजे**

*(व्यवधान के कारण लोक सभा सोमवार, 2 दिसम्बर, 2024 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**उत्पल कुमार सिंह  
महासचिव**

# लोक सभा

-----

## समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

-----

सोमवार, 2 दिसम्बर, 2024/ 11 अग्रहायण, 1946 (शक)

-----

संख्या 27

पूर्वाह्न 11.00 बजे

### 1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 81 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.05 बजे स्थगित हुई  
और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 82 से 100 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

### 2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 921 से 1150 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

### 3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संस्कृति मंत्री; तथा पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, प्रयागराज के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, प्रयागराज के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।  
(एक) दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नागपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नागपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) समग्र शिक्षा ओडिशा, (ओडिशा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण), भुवनेश्वर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) समग्र शिक्षा ओडिशा, (ओडिशा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण), भुवनेश्वर के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) आईएफसीआई लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।



- (दो) आईएफसीआई लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) माल एवं सेवा कर नेटवर्क, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छ) (एक) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ज) (एक) ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (झ) (एक) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 30.06.2024 को समाप्त तिमाही के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता की 01.04.2024 से 30.06.2024 तक समाप्त तिमाही के लिए परिसमापक की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ञ) (एक) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 30.09.2024 को समाप्त तिमाही के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता की 01.07.2024 से 30.09.2024 तक समाप्त तिमाही के लिए परिसमापक की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) (एक) अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) नेशनल हाउसिंग बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल हाउसिंग बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) (एक) पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
 (दो) पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
 (दो) राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ 4253(अ) जो 27 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 के उपबंधों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (दो) का.आ 4268(अ) जो 30 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मुनाफाखोरीरोधी मामलों की सुनवाई करने के लिए जीएसटी अपीलीय अधिकरण की प्रमुख पीठ को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (तीन) का.आ 4269(अ) जो 30 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सीजीएसटी अधिनियम की धारा 171 के अंतर्गत समापन तारीख का उपबंध किए जाने को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (चार) केन्द्रीय माल और सेवा (दूसरा संशोधन) नियम 2024 जो 8 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 626(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (पांच) का.आ 4372(अ) जो 8 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सीजीएसटी अधिनियम की धारा 128क की उप-धारा (1) के अंतर्गत तारीख को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (छह) का.आ 4373(अ) जो 8 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय सीजीएसटी अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (सात) का.आ 4374(अ) जो 8 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय शून्य फॉर्म जीएसटीआर-7 को देर से दाखिल करने पर विलंब शुल्क से छूट प्रदान करने को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (आठ) सा.का.नि. 628(अ) जो 9 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 19.06.2017 की अधिसूचना संख्या 5/2017-केन्द्रीय कर को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (नौ) सा.का.नि. 629(अ) जो 9 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 13.09.2018 की अधिसूचना संख्या 50/2018-केन्द्रीय कर को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

- (दस) सा.का.नि. 713(अ) जो 18 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय महाराष्ट्र और झारखंड राज्यों में पंजीकृत व्यक्तियों के लिए माह अक्टूबर, 2024 के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी दायर करने की निर्धारित तारीख को आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (ग्यारह) सा.का.नि. 611(अ) जो 8 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 01/2017-केंद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन करने हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (बारह) सा.का.नि. 614(अ) जो 8 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 04/2017-केंद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन करने हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (तेरह) सा.का.नि. 617(अ) जो 8 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 11/2017-केंद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन करने हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (चौदह) सा.का.नि. 620(अ) जो 8 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 12/2017-केंद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन करने हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (पंद्रह) सा.का.नि. 623(अ) जो 8 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 13/2017-केंद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन करने हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (7) संघ-राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि. 611(अ) जो 8 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 01/2017- संघ-राज्यक्षेत्र कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (दो) सा.का.नि. 615(अ) जो 8 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 04/2017- संघ-राज्यक्षेत्र कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (तीन) सा.का.नि. 618(अ) जो 8 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 11/2017- संघ-राज्यक्षेत्र कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (चार) सा.का.नि. 621(अ) जो 8 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 12/2017- संघ-राज्यक्षेत्र कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (पांच) सा.का.नि. 624(अ) जो 8 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 13/2017- संघ-राज्यक्षेत्र कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (छह) संघ-राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (लद्दाख) नियम, 2024 जो 9 अक्टूबर, 2024 के भारत

के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 631(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(8) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 613(अ) जो 8 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 01/2017- एकीकृत कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(दो) सा.का.नि. 616(अ) जो 8 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 04/2017- एकीकृत कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(तीन) सा.का.नि. 619(अ) जो 8 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 08/2017- एकीकृत कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(चार) सा.का.नि. 622(अ) जो 8 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 09/2017- एकीकृत कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(पांच) सा.का.नि. 625(अ) जो 8 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 10/2017- एकीकृत कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(9) वित्त अधिनियम (संख्यांक 1) 2024 की धारा 1 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ 3161 (अ) जो दिनांक 06 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका उक्त अधिनियम की धारा 11 से 13 को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(10) 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लेखाओं और वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन:-

(एक) आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, हनुमानकोंडा

(दो) आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, कडप्पा

(तीन) अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, नाहरलागुन

(चार) आर्यवर्त बैंक, लखनऊ

(पांच) असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी

(छह) बंगीय ग्रामीण विकास बैंक, बरहमपुर

(सात) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, बडोदरा

(आठ) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अजमेर

(नौ) बड़ौदा यू.पी. बैंक, गोरखपुर

(दस) चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, गुंटुर

(ग्यारह) छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, नया रायपुर

(बारह) दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पटना

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| (तेरह)     | इलाकाई देहाती बैंक, श्रीनगर                 |
| (चौदह)     | हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मण्डी           |
| (पंद्रह)   | जेएंडके ग्रामीण बैंक, जम्मू                 |
| (सोलह)     | झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक, रांची           |
| (सत्रह)    | कर्नाटक ग्रामीण बैंक, बेल्लारी              |
| (अठारह)    | कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, धारवाड़         |
| (उन्नीस)   | केरल ग्रामीण बैंक, तिरुवनन्तपुरम            |
| (बीस)      | मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, पटना              |
| (इक्कीस)   | मध्यांचल ग्रामीण बैंक, सागर                 |
| (बाईस)     | महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, छत्रपति संभाजीनगर  |
| (तेईस)     | मणिपुर ग्रामीण बैंक, इंफाल                  |
| (चौबीस)    | मेघालय ग्रामीण बैंक, शिलांग                 |
| (पच्चीस)   | मिजोरम ग्रामीण बैंक, आईजोल                  |
| (छब्बीस)   | नागालैंड ग्रामीण बैंक, कोहिमा               |
| (सत्ताईस)  | ओडिशा ग्रामीण बैंक, भुवनेश्वर               |
| (अट्ठाईस)  | पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक, हावड़ा             |
| (उनतीस)    | प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद       |
| (तीस)      | पुदुचाई भरथियार ग्राम बैंक, पुदेचेरी        |
| (इक्तीस)   | पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला                 |
| (बत्तीस)   | राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, जोधपुर        |
| (तैतीस)    | सत्पगिरी ग्रामीण बैंक, चित्तूर              |
| (चौतीस)    | सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक            |
| (पैतीस)    | सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, राजकोट              |
| (छत्तीस)   | तमिलनाडु ग्राम बैंक, सेलम                   |
| (सैतीस)    | तेलंगाना ग्रामीण बैंक, हैदराबाद             |
| (अड़तीस)   | त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला               |
| (उनचालीस)  | उत्कल ग्रामीण बैंक, बोलनगीर                 |
| (चालीस)    | उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार |
| (इक्तालीस) | उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर        |
| (बयालीस)   | उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, देहरादून           |
| (तैंतालीस) | विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, नागपुर           |

(11) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 503(अ) जो 16 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022- केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दो) सा.का.नि. 525(अ) जो 30 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022- केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (तीन) सा.का.नि. 532(अ) जो 2 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022- केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (चार) सा.का.नि. 533(अ) जो 2 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका द्वारा दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या 04/2022- केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (पांच) सा.का.नि. 534(अ) जो 2 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका द्वारा दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या 10/2022- केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (छह) सा.का.नि. 575(अ) जो 17 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022- केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (सात) सा.का.नि. 664(अ) जो 24 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची के अध्याय 27 में, उसमें उल्लिखित, कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (आठ) सा.का.नि. 667(अ) जो 28 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका द्वारा दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 111/2017- केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (12) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि. 516 (अ) जो दिनांक 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी समापन समीक्षा अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में 5 वर्षों के लिए चीन पीआर और कोरिया आरपी से आयातित "क्लोरिनेटेड पोलिविनाइल क्लोराइड रेसिन (सीपीवीसी) चाहे यौगिक के रूप में आगे प्रसंस्कृत हो या नहीं" पर प्रतिपादन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (दो) सा.का.नि. 598 (अ) जो दिनांक 27 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर की सिफारिश के आधार पर पांच वर्षों की अवधि के लिए चीन पीआर, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और यूएसए से उद्भूत या वहां से निर्यातित " आइसोब्यूटिलीन आइसोप्रीन रबर (आईआईआर)" के आयातों पर निश्चयात्मक प्रतिपादन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (तीन) सा.का.नि. 599 (अ) जो दिनांक 27 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी नवीन अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में 5 वर्षों के लिए चीन पीआर से उद्भूत या वहां से निर्यातित "सोलर पैनल/मॉड्यूल के लिए एनोडाइज्ड एल्युमिनियम फ्रेम" पर प्रतिपादन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

- (चार) सा.का.नि. 651 (अ) जो दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए चीन पीआर से "अनफ्रेम्ड ग्लास मिरर" के आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (पाँच) सा.का.नि. 655 (अ) जो दिनांक 22 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में 5 वर्षों के लिए चीन पीआर से आयातित "थर्मोप्लास्टिक पोलियूरेथेन (टीपीयू)" पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (छः) सा.का.नि. 657 (अ) जो दिनांक 22 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में 5 वर्षों के लिए चीन पीआर से आयातित "सेलफोन ट्रांसपेरेंट फिल्म" पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (सात) सा.का.नि. 658 (अ) जो दिनांक 22 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में 5 वर्षों के लिए चीन पीआर से आयातित "सल्फर ब्लैक" पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (आठ) सा.का.नि. 659 (अ) जो दिनांक 22 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में 5 वर्षों के लिए चीन पीआर से आयातित "आइसोप्रोपाइल एल्कोहोल" पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (नौ) सा.का.नि. 683 (अ) जो दिनांक 04 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी नवीन अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में 5 वर्षों के लिए थाईलैंड और वियतनाम से उद्भूत या वहां से निर्यातित "वेल्डेड स्टेनलेस-स्टील पाइप और ट्यूब" पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (दस) सा.का.नि. 695 (अ) जो दिनांक 11 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में 5 वर्षों के लिए चीन पीआर, कोरिया आरपी और थाईलैंड से आयातित 'इपीक्लोरोहाइड्रिन' पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (ग्यारह) सा.का.नि. 559(अ) जो दिनांक 10 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय (डीजीटीआर) द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में आगे 5 वर्षों के लिए चीन पीआर और वियतनाम से उद्भूत या वहां से निर्यातित "वेल्डेड स्टेनलेस-स्टील पाइप और ट्यूब" पर प्रतिकारी-शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (बारह) सा.का.नि. 562(अ) जो दिनांक 11 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय (डीजीटीआर) द्वारा जारी समापन समीक्षा अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में 5 वर्षों के लिए चीन पीआर से उद्भूत या वहां से निर्यातित एट्राजिन टेक्निकल पर प्रतिकारी-शुल्क का उद्ग्रहण जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (तेरह) सा.का.नि. 608(अ) जो दिनांक 4 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 7 जुलाई, 2025 तक इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम से उद्भूत या

वहां से निर्यातित “कन्टीन्यूस कास्ट कॉपर रॉड” के आयातों पर प्रतिकारी-शुल्क के उद्ग्रहण को आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(13) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 546(अ) जो दिनांक 6 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना सं. 26/2011-सीमा शुल्क को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(दो) सा.का.नि. 573(अ) जो दिनांक 13 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय, उसमें उल्लिखित 6 अधिसूचनाओं को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(तीन) सा.का.नि. 600(अ) जो दिनांक 27 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना सं. 27/2011-सीमा शुल्क को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(चार) सा.का.नि. 604(अ) जो दिनांक 30 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विभिन्न अधिसूचनाओं को संशोधित करना है ताकि 01.10.2024 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 2024 के साथ उक्त अधिसूचनाओं के एचएस कोड को संरेखित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(पांच) सा.का.नि. 660(अ) जो दिनांक 22 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना सं. 27/2011-सीमा शुल्क को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(छह) सा.का.नि. 705(अ) जो दिनांक 13 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30 जून, 2017 की शर्त संख्या 4800 अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(सात) समुद्री कार्गो मैनीफेस्ट और ट्रांसशिपमेंट (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 31 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 531(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका एक शुद्धिपत्र दिनांक 04 सितम्बर, 2024 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 536(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(आठ) सा.का.नि. 663(अ) जो दिनांक 23 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय “सामान्यतया कटे हुए हीरे” पर उद्ग्रहित किये जाने वाले सीमा शुल्क के संबंध में निदेश जारी करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(नौ) समुद्री कार्गो मैनीफेस्ट और ट्रांसशिपमेंट (चौथा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 679(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(दस) सा.का.नि. 517(अ) जो दिनांक 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 20.10.2023 की अधिसूचना सं. 77/2023-सीमा शुल्क (एन.टी.) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(14) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं



की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/195 जो 26 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (भेदिया कारोबार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2022 के प्रभावशील होने की तारीख के रूप में 1 नवम्बर, 2024 को नियत किया गया है।
- (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शोध विश्लेषक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो 21 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/199 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2024 जो 29 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/201 में प्रकाशित हुए थे।
- (15) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 31 की उप-धारा (3) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉरपोरेशन) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो 30 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/196 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉरपोरेशन) (चौथा संशोधन) विनियम, 2024 जो 29 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/202 में प्रकाशित हुए थे।
- (16) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 27 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और भागीदार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो 29 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/200 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 29 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) (संशोधन) विनियम, 2024 जो 11 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/जीएन/ 2024/004 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (भुगतान और निपटान प्रणालियों का अधीक्षण तथा विनियमन के लिए बोर्ड) विनियम, 2024 जो 18 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/जीएन/ 2024/005 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (सूचीबद्धता) विनियम, 2024 जो 29 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/जीएन/ 2024/006 में प्रकाशित हुए थे।

- (चार) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (प्राधिकरण बैठकों के लिए प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2024 जो 29 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/जीएन/ 2024/007 में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र बीमा कार्यालय द्वारा निवेश) (संशोधन) विनियम, 2024 जो 17 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/जीएन/ 2024/008 में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (भुगतान और निपटान प्रणालियां) विनियम, 2024 जो 17 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/जीएन/ 2024/009 में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (बीमा व्यवसाय का पंजीकरण) (संशोधन) विनियम, 2024 जो 17 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/जीएन/ 2024/010 में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (बाजार अवसंरचना संस्थान) (संशोधन) विनियम, 2024 जो 1 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/जीएन/ 2024/011 में प्रकाशित हुए थे।
- (18) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 11क की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 580(अ) जो 19 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में शीर्ष 9802 को विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (19) केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 9 के उप-नियम (2), नियम 12 के उप-नियम (2) के खण्ड (ख) और उप-नियम (24) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 454(अ) जो 28 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा माल और सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण (जीएसटीएटी) में समूह "ख" और "ग" पदों के लिए शास्ति इत्यादि अधिरोपित करने के लिए अनुशासनात्मक/अपीलीय प्राधिकारी और प्राधिकरण नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) धन-शोधन प्रतिषेध अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत धन-शोधन प्रतिषेध (अभिलेखों का संधारण) संशोधन नियम, 2024 जो 19 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 419(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 की धारा 99 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास नियम, 2024 जो 20 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 584(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका एक शुद्धिपत्र 27 सितम्बर, 2024 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 601(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (22) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति: -
- (एक) आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में

- अधिसूचना संख्या सा.का.नि.638(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (दो) आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.639(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (तीन) आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 16 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.645(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (23) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण): -
- (एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (ऋण लिखत) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 7 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफईएमए. 396(3)/2024-आरबी में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर ऋण लिखत) (चौथा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 16 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.3492(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (शमन कार्यवाही) नियम, 2024 जो दिनांक 12 सितंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.566(अ) में प्रकाशित हुए थे।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कीर्तिवर्धन सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 25 की उप-धारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग (पराती जलाने के लिए पर्यावरणीय मुआवजे का अधिरोपण, संग्रहण और उपयोग) संशोधन नियम, 2024 जो 6 नवंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.690(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 63 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) (जांच संचालित करने की रीति और शास्ति का अधिरोपण) नियम, 2024 जो 11 नवंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 696(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) सा.का.नि. 703(अ) जो दिनांक 12 नवंबर 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित औद्योगिक संयंत्रों की कतिपय श्रेणियों को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 की उपधारा (1) के उपबंधों के लागू होने से छूट प्रदान की गई है।
- (3) वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 53 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) (जांच संचालित करने की रीति और शास्ति का अधिरोपण) नियम, 2024 जो 12 नवंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 701(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) सा.का.नि.702(अ) जो भारत के राजपत्र में दिनांक 12 नवम्बर, 2024 को प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित औद्योगिक संयंत्रों की कतिपय श्रेणियों को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1981) की धारा 21 की उपधारा (1) के उपबंधों के लागू होने से छूट दी गई है।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुकान्त मजूमदार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सेनापति, मणिपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सेनापति, मणिपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सेनापति, मणिपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय (भाग-एक, दो और तीन), दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुणे के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुणे के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुणे के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, अमृतसर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, अमृतसर के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश, विजियानगरम, के वर्ष 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश, विजियानगरम, के वर्ष 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।
- (तीन) केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश, विजियानगरम, के वर्ष 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, अनंतपुरमु के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।
- (दो) आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, अनंतपुरमु के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक

- लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (तीन) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 241 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (सूचना यूटीलिटी) (संशोधन) विनियम, 2024 जो 13 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2024-25/जीएन/आरईजी114 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निरीक्षण और अन्वेषण) (संशोधन) विनियम, 2024 जो 24 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2024-25/जीएन/आरईजी115 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो 24 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2024-25/जीएन/आरईजी116 में प्रकाशित हुए थे।
- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) दूसरा संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 9 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.552(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (वार्षिक लेखा विवरण का प्ररूप) संशोधन

नियम, 2024 जो दिनांक 4 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 607(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (3) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 64 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (एक) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सामान्य) विनियम, 2024 जो दिनांक 17 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सीसीआई/रेग-जी.आर./08/2024-25 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजन) विनियम, 2024 जो दिनांक 9 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं.सीसीआई/सीडी/संयो. विनि./2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (4) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (एक) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें) नियम, 2024 जो दिनांक 6 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 544(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) प्रतिस्पर्धा (परिसंपत्तियों या टर्नओवर का न्यूनतम मूल्य) नियम, 2024 जो दिनांक 9 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 547(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) प्रतिस्पर्धा (संयोजन का मानदण्ड) नियम, 2024 जो दिनांक 9 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 548(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) प्रतिस्पर्धा (संयोजन में छूट के लिए मानदण्ड) नियम, 2024 जो दिनांक 9 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 549(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (5) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे जो दिनांक 27 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.स.1-सीए(5)/75/2024 में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 14 नवम्बर, 2024 की अधिसूचना सं. 1-सीए(5)/75ए/2024 में प्रकाशित हुआ था।
- (दो) सा.का.नि.506(अ) जो दिनांक 16 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 नवम्बर, 2015 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.835(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तीन) का.आ.4513(अ) जो दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 12 अप्रैल, 2019 की अधिसूचना का.आ.1591(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (6) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ((हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) सा.का.नि. 642(अ) जो दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 की अधिसूचना सा.का.नि. 741(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (दो) सा.का.नि. 643(अ) जो दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित जिसके द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 की अधिसूचना सा.का.नि. 787(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तीन) इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे जो दिनांक 27 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जी/20-सीडब्ल्यू/9/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (7) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे जो दिनांक 23 सितम्बर, 2024 के भारत के प्रस्तावना राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं.104/44/लेखा.-1(क) में प्रकाशित हुए थे ।
- (दो) का.आ.4111(अ) जो दिनांक 20 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 9 मार्च, 2023 की अधिसूचना का.आ.1118 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

\*वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अधिसूचना सं. 29/2024- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जिसे दिनांक 2 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाना है तथा जिसका आशय दिनांक 30 जून 2022 की अधिसूचना संख्या 03/2022- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से लेकर सं. 07/2022- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सं. 9/2022- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को निरसित करना है, ताकि कच्चा पेट्रोलियम के उत्पाद और विमान टरबाइन ईंधन (एटीएफ), मोटर स्पिरिट, सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है, और हाई स्पीड डीजल ऑयल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) को हटाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

---

\* अपराहन 12.04 बजे।



(दो) अधिसूचना सं. 30/2024-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जिसे दिनांक 2 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाना है तथा जिसका आशय 30 जून 2022 की अधिसूचना सं. 10/2022- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और अधिसूचना सं. 11/2022- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को निरसित करना है ताकि मोटर स्प्रिट, सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है और हाई स्पीड डीजल ऑयल के निर्यात पर सड़क और अवसंरचना उपकर (आरआईसी) की दर को हटाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

#### 4. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती कनिमोड़ी करुणानिधि ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2024-2025) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) के 'उपभोक्ता अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में पूर्वोत्तर में की गई पहलें' विषय के बारे में समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पहला प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के 'भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) का कार्यकरण' विषय के बारे में समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।

(3) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) के 'ईंधन स्टेशनों पर डिस्पेंसिंग मशीनों के विशिष्ट संदर्भ में वजन और माप का विनियमन' विषय के बारे में समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के 39वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

(4) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के 'उचित दर दुकानों का रूपांतरण' विषय के बारे में समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौथा प्रतिवेदन।

#### 5. मंत्री द्वारा वक्तव्य

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत चौधरी) ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित 'आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता का कार्यान्वयन (संकल्प) परियोजना' के बारे में श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के 56वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभापटल पर रखा।

\*\*वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने "नकली मुद्रा में वृद्धि" के संबंध में श्री सेल्वागणपति, टी. एम., संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 101 के 25.11.2024 को दिए गए उत्तर को शुद्ध करते हुए एक वक्तव्य दिया।

**6. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों (एनआईटीएसआईआर) की परिषद के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव**

श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 की धारा 30 की उप-धारा (2) के खंड (ज) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों (एनआईटीएसआईआर) की परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

**7. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) की परिषद के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव**

श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 31 की उप-धारा (2) के खंड (ट) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) की परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

**अपराहन 12.06 बजे**

**8. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित**

*तटीय पोत परिवहन विधेयक, 2024*

---

\*\* अपराहन 12.02 बजे।

## अपराहन 12.07 बजे

### 9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

1. श्री खगेन मुर्मु द्वारा रक्षा उद्देश्यों के लिए पश्चिम बंगाल में मालदा हवाई अड्डे का पुनरुद्धार और विकास किए जाने की आवश्यकता के बारे।
2. श्री मितेश पटेल बकाभाई द्वारा देश में अवैध आप्रवासियों की जनगणना कराए जाने तथा उन्हें उनके संबंधित देशों में वापस भेजे जाने की आवश्यकता के बारे।
3. श्री बैजयंत पांडा द्वारा हरित ऊर्जा गलियारे के विकास के लिए ओडिशा को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे।
4. श्री संतोष पांडेय द्वारा छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मक्का प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के बारे में।
5. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी द्वारा 'हृदय' योजना के तहत आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी को विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे।
6. श्री योगेन्द्र चांदोलिया द्वारा उत्तरी दिल्ली की आवासीय कॉलोनियों में बुनियादी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे।
7. श्री पी.पी. चौधरी द्वारा शासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एकीकरण की आवश्यकता के बारे में।
8. श्री विजय बघेल द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र के अधीन भूमि को छत्तीसगढ़ सरकार को अंतरित किए जाने के बारे में।
9. प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ द्वारा मुंबई में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे।
10. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल द्वारा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम को पुनः प्रारंभ किए जाने तथा राजस्थान के सीमावर्ती जिलों को जीवंत ग्राम कार्यक्रम में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे।
11. श्री राहुल कस्वां द्वारा राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नई रेल लाइन बिछाने के बारे में।
12. एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा केरल के 'अंचुनाडु वेल्लालार' समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की केंद्रीय सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे।
13. श्री पुष्पेंद्र सरोज द्वारा सहारा इंडिया कंपनी में निवेश करने वाले लोगों को धन लौटाए जाने के बारे में।
14. प्रो. सौगत राय द्वारा मणिपुर में जातीय हिंसा के बारे में।

15. श्री मनि अ. द्वारा पीएमजीएसवाई के अंतर्गत तमिलनाडु के धर्मापुरी जिले की कालीकरम्बु पंचायत को सड़क संपर्क प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे।
16. डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा बिहार के गोपालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में थावे जंक्शन रेलवे स्टेशन पर वाई-लाइन कनेक्शन के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे।
17. डॉ. एम.पी. अब्दुस्समद समदानी द्वारा केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे।
18. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी द्वारा धोखाधड़ी करने वाले ट्रेवल एजेंटों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे।
19. श्री बालाशैरी वल्लभनेनी द्वारा आंध्र प्रदेश ग्रामीण सड़क परियोजना के पूरा होने की समय सीमा बढ़ाए जाने तथा वित्तपोषण अनुपात को भी बदलकर 90:10 किए जाने की आवश्यकता के बारे।
20. श्री भर्तृहरि महताब द्वारा ओडिशा के कटक के अथागढ़ में राधाकिशोरपुर पंचायत में एनएच-55 पर अंडरपास के निर्माण की आवश्यकता के बारे।
21. श्री राजीव राय द्वारा भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे।
22. श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा सभी राजमार्गों पर अनिवार्य रूप से सर्विस लेन का निर्माण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे।

**अपराहन 12.08 बजे**

*(व्यवधान के कारण लोक सभा मंगलवार, 3 दिसम्बर, 2024 के  
पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**उत्पल कुमार सिंह  
महासचिव**

लोक सभा

-----

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

-----

मंगलवार, 3 दिसम्बर, 2024/ 12 अग्रहायण, 1946 (शक)

-----

संख्या 28

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 101,102 (108 को 102 के साथ युग्मित किया गया), 103 और 104 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 105, 106, 107 और 109 से 120 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1151 से 1380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद, बल्लभगढ़ के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद, बल्लभगढ़ के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) (एक) राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 18 की उप-धारा (8) के अंतर्गत विस्फोटक (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 633(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ. 3027(अ) जो दिनांक 29 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के द्वारा नामीबिया को आईटीसी (एचएस) कोड 10063090 के अंतर्गत गैर-बासमती सफेद चावल की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (दो) का.आ. 3069(अ) जो दिनांक 1 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान मालदीव को अनिवार्य जिंसों के निर्यात हेतु काण्डला और विशाखापट्टनम सागर पत्तनों के समावेश के बारे में है।
- (तीन) का.आ. 3503(अ) जो दिनांक 20 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो डी-ऑयल्ड राइस ब्रान की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (चार) का.आ. 3509(अ) जो दिनांक 20 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के द्वारा मलेशिया को आईटीसी (एचएस) कोड 10063090 के अंतर्गत गैर-बासमती सफेद चावल की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (पांच) का.आ. 3746(अ) जो दिनांक 3 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एससीओएमईटी अपडेट्स 2024- निर्यात और आयात मदों, 2018 का आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची-2 के अनुलग्नक 3 (एससीओएमईटी मद) में संशोधन के बारे में है।
- (छह) का.आ. 3764(अ) जो दिनांक 3 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, ओडिशा सरकार द्वारा लाल चन्दन काष्ठ का निर्यात-समय बढ़ाए जाने के बारे में है।
- (सात) का.आ. 3797(अ) जो दिनांक 4 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) 2022की अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 27 के अंतर्गत कच्चे पेट कोक और केलसाइन्ड पेट कोक हेतु आयात नीति शर्त में संशोधन के बारे में है।
- (आठ) का.आ. 3946(अ) जो दिनांक 14 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 07 के आईटीसी (एचएस) कोड 07131010 के अंतर्गत पीले मटर की आयात अवधि में विस्तार के बारे में है।

- (नौ) का.आ. 3947(अ) जो दिनांक 14 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो प्याज की निर्यात नीति शर्तों में संशोधन के बारे में है।
- (दस) का.आ. 3960(अ) जो दिनांक 18 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 08 के आईटीसी (एचएस) कोड 08028010 के अंतर्गत आयात नीति शर्तों में संशोधन के बारे में है।
- (ग्यारह) का.आ. 4260(अ) जो दिनांक 30 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एचएस कोड 1006 30 90 के अंतर्गत गैर-बासमती सफेद चावल की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (बारह) का.आ. 4867(अ) जो दिनांक 11 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो डीटीए इकाईयों और एए/ईओयू/एसईजेड इकाईयों से किये गये निर्यातों हेतु आरओडीटीईपी योजना के विस्तार के बारे में है।
- (तेरह) का.आ. 4541 (अ) जो दिनांक 16 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 31 दिसम्बर, 2024 तक कृत्रिम बुने हुए फेब्रिक पर न्यूनतम आयात मूल्य आरोपित करने के बारे में है।
- (चौदह) का.आ. 4555 (अ) जो दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मांस और मांस उत्पादों हेतु हलाल प्रमाणन प्रक्रिया को सुकर बनाने के बारे में है।
- (पंद्रह) का.आ. 4549(अ) जो दिनांक 16 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-2 (आयात नीति) के अध्याय 30 के अंतर्गत कफ सीरप की निर्यात नीति शर्तों में संशोधन के बारे में है।
- (सोलह) का.आ. 4542(अ) जो दिनांक 16 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 96 के सीटीएच 9613 के अंतर्गत आच्छादित लाइटर के भागों की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (सत्रह) का.आ. 4641(अ) जो दिनांक 23 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एचएस कोड 10063090 के अंतर्गत गैर-बासमती चावल की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (अठारह) का.आ. 4643(अ) जो दिनांक 23 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) को तिल बीजों के निर्यात हेतु प्रक्रिया के बारे में है।
- (उन्नीस) का.आ. 4712(अ) जो दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 01.10.2024 से प्रभावी सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप आरओडीटीईपी अनुसूची के संरेखण के बारे में है।
- (6) (एक) विशाखापट्टनम विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, विशाखापट्टनम के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, कोचीन के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (तीन) विशाखापट्टनम विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, विशाखापट्टनम तथा कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, कोचीन के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) सेवा निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेवा निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) गवर्नमेंट ईमार्केटप्लेस, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।
- (दो) गवर्नमेंट ईमार्केटप्लेस, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (9) (एक) काण्डला विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, गांधीधाम के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, फाल्टा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (तीन) कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, गांधीधाम तथा फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, फाल्टा के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4घ की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (आठवां संशोधन) आदेश, 2024 जो दिनांक 10 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2221(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (दो) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (दसवां संशोधन) आदेश, 2024 जो दिनांक 23 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2914(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (तीन) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (ग्यारहवां संशोधन) आदेश, 2024 जो दिनांक 26 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2986(अ) में प्रकाशित हुआ था।



- (चार) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (बारहवां संशोधन) आदेश, 2024 जो दिनांक 22 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3551(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (पांच) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (तेरहवां संशोधन) आदेश, 2024 जो दिनांक 11 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3890(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (छह) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (चौदहवां संशोधन) आदेश, 2024 जो दिनांक 30 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4261(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ. 3723(अ) जो 2 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित, किण्वित जैविक खाद और तरल खाद तथा तरल खाद के निर्माताओं को अधिसूचनाओं के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए किसानों को बड़ी मात्रा में सीधे बिक्री करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
- (दो) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक और मिश्रित) (नियंत्रण) (चौथा) संशोधन आदेश, 2024 जो दिनांक 12 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3922(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (3) (एक) नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड-चेन डेवलपमेंट, गुरुग्राम के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड-चेन डेवलपमेंट, गुरुग्राम के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) गृह मंत्रालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक समादेष्टा (भेषजी), समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2024 जो 14 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 634(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, ट्रेड्समैन काडर, समूह 'ग' बैंड पद, भर्ती नियम, 2024 जो 4 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 535(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) गृह मंत्रालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, अनुसचिवीय काडर, प्रधान आरक्षक (दफ्तरी), प्रधान आरक्षक (चपरासी), प्रधान आरक्षक (फराश) और प्रधान आरक्षक (सफाई कर्मचारी अनुसचिवीय) समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2024 जो 27 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 597(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (2) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सहायक समादेष्टा (सहायक परिचर्या अधीक्षक) (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2024 जो 17 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 282(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, परा-चिकित्सा काडर (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2023 जो 18 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 521(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (3) उपर्युक्त (2) की मद संख्या (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) चंडीगढ़ औद्योगिक और पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) चंडीगढ़ औद्योगिक और पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) दिल्ली पुलिस आवासन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) दिल्ली पुलिस आवासन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (5) उपर्युक्त 4(क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर, फोरमेन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2024 जो 5 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 130में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर, अग्नि इंजन चालक-सह-प्रचालक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2024 जो 5 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 131में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर, अग्नि और बचाव प्रचालक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2024 जो 9 नवम्बर, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 159में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर, मेकेनिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2024 जो 9 नवम्बर, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 160में प्रकाशित हुए थे।
- (9) विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (5) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 4391(अ) जो 10 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में हिजब-उत-तहरीर (एचयूटी) का नाम जोड़े जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल.वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-
- (1) (एक) पीपल एडवांस्ड इन सोशल सर्विसेज (पीएसएस), चूराचांदपुर, मणिपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पीपल एडवांस्ड इन सोशल सर्विसेज (पीएसएस), चूराचांदपुर, मणिपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट सर्विस, थॉबल के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट सर्विस, थॉबल के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) दि कांगचुप एरिया ट्राइबल वूमेन सोसायटी, मणिपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) दि कांगचुप एरिया ट्राइबल वूमेन सोसायटी, मणिपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) (एक) दि वोकेशनल रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग सेंटर फॉर ब्लाइंड, लुधियाना, पंजाब के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) दि वोकेशनल रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग सेंटर फॉर ब्लाइंड, लुधियाना, पंजाब के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन, रूपनगर, पंजाब के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन, रूपनगर, पंजाब के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) दि पाथवे सेंटर फॉर रिहेबिलिटेशन एंड एजुकेशन ऑफ इंटेलेक्चुएल डिसेबल्ड, चेन्नई, तमिलनाडु के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) दि पाथवे सेंटर फॉर रिहेबिलिटेशन एंड एजुकेशन ऑफ इंटेलेक्चुएल डिसेबल्ड, चेन्नई, तमिलनाडु के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) अयोध्या चैरिटेबल ट्रस्ट, पुणे, महाराष्ट्र के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अयोध्या चैरिटेबल ट्रस्ट, पुणे, महाराष्ट्र के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) श्री रमण महर्षि एकेडमी फॉर दि ब्लाइंड, बेंगलुरु, कर्नाटक के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) श्री रमण महर्षि एकेडमी फॉर दि ब्लाइंड, बेंगलुरु, कर्नाटक के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) यूनियन लर्निंग ट्रेनिंग एंड रिफॉर्मेटिव एक्टिविटीज, खुर्दा, ओडिशा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) यूनियन लर्निंग ट्रेनिंग एंड रिफॉर्मेटिव एक्टिविटीज, खुर्दा, ओडिशा के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) एसोसिएशन फॉर सोशल रिकंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज (एसआरए), कटक, ओडिशा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एसोसिएशन फॉर सोशल रिकंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज (एसआरए), कटक, ओडिशा के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (11) (एक) कवि नरसिंह मठ ब्लाइंड एंड डीफ स्कूल, गंजम, ओडिशा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कवि नरसिंह मठ ब्लाइंड एंड डीफ स्कूल, गंजम, ओडिशा के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) सोसायटी फॉर एनवायरमेंटल डेवलपमेंट एंड वालंटरी एक्शन (सेवा), नयागढ़, ओडिशा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सोसायटी फॉर एनवायरमेंटल डेवलपमेंट एंड वालंटरी एक्शन (सेवा), नयागढ़, ओडिशा के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) ऑल इंडिया वूमेंस कांफ्रेंस, बरहामपुर, ओडिशा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऑल इंडिया वूमेंस कांफ्रेंस, बरहामपुर, ओडिशा के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) इंस्टीट्यूट फॉर दि हैंडीकैप्ड एंड बैकवर्ड पीपुल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टीट्यूट फॉर दि हैंडीकैप्ड एंड बैकवर्ड पीपुल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) शेल्टर (सोसायटी फॉर हैल्प, एजुकेशन, लव, ट्रेनिंग एंड एम्पलॉयमेंट फॉर दि रिटार्डेड), हुगली, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) शेल्टर (सोसायटी फॉर हैल्प, एजुकेशन, लव, ट्रेनिंग एंड एम्पलॉयमेंट फॉर दि रिटार्डेड), हुगली, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) रामकृष्ण मिशन ब्लाइंड बॉएज एकेडमी, नरेंद्रपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रामकृष्ण मिशन ब्लाइंड बॉएज एकेडमी, नरेंद्रपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) रीजनल रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर, राउरकेला, ओडिशा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रीजनल रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर, राउरकेला, ओडिशा के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (18) (एक) गुरुकुल स्पास्टिक सोसाएटी, जयपुर, राजस्थान के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) गुरुकुल स्पास्टिक सोसाएटी, जयपुर, राजस्थान के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) स्फूर्त वेलफेयर सोसाएटी, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्फूर्त वेलफेयर सोसाएटी, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) सेंट फ्रांसिस स्कूल फॉर दि हियरिंग इम्पेयर्ड, ठाकुरगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट फ्रांसिस स्कूल फॉर दि हियरिंग इम्पेयर्ड, ठाकुरगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) सनलाइट एजुकेशनल सोसायटी, आंध्र प्रदेशके वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सनलाइट एजुकेशनल सोसायटी, आंध्र प्रदेशके वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) लेबेनशिल्फे, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) लेबेनशिल्फे, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) वॉलंटरी ऑर्गनाइजेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी (वीओआरडीएस), कुरनूल, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वॉलंटरी ऑर्गनाइजेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी (वीओआरडीएस), कुरनूल, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) सिरी इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड, काकीनाडा, ईस्ट गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सिरी इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड काकीनाडा, ईस्ट गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (25) (एक) स्वर्ण स्वयं कृषि ऑफ सोसायटी, कंदूकुर, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्वर्ण स्वयं कृषि ऑफ सोसायटी, कंदूकुर, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) शांतिवर्धन मिनिस्ट्रीज, ईस्ट गोदावरी, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) शांतिवर्धन मिनिस्ट्रीज, ईस्ट गोदावरी, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) नेहरू युवजन सेवा संघम, तिरुपति, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेहरू युवजन सेवा संघम, तिरुपति, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (28) (एक) सत्य इंटीग्रेटेड रूरल एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोसाइटी (एसआईआरईडीएस), चित्तूर, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सत्य इंटीग्रेटेड रूरल एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोसाइटी (एसआईआरईडीएस), चित्तूर, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) एस.के.आर. प्युपिल्स वेलफेयर सोसाइटी, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एस.के.आर. प्युपिल्स वेलफेयर सोसाइटी, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) (एक) राष्ट्रीय सेवा समिति, तिरुपति, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय सेवा समिति, तिरुपति, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) (एक) सेंट ऐन्स सोशल सर्विस सोसाइटी, आंध्र प्रदेश द्वारा संचालित सेंट ऐन्स मनोविकास केंद्र के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सेंट ऐन्स सोशल सर्विस सोसाइटी, आंध्र प्रदेश द्वारा संचालित सेंट ऐन्स मनोविकास केंद्र के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) (एक) भागीरथ सेवा संस्थान, गाज़ियाबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भागीरथ सेवा संस्थान, गाज़ियाबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) (एक) अखिल भारतीय विकलांग कल्याण समिति, अयोध्या, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अखिल भारतीय विकलांग कल्याण समिति, अयोध्या, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) (एक) सोसायटी ऑफ कृष्ट ज्योति (नव वाणी स्कूल फॉर दि डेफ), वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सोसायटी ऑफ कृष्ट ज्योति (नव वाणी स्कूल फॉर दि डेफ), वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) (एक) आनंद ट्रेनिंग चैरिटेबल सोसाइटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) आनंद ट्रेनिंग चैरिटेबल सोसाइटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) (एक) वृंदावन शिक्षा एवं जन कल्याण समिति, सरसवां, कौशांबी, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वृंदावन शिक्षा एवं जन कल्याण समिति, सरसवां, कौशांबी, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) (एक) विकलांग विकास परिषद, आगरा, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) विकलांग विकास परिषद, आगरा, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।



- [illegible]

- (46) (एक) दुर्गाबाई देशमुख वोकेशनल ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर (आंध्र महिला सभा) हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) दुर्गाबाई देशमुख वोकेशनल ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर (आंध्र महिला सभा) हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) (एक) चाइल्ड गाइडेन्स सेंटर, हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) चाइल्ड गाइडेन्स सेंटर, हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) (एक) साधना सोसायटी फॉर दि मेंटली हैंडीकैप्ड, हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2023- 2024के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) साधना सोसायटी फॉर दि मेंटली हैंडीकैप्ड, हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2023- 2024के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (49) (एक) पीपल विद हीयरिंग इंपेयर्ड नेटवर्क(पीएचआईएन) हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पीपल विद हीयरिंग इंपेयर्ड नेटवर्क(पीएचआईएन) हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (50) (एक) न्यू डॉन बॉस्को एजुकेशनल सोसाइटी, सिकंदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) न्यू डॉन बॉस्को एजुकेशनल सोसाइटी, सिकंदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (51) (एक) श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर, राजस्थान के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर, राजस्थान के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (52) (एक) नारायण सेवा संस्थान उदयपुर, राजस्थान के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नारायण सेवा संस्थान उदयपुर, राजस्थान के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (53) (एक) महात्मा गांधी सेवा संघ, महाराष्ट्र के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) महात्मा गांधी सेवा संघ, महाराष्ट्र के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (55) (एक) इमैकुलेट हार्ट ऑफ मैरी सोसाइटी, मैडोना स्पेशल स्कूल फॉर द डेफ, कार्मेल नगर, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इमैकुलेट हार्ट ऑफ मैरी सोसाइटी, मैडोना स्पेशल स्कूल फॉर द डेफ, कार्मेल नगर, विजयवाड़ा,

आंध्र प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (56) (एक) नागदा जैनिथ सोशल वेल्फेयर सोसाइटी, उज्जैन, मध्य प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) नागदा जैनिथ सोशल वेल्फेयर सोसाइटी, उज्जैन, मध्य प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (57) (एक) ग्रामीण सुधार हेतु स्वैच्छिक संगठन, क्यौझर, ओडिशा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) ग्रामीण सुधार हेतु स्वैच्छिक संगठन, क्यौझर, ओडिशा के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (58) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-  
(एक) राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।  
(दो) राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (59) उपर्युक्त (58) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडि संजय कुमार) की ओर से सुधार प्रशासन संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे सभा पटल पर रखे।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमलेश पासवान) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।  
(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-  
(एक) एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

- (दो) एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर के वर्ष 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखाओं पर सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबित्रा मार्गेरिटा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नवी मुंबई का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त मद संख्या 1(क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकेजिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 4319 (अ), जो दिनांक 1 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 2023 की अधिसूचना सं. का.आ. 5459(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उप-धारा 4(ख) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 3642(अ), जो दिनांक 28 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा लोक

सभा के दो सदस्यों को अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) का.आ.3182(अ), जो दिनांक 6 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अधिनियम के उपबंधों के अध्यक्षीन श्री मदन बिभीषण नागरगोजे, आईएएस के केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में नामनिर्देशन को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ.3861(अ), जो दिनांक 9 सितंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा श्री सेल्वम जी, श्री जी. लक्ष्मीनारायण, श्री राधाकृष्ण और डॉ. के. सुधाकर के 2/8/2024 से तीन वर्ष की अवधि के लिए या लोक सभा में उनके कार्यकाल के पूरा होने तक केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में नामनिर्देशन को अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ.3877(अ), जो दिनांक 10 सितंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अधिनियम के उपबंधों के अध्यक्षीन डॉ. शामला इकबाल और श्री एम.बी. राजेश गौड़ा, आईएएस के केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में नामनिर्देशन को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ.4830(अ), जो दिनांक 7 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अधिनियम के उपबंधों के अध्यक्षीन श्री आर. अरुण कुमार, आईएएस के केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में नामनिर्देशन को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

#### 4. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. शशि थरूर ने विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति (18वीं लोक सभा) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) 'भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी)-सहयोग की रूपरेखा' विषय के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पहला प्रतिवेदन।
- (2) 'जी-20 देशों के साथ भारत का जुड़ाव' विषय के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।
- (3) 'क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक आतंकवाद से मुकाबला' विषय के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

## 5. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री अशोक कुमार रावत ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों (17वीं लोक सभा) के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) से संबंधित 'बीआईएस-हॉलमार्किंग और आभूषण' विषय के बारे में 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 33वां प्रतिवेदन।
- (2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई)' विषय के बारे में 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 34वां प्रतिवेदन।
- (3) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित 'मोटे अनाजों का उत्पादन और वितरण' विषय के बारे में 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 35वां प्रतिवेदन।
- (4) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित 'भारत में चीनी उद्योग-एक समीक्षा' विषय के बारे में 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 36वां प्रतिवेदन।

## 6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबित्रा मार्गेरिता) ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य दिए:-

- (एक) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित 'पटसन उद्योग का विकास और संवर्धन' के बारे में श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के 53वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (दो) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित 'रेशम उद्योग के विकास और संवर्धन हेतु केंद्रीय रेशम बोर्ड की योजनाएं/कार्यक्रम' के बारे में श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के 54वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (तीन) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित 'कपास क्षेत्र का विकास' के बारे में श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के 55वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2)<sup>§</sup> विदेश मंत्री (डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर) ने भारत और चीन के संबंधों के वर्तमान घटनाक्रम के बारे में वक्तव्य दिया।

---

<sup>§</sup> अपराहन 14.06 बजे

अपराहन 12.05 बजे

#### 7. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी \*

अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि 2 दिसंबर, 2024 को दलों के नेताओं के साथ हुई बैठक में की गई चर्चा के अनुसार, 13 दिसंबर और 14 दिसंबर, 2024 को 'भारत के संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ' पर विशेष चर्चा की जाएगी। तदनुसार सभा की बैठक, शनिवार, 14 दिसम्बर 2024 को भी होगी।

#अपराहन 12.06 बजे

(लोकसभा अपराहन 1.05 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.05 बजे पुनः समवेत हुई )

अपराहन 2.05 बजे

#### 8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:-

1. श्री भरतसिंहजी शंकरजी डाभी द्वारा गुजरात के पाटन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में संतालपुर-पालमपुर के बीच एनएच-14 पर टोल बूथों की संख्या कम किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्री दुष्यंत सिंह द्वारा राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघों का पुनर्वास सुनिश्चित किए जाने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री राजेश रंजन द्वारा कुर्सेला से बिहारीगंज और बिहारीगंज से बीरपुर तक रेल लाइन के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. डॉ. शशि थरूर द्वारा केरल और देश के अन्य भागों में प्रतिबंधित मादक पदार्थों के उत्पादन और वितरण को नियंत्रित किए जाने के लिए कड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्री कीर्ति आज़ाद झा द्वारा वरिष्ठ नागरिकों और मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए रेलवे टिकटों पर रियायत बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री अभय कुमार सिन्हा द्वारा सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के बीमा दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. श्रीमती शांभवी द्वारा बिहार के समस्तीपुर जिले में एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
8. श्री रुद्र नारायण पाणी द्वारा स्वर्गीय श्री जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1975 में हुए आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को सम्मान और पेंशन प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
9. श्री धर्मबीर सिंह द्वारा हरियाणा के चरखी दादरी और भिवानी जिले में तेल पाइपलाइन बिछाने के लिए जिन किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गई है, उन्हें उचित मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
10. श्री कामाख्या प्रसाद तासा द्वारा चाय को स्वास्थ्यवर्धक पेय घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
11. एडवोकेट अदूर प्रकाश द्वारा केरल में विज़िंजम-नवाइक्कुलम आउटर रिंग रोड परियोजना को तेजी से पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

\* मूल हिंदी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

# अपराहन 12.06 बजे से अपराहन 1.05 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

12. डॉ. गणपथी राजकुमार पी. द्वारा कोयम्बटूर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए 'पॉइंट्स ऑफ कॉल' की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
13. श्री एम.के. राघवन द्वारा कोझिकोड में एम्स की स्थापना और केरल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अधिक धनराशि आवंटित किए जाने के बारे में।
14. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील द्वारा महाराष्ट्र के 'धनगर' समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
15. श्री देवेश शाक्य द्वारा उत्तर प्रदेश में आवासीय कॉलोनिजों के ऊपर से गुजरने वाली हाईटेंशन विद्युत लाइनों के कारण लोगों को होने वाली समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
16. मुहम्मद हमदुल्लाह सईद द्वारा लक्षद्वीप के कवरती में निम्न-तापमान तापीय विलवणीकरण (एलटीटीडी) संयंत्र का संचालन पुनः शुरूकिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
17. श्री आशीष दूबे द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक राष्ट्रीय प्राणी उद्यान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
18. श्री ज्ञानेश्वर पाटील द्वारा केले की फसल के लिए मौसम आधारित फसल बीमा कवर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
19. श्री गोपाल जी ठाकुर द्वारा पीएमजीएसवाई के चौथे चरण के तहत दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के गांवों को जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।
20. श्री रवीन्द्र शक्ला उर्फ रवि किशन द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में फ्लोटिंग सोलर पैनल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
21. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत तेलंगाना में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता के बारे में।
22. श्री अनुराग शर्मा द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ काश्तकारी किसानों को भी प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
23. श्री जिया उर रहमान द्वारा उत्तर प्रदेश के संभल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
24. श्रीमती हिमाद्री सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के अमरकंटक में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
25. डॉ. सी.एम. रमेश द्वारा आंध्र प्रदेश के अनकापल्ले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों की मरम्मत और रखरखाव की आवश्यकता के बारे में।
26. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी द्वारा तेलंगाना में मूसी नदी पुनरुद्धार परियोजना के लिए वित्तीय सहायता के बारे में।
27. श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा झारखंड के जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के घाटशिला में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के स्मेल्टर संयंत्र को पुनः आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
28. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी द्वारा देश के प्रत्येक ब्लॉक में कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
29. श्री एस. वेंकटेशन द्वारा तमिलनाडु के मदुरै स्थित एम्स में पर्याप्त अवसंरचना, सुविधाएं और स्टाफ उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।



9. सरकारी विधेयक- पारित

बैंककारी विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024.

आबंटित समय: 3 घंटे

लिया गया समय: 4 घंटे 58 मिनट

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री गौरव गोगोई
2. डॉ. संबित पात्रा
3. श्री राजीव राय
4. श्री कल्याण बनर्जी
5. डॉ. रानी श्रीकुमार
6. श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव
7. श्री अनिल यशवंत देसाई
8. डॉ. आलोक कुमार सुमन
9. श्रीमती सुप्रिया सुले
10. श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर
11. श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी
12. श्री अरुण भारती
13. श्री पी.वी.मिथुन रेड्डी
14. श्री सुधाकर सिंह
15. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम
16. श्री ई.टी.मोहम्मद बशीर
17. श्री सचिदानन्दम आर.
18. श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन
19. श्री सुदामा प्रसाद
20. श्री के.ई. प्रकाश
21. एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्ज
22. श्री तनुज पुनिया
23. श्री छोटेला
24. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

खंड 5 स्वीकृत हुआ।

खंड 6 स्वीकृत हुआ।

खंड 7 से 9 स्वीकृत हुए।

खंड 10 स्वीकृत हुआ।

खंड 11 स्वीकृत हुआ।

खंड 12 से 14 स्वीकृत हुए।

खंड 15 और 16 स्वीकृत हुए।

खंड 17 स्वीकृत हुआ।

खंड 18 स्वीकृत हुआ।

खंड 19 स्वीकृत हुआ।

खंड 20 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

**सायं 7.22 बजे**

*(लोक सभा बुधवार, 4 दिसम्बर, 2024 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**उत्पल कुमार सिंह  
महासचिव**

लोक सभा

-----

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

-----

बुधवार, 4 दिसम्बर, 2024/ 13 अग्रहायण, 1946 (शक)

-----

संख्या 29

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 121 से 127 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 128 से 140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1381 से 1610 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इन्द्रजीत सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर दि कल्टीवेशन ऑफ साइंस (अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट), पुणे के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर दि कल्टीवेशन ऑफ साइंस (अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट), पुणे के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) (एक) भारतीय विज्ञान अकादमी, बेंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) भारतीय विज्ञान अकादमी, बेंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) बोस संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) बोस संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज, बेंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज, बेंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड एसेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड एसेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-  
(क) (एक) भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, सिंहभूम (पूर्व) का वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।  
(दो) भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, सिंहभूम (पूर्व) के वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ख) (एक) भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड (आईआरईएल), मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड (आईआरईएल), मुम्बई का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (10) (एक) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 की धारा 30 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 1437(अ), जो दिनांक 27 जुलाई, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन भारत में निरीक्षकों के कर्तव्यों का निर्वहन करने और निरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निरीक्षकों के रूप में डॉ. अपर्णा शुक्ला, वैज्ञानिक, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, नई दिल्ली और डॉ. अविनाश कुमार, वैज्ञानिक, राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र, गोवा को पदाभिहित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

रेल मंत्री; सूचना और प्रसारण मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव) ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) की ओर से आधार

(वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं, हितलाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) दूसरा संशोधन विनियम, 2024 जो दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. ए-12013/13/आरआर/2016-यूआईडीएआई(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान, कपूरथला के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान, कपूरथला के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-  
(एक) आईटीआई लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।  
(दो) आईटीआई लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण और सेवा गुणवत्ता के मानक (एड्रेसेबल सिस्टम्स) (चौथा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 8 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या आरजी-8/1/(9)/2021-बी और सीएस (1 और 3) में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका एक शुद्धिपत्र 14 अगस्त, 2024 की अधिसूचना संख्या आरजी-8/1/1(9)/2021-बी और सीएस (1 और 3) में प्रकाशित हुआ।
- (दो) दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) (छठा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 8 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या आरजी-8/1/(9)/2021-बी और सीएस (1 और 3) में प्रकाशित हुए थे
- (तीन) उपभोक्ता संगठनों का पंजीकरण (संशोधन) विनियम, 2024 जो 25 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आरजी-10/2/(1)/2023 [ई-10742] में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग विनियम, 2024 जो 28 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.नं. सी-2/3/(2)/2021-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) पहुंच सेवा की गुणवत्ता के मानक (तार और बेतार) तथा ब्रॉडबैंड (तार और बेतार) सेवा विनियम, 2024 जो 5 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या आरजी-17/3/2022-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2024 जो 14 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या आरजी-18/(6)/2023-एनएसएल-दो में प्रकाशित हुए थे।
- (3) दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 56 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि का प्रशासन) नियम, 2024 जो दिनांक 30 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 530(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) दूरसंचार (राइट ऑफ वे) नियम, 2024 जो दिनांक 17 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 576(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) दूरसंचार (वैश्विक सामुद्रिक संकट और सुरक्षा प्रणाली प्रचालित करने हेतु



वाणिज्यिक रेडियो प्रचालक दक्षता प्रमाणपत्र) नियम, 2024 जो दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 674(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) दूरसंचार (अव्यवसायी सेवाएं) नियम, 2024 जो दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 675(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (4) दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 58 की उप-धारा (2) के अंतर्गत दूरसंचार (कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2024 जो दिनांक 14 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3948(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 105 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) (संशोधन) मॉडल नियम, 2024 जो दिनांक 02 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 474(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग (समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 25 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 588(अ) में प्रकाशित हुए थे।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरुगन) ने प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 34 के अंतर्गत प्रसार भारती भर्ती बोर्ड (प्रक्रिया और कार्य संचालन) विनियम, 2024 जो 13 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या- 10/001(2)/2024-पीबीआरबी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश चंद्र दुबे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
  - (क) (एक) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।  
(दो) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
  - (ख) (एक) राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।  
(दो) राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
  - (ग) (एक) एनएलसी इंडिया लिमिटेड, चेन्नई तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।  
(दो) एनएलसी इंडिया लिमिटेड, चेन्नई तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
  - (घ) (एक) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों [खंड एक और खंड दो (भाग एक से चार)] के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।  
(दो) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों [खंड एक और खंड दो (भाग एक से चार)] का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के प्रचालन निष्पादन के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2023 का संख्यांक 12) (निष्पादन लेखापरीक्षा) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ 2936(अ) जो 24 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 'श्रेणी क अन्वेषण अभिकरण' के अंतर्गत मैसर्स भूशिल्प माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ 3054(अ) जो 31 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में खनिज स्वर्ण और किसी अन्य खनिज के संबंध में पूर्वक्षण और खनन प्रचालन किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(तीन) का.आ 3847(अ) जो 9 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा श्रीमती फरीदा एम. नायक, संयुक्त सचिव को "पदाभिहित अधिकारी" के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ 3929(अ) जो 13 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 'श्रेणी क अन्वेषण अभिकरण' के अंतर्गत मैसर्स जीएमएमसीओ टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है।

(4) अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 35 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ 3246(अ) जो 10 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित शासी निकाय और कार्यकारी समिति गठित करने के लिए अपतट क्षेत्र खनिज न्यास को स्थापित किया गया है।

(दो) अपतट क्षेत्र खनिज न्यास नियम, 2024 जो 9 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 490 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अपतट क्षेत्र खनिज (नीलामी) नियम, 2024 जो 14 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 502 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) का.आ 3648(अ) जो 28 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002

के प्रयोजनार्थ श्री विवेक कुमार वाजपेयी, संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय को प्रशासनिक प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(पांच) अपतट क्षेत्र प्रचालन अधिकार नियम, 2024 जो 16 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 646 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निम्बेन जयंतीभाई बांभणिया) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

#### 4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने 3 दिसम्बर, 2024 को हुई अपनी बैठक में तेलक्षेत्र (विनियमन तथा विकास) संशोधन विधेयक, 2024 पारित कर दिया है।

#### 5. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक - सभा पटल पर रखा गया

*तेलक्षेत्र (विनियमन तथा विकास) संशोधन विधेयक, 2024*

#### 6. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे ने 'विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24)' पर ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 35वें प्रतिवेदन (17वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के कार्यान्वयन पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 40वें प्रतिवेदन (17वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

#### 7. कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-25) संबंधी पहला प्रतिवेदन।
- (2) खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-25) संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।
- (3) इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-25) संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

#### 8. मंत्री द्वारा वक्तव्य

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इन्द्रजीत सिंह) ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य दिए:-

- (1) योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-2020) पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (2) योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-2021) पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (3) योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (4) योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के 43वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 50वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (5) योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के 57वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 64वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (6) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-2020) पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के 5वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर

सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

- (7) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयसे संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-2021) पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (8) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयसे संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 39वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (9) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयसे संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के 44वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 51वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (10) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयसे संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के 58वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 65वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

-----

**\* अपराहन 1.09 बजे**

## **9. नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:-

1. श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड के पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोयल और अमानत नदियों में जल का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए बांध बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

\* अपराहन 12.07 बजे से 1.09 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

2. श्री दुलू महतो द्वारा झारखंड के धनबाद हवाई अड्डे से उड़ान का परिचालन फिर से शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री काली चरण सिंह द्वारा झारखंड के चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के टंडवा क्षेत्र में कोयला खनन गतिविधियों से उत्पन्न समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री जनार्दन सिंह सींगीवाल द्वारा छपरा/सिवान जंक्शन से दिल्ली ,कोलकाता और वाराणसी के लिए वंदे भारत/अमृत भारत ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्रीमती डी.के.अरुणा द्वारा तेलंगाना के महबूबनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के नारायणपेट जिले में एक टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री कृपानाथ मल्लाह द्वारा असम के करीमगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दुल्लाबचेरा रेलवे स्टेशन के उन्नयन के बारे में।
7. श्रीमती मालविका देवी द्वारा ओडिशा के नुआपाड़ा जिले के सिनापाली ब्लॉक में उदयंती नदी परियोजना के अंतर्गत एक नए बैराज के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता के बारे में।
8. डॉ. निशिकान्त दुबे द्वारा संथाल परगना क्षेत्र के मूल निवासियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
9. श्री लुम्बा राम द्वारा राजस्थान के जालोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं का विस्तार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
10. श्रीमती भारती पारधी द्वारा मध्य प्रदेश के बालाघाट तक पातालकोट एक्सप्रेस(रेलगाड़ी संख्या 14623/24) की सेवाओं का विस्तार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
11. श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागि द्वारा एलआईसी एजेंटों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में।
12. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश द्वारा दावों के निपटान में निजी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी आचरण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
13. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी द्वारा नंदूरबार और पुणे के बीच रेल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
14. श्री गौरव गोगोई द्वारा असम में जोरहाट और माजुली को जोड़ने वाले पुल के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
15. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका द्वारा ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच महानदी जल विवाद का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
16. श्री राम शिरोमणि वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीएपी उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में धान के किसानों के लिए खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
18. श्री खलीलुर रहमान द्वारा पश्चिम बंगाल में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मुर्शिदाबाद केन्द्र में विभिन्न स्नातक/स्नातकोत्तर व्यावसायिक कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए जाने के बारे में।
19. थिरु डी.एम. कथीर आनंद द्वारा तमिलनाडु को करों का बढ़ा हुआ हस्तांतरण प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
20. श्री सेल्वागणपति टी.एम. द्वारा तमिलनाडु में लम्बाडीस समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
21. श्री जी एम हरीश बालयोगी द्वारा आंध्र प्रदेश के कोनासीमा क्षेत्र में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का व्यापक कार्यान्वयन किए जाने के बारे में।
22. श्री दिनेश चंद्र यादव द्वारा बिहार में कोसी नदी पर रिंग बांध के निर्माण के बारे में।
23. श्री सुदामा प्रसाद द्वारा बिहार के शाहाबाद क्षेत्र में सोन नदी पर इंद्रपुरी जलाशय परियोजना के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
24. डॉ. राजेश मिश्रा द्वारा मधुमक्खियों के डंक से होने वाली मानव मृत्यु को अप्राकृतिक मृत्यु घोषित करने तथा ऐसी मृत्यु के लिए मुआवजे के भुगतान का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
25. श्री इमरान मसूद द्वारा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शेख-उल-हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशियलिटी विभाग स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
26. श्री जुगल किशोर द्वारा कारगिल युद्ध के दौरान छंब सेक्टर से पलायन करने वाले परिवारों को मुआवजा दिए जाने तथा जम्मू-कश्मीर के सांबा मीरपुर में कैनाल बांध के कारण विस्थापित हुए लोगों को मुआवजे का भुगतान बहाल किए जाने के बारे में।
27. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा अनाथ एवं परित्यक्त बच्चों को शिक्षा एवं रोजगार के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधान बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
28. श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा औद्योगिक अपशिष्ट के कारण इंदिरा गांधी नहर में प्रदूषण के बारे में।



10. सरकारी विधेयक - विचाराधीन

रेल (संशोधन) विधेयक, 2024.

आबंटित समय : 4 घंटे

लिया गया समय : 5 घंटे 50 मिनट

श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री मनोज कुमार
2. श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन
3. श्री नीरज मौर्य
4. श्री बापी हलदर
5. श्री थंगा तमिलसेल्वन
6. श्री जी. एम. हरीश बालयोगी
7. श्री कौशलेन्द्र कुमार
8. श्री अरविंद गणपत सावंत
9. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
10. श्री निलेश ज्ञानदेव लंके
11. श्रीमती अपराजिता सारंगी
12. श्री एम.के. राघवन
13. श्री राजेश वर्मा
14. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी
15. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी
16. श्री धर्मबीर सिंह
17. श्रीमती संजना जाटव
18. श्री रमाशंकर राजभर
19. श्री सुधाकर सिंह
20. श्रीमती मिताली बाग
21. श्री जी. सेल्वम
22. श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल
23. श्री काली चरण मुंडा
24. श्री अमरा राम

25. श्री सुदामा प्रसाद
26. श्री चंदन चौहान
27. कामरेड वी. सेल्वाराज
28. सुश्री कंगना रनौत
29. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे
30. श्रीमती लवली आनंद
31. एडवोकेट चन्द्र शेखर
32. श्री राजेश रंजन
33. श्री कल्याण बनर्जी
34. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
35. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
36. श्री कामाख्या प्रसाद तासा
37. श्री गुरजीत सिंह औजला
38. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर
39. श्री अनुराग शर्मा
40. श्री असादुद्दीन ओवैसी
41. श्री वीरेन्द्र सिंह
42. श्री राधा मोहन सिंह
43. श्री सी. एन. अन्नादुरई
44. श्री दिलीप शङ्कीया
45. डॉ. मल्लू रवि
46. श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी
47. श्री रविंद्र दत्ताराम वाङ्कर
48. श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल
49. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर
50. श्री खगेन मुर्मु
51. श्री राजकुमार रोट
52. श्री दर्शन सिंह चौधरी
53. श्री बी. मणिक्कम टैगोर
54. श्री आशीष दुबे
55. एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्ज
56. श्री लालजी वर्मा
57. श्री भारत सिंह कुशवाह

58. श्रीमती सुप्रिया सुले
59. श्री बंटी विवेक साहू
60. श्रीमती भारती पारधी
61. श्री कुलदीप इंदौरा
62. श्रीमती मंजू शर्मा
63. डॉ. राजीव भारद्वाज
64. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत
65. श्री बलभद्र माझी
66. डॉ. मन्ना लाल रावत
67. श्री राजमोहन उन्नीथन
68. डॉ. राजेश मिश्रा
69. श्री जय प्रकाश
70. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि
71. डॉ. फग्गन सिंह कुलस्ते
72. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग

चर्चा पूरी नहीं हुई।

**सायं 7.00 बजे**

*(लोक सभा गुरुवार, 5 दिसम्बर, 2024 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**उत्पल कुमार सिंह  
महासचिव**

लोक सभा

-----

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

-----

गुरुवार, 5 दिसम्बर, 2024/ 14 अग्रहायण, 1946 (शक)

-----

संख्या 30

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 141 से 147 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 148 से 160 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1611 से 1840 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी \*

अध्यक्ष ने टिप्पणी की और सदस्यों से नियमों का पालन करने तथा सभा की गरिमा बनाए रखने की अपील की।

अपराह्न 12.03 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

---

\* मूल हिंदी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

- (1) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 3471(अ), जो दिनांक 14 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 17 जनवरी, 2024 की अधिसूचना संख्या का.आ. 246(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।  
(दो) एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।  
(दो) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।  
(दो) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) आरईसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।  
(दो) आरईसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।  
(दो) ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।  
(दो) नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक

प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (3) (एक) एसजेवीएन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।  
(दो) एसजेवीएन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (4) (एक) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए), जम्मू के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए), जम्मू के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्रों के लिए), गुडगांव के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्रों के लिए), गुडगांव के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (3) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश गोपी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
  - (क) (एक) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।  
(दो) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
  - (ख) (एक) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।  
(दो) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
  - (ग) (एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।  
(दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
  - (घ) (एक) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।  
(दो) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
  - (ङ) (एक) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल), नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।  
(दो) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल), नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
  - (च) (एक) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पोलिमर लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।  
(दो) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पोलिमर लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
  - (छ) (एक) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

- (दो) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ज) (एक) बामर एंड लारी एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) बामर एंड लारी एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (झ) (एक) बामर लारी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बामर लारी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ञ) (एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ट) (एक) भारत पेट्रोरिसॉर्सेज लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) भारत पेट्रोरिसॉर्सेज लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त 1 की मद संख्या (ट) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2024-2025 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (दो) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2024-2025 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (तीन) बामर लारी एंड कंपनी लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2024-2025 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (चार) मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2024-2025 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।



सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्र (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) नेशनल हाइवेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (2) नेशनल हाइवेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवनीत सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2021 की धारा 39 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
  - (एक) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान, तंजावुर, तमिलनाडु अकादमिक अध्यादेश, 2024 जो दिनांक 12 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. I-12052/3/2023-आईडी में प्रकाशित हुआ था।
  - (दो) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान, कुंडली, हरियाणा अकादमिक अध्यादेश, 2024 जो दिनांक 7 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या I-11018/1/2023-आईडी में प्रकाशित हुआ था।
- (2) नेशनल मीट एंड पोलट्री प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (3) नेशनल मीट एंड पोलट्री प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दुर्गादास उइके) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) रामकृष्ण शारदा मिशन, खोंसा, तिराप, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) रामकृष्ण शारदा मिशन, खोंसा, तिराप, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) बुद्धिस्ट कल्चरल प्रिजर्वेशन सोसाएटी, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) बुद्धिस्ट कल्चरल प्रिजर्वेशन सोसाएटी, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) भारत सेवाश्रम संघ, मुर्शिदाबाद के वर्ष 2015-2016, 2016-2017, 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) भारत सेवाश्रम संघ, मुर्शिदाबाद के वर्ष 2015-2016, 2016-2017, 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) भारत सेवाश्रम संघ, बेलडांगा, मुर्शिदाबाद के वर्ष 2015-2016, 2016-2017, 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) भारत सेवाश्रम संघ, बेलडांगा, मुर्शिदाबाद के वर्ष 2015-2016, 2016-2017, 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) भारत सेवाश्रम संघ, मुलुक बोलपुर, बीरभूम, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारत सेवाश्रम संघ, मुलुक बोलपुर, बीरभूम, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) भारत सेवाश्रम संघ, बालूरघाट, दक्षिण दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारत सेवाश्रम संघ, बालूरघाट, दक्षिण दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) गोल्दिहाजाति-उपजाति ब्लू बर्ड वूमेन्स वेलफेयर सेंटर, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2022-2023 और 2023-24 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) गोल्दिहाजाति-उपजाति ब्लू बर्ड वूमेन्स वेलफेयर सेंटर, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2022-2023 और 2023-24 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (14) (एक) भारत सेवाश्रम संघ, कुनोर, उत्तर दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2022-2023 और 2023-24 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारत सेवाश्रम संघ, कुनोर, उत्तर दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2022-2023 और 2023-24 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) विवेकानन्द इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ एंड वेलफेयर सर्विस, नारायणपुर, छत्तीसगढ़ के वर्ष 2017-2018, 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) विवेकानन्द इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ एंड वेलफेयर सर्विस, नारायणपुर, छत्तीसगढ़ के वर्ष 2017-2018, 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एसोसिएशन, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एसोसिएशन, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) रिनचेन जांगपो सोसाएटी, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रिनचेन जांगपो सोसाएटी, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (21) (एक) ग्राम विकास परिषद, असम के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 और 2017-2018 के लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ग्राम विकास परिषद, असम के वर्ष 2015-2016, 2016-2017 और 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) आदर्श लोक कल्याण संस्था, मध्य प्रदेश के वर्ष 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) आदर्श लोक कल्याण संस्था, मध्य प्रदेश के वर्ष 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के लिए उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) केशम ग्रामोत्थान शिक्षण समिति, डिंडोरी, मध्य प्रदेश के वर्ष 2016-2017 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2016-2017, 2021-2022 और 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केशम ग्रामोत्थान शिक्षण समिति, डिंडोरी, मध्य प्रदेश के वर्ष 2016-2017, 2021-2022 और 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) वर्ष 2016-2017 और 2021-2022 के लिए उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) एमपी आदिवासी सेवक संघ, मध्य प्रदेश के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमपी आदिवासी सेवक संघ, मध्य प्रदेश के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) पाण्डेय शिक्षा समिति, सतना, मध्य प्रदेश के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पाण्डेय शिक्षा समिति, सतना, मध्य प्रदेश के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) (एक) खाण्डेराव एजुकेशन सोसाएटी, धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) खाण्डेराव एजुकेशन सोसाएटी, धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) (एक) रेणुका देवी शिक्षण प्रसारक मंडल, महाराष्ट्र के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रेणुका देवी शिक्षण प्रसारक मंडल, महाराष्ट्र के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) (एक) जय हिन्द मित्र मण्डल, महाराष्ट्र के वर्ष 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जय हिन्द मित्र मण्डल, महाराष्ट्र के वर्ष 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (35) (एक) भारत सेवाश्रम संघ, (बरजुरी यूनिट), घाटशिला, झारखण्ड के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारत सेवाश्रम संघ, (बरजुरी यूनिट), घाटशिला, झारखण्ड के वर्ष 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के लिए उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) (एक) भारत सेवाश्रम संघ, (सोनारी), जमशेदपुर, झारखण्ड के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारत सेवाश्रम संघ, (सोनारी), जमशेदपुर, झारखण्ड के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) (एक) भारत सेवाश्रम संघ, (पाकुर), झारखण्ड के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारत सेवाश्रम संघ, (पाकुर), झारखण्ड के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) (एक) रामकृष्ण मिशन ट्यूबरक्लोसिस सेनेटोरियम, झारखण्ड के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रामकृष्ण मिशन ट्यूबरक्लोसिस सेनेटोरियम, झारखण्ड के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) (एक) रामकृष्ण मिशन आश्रम चेरापूँजी, मेघालय के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) रामकृष्ण मिशन आश्रम चेरापूंजी, मेघालय के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) (एक) इंटरनेशनल रूरल एजुकेशन एंड कल्चरल एसोसिएशन (आईएनआरईसीए) रायपीपला रोड, टिम्बापाड़ा, देदियापाड़ा जिला नर्मदा, गुजरात के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंटरनेशनल रूरल एजुकेशन एंड कल्चरल एसोसिएशन (आईएनआरईसीए) रायपीपला रोड, टिम्बापाड़ा, देदियापाड़ा जिला नर्मदा, गुजरात के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) (एक) श्री स्वामी सर्व धर्म शरणालय ट्रस्ट, तुमकुर, कर्नाटक के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) श्री स्वामी सर्व धर्म शरणालय ट्रस्ट, तुमकुर, कर्नाटक के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) (एक) भारत सेवाश्रम संघ, (सुंदरगढ़ शाखा), जिला-सुंदरगढ़, ओडिशा के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारत सेवाश्रम संघ, (सुंदरगढ़ शाखा), जिला-सुंदरगढ़, ओडिशा के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (49) (एक) कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जिला-खोर्दा, ओडिशा के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।



- (दो) कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जिला-खोर्दा, ओडिशा के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (50) (एक) होली होम, नुआपाड़ा, ओडिशा के वर्ष 2016-2017, 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) होली होम, नुआपाड़ा, ओडिशा के वर्ष 2016-2017, 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (51) (एक) कोरापुट डेवलपमेंट फाउंडेशन, जिला-कोरापुट, ओडिशा के वर्ष 2013-2014, 2014-2015 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2021-2022 और 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कोरापुट डेवलपमेंट फाउंडेशन, जिला-कोरापुट, ओडिशा के वर्ष 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2021-2022 और 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (52) वर्ष 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2021-2022 और 2022-2023 के उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (53) (एक) नेशनल यूथ सर्विस एक्शन एण्ड सोशल डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनवाईएसएसडीआरआई), संथासरा, डाक घर - संथापुर, बरास्ता: गोंदिया, जिला-ढेंकनाल, ओडिशा के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल यूथ सर्विस एक्शन एण्ड सोशल डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनवाईएसएसडीआरआई), संथासरा, डाक घर - संथापुर, बरास्ता: गोंदिया, जिला-ढेंकनाल, ओडिशा के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (55) (एक) प्रकल्प एटी/पीओ- ज्योतिपुर, जिला - ब्याँझर, ओडिशा के वर्ष 2018-2019, 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) प्रकल्प एटी/पीओ- ज्योतिपुर, जिला - ब्याँझर, ओडिशा के वर्ष 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (57) (एक) सर्वोदय समिति, गांधी नगर, एटी/पीओ-कोरापुट, ओडिशा के वर्ष 2016-2017, 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सर्वोदय समिति, गांधी नगर, एटी/पीओ-कोरापुट, ओडिशा के वर्ष 2016-2017, 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (59) (एक) श्री रामकृष्ण आश्रम पता डाक घर- एम. रामपुर, जिला- कालाहांडी, ओडिशा के वर्ष 2015-2016, 2016-2017, 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) श्री रामकृष्ण आश्रम पता डाक घर- एम. रामपुर, जिला- कालाहांडी, ओडिशा के वर्ष 2015-2016, 2016-2017, 2021-2022 और 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (60) (एक) सोसाइटी फॉर नेचर, एजुकेशन एंड हेल्थ (एसएनईएच), एनडी 19-20, आईआरसी विलेज, नयापल्ली, वीआईपी, भुवनेश्वर, ओडिशा के वर्ष 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सोसाइटी फॉर नेचर, एजुकेशन एंड हेल्थ (एसएनईएच), एनडी 19-20, आईआरसी विलेज, नयापल्ली, वीआईपी, भुवनेश्वर, ओडिशा के वर्ष 2020-21 और 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (61) उपर्युक्त (60) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (62) (एक) विश्व जीवन सेवा संघ, पता-सरधापुर, जिला- खुर्दा, ओडिशा के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2015-2016, 2016-2017 और 2017-2018 के लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) विश्व जीवन सेवा संघ, पता-सरधापुर, जिला- खुर्दा, ओडिशा का वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 और 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (63) उपर्युक्त (62) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (64) (एक) टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूशन एंड रूरल डेवलपमेंट सर्विस राज्य मणिपुर के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूशन एंड रूरल डेवलपमेंट सर्विस राज्य मणिपुर के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (65) उपर्युक्त (64) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (66) (एक) यूनाइटेड रूरल डेवलपमेंट सर्विस, थौबल, मणिपुर के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) यूनाइटेड रूरल डेवलपमेंट सर्विस, थौबल, मणिपुर के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (67) उपर्युक्त (66) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (68) (एक) चिल चिल एशियन मिशन सोसाइटी, कांगपोकपी, मणिपुर के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) चिल चिल एशियन मिशन सोसाइटी, कांगपोकपी, मणिपुर के वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (69) उपर्युक्त (68) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (70) (एक) सियामसिनपावल्पी, लामका, मणिपुर के वर्ष 2016-17 और 2022-23 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सियामसिनपावल्पी, लामका, मणिपुर के वर्ष 2016-17 और 2022-23 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (71) वर्ष 2016-2017 के लिए उपर्युक्त (70) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (72) (एक) ग्रामीय मक्कल अबिविरुधि इयक्कम, कोयंबटूर के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ग्रामीय मक्कल अबिविरुधि इयक्कम, कोयंबटूर के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (73) उपर्युक्त (72) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (74) (एक) नीलगिरि आदिवासी कल्याण संघ, कोटागिरी, तमिलनाडु के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नीलगिरि आदिवासी कल्याण संघ, कोटागिरी, तमिलनाडु के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (75) उपर्युक्त (74) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तोखन साहू) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 609(अ) जो दिनांक 8 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए, उसमें उल्लिखित विभिन्न उपयोगों/स्थानों के लिए प्रभार्य प्रीमियम की पूर्व-निर्धारित दरों को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

- (ग) (एक) हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2023-2024 के लिए कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।
- (ज) (एक) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।
- (झ) (एक) महाराष्ट्र मेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

- (दो) महाराष्ट्र मेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) (एक) दिल्ली नगर कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) दिल्ली नगर कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) दिल्ली नगर कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2024-2025 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू) ने सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) पवन हंस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) पवन हंस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

- (दो) रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त मद संख्या (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**5. राज्य सभा से संदेश**

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने 4 दिसम्बर, 2024 को हुई अपनी बैठक में बायलर विधेयक, 2024 पारित कर दिया है।

**6. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक - सभा पटल पर रखा गया  
बायलर विधेयक, 2024.**

**7. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन**

श्री गणेश सिंह ने अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2024-25) के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में समिति के 26वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पहला प्रतिवेदन।
- (2) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में समिति के 27वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।
- (3) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित 'कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अधीन विभिन्न विभागों/संगठनों/संस्थाओं में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में समिति के 30वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।



- (4) गृह मंत्रालय के अधीन 'केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में समिति के 33वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौथा प्रतिवेदन।

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.12 बजे<sup>#</sup> स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः सम्मवेत हुई।)*

**अपराह्न 2.00 बजे**

#### **8. नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:-

1. श्री अरुण गोविल द्वारा उत्तर प्रदेश के मेरठ में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी द्वारा पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता के अंतर्गत उत्तर कन्नड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गोकर्ण को आध्यात्मिक पर्यटन क्लस्टर के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री अनन्त नायक द्वारा ओडिशा के क्यॉझर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल वैगन मरम्मत कारखाना स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री सुरेश कुमार कश्यप द्वारा हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन में डॉ. यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्री सुनील कुमार द्वारा बिहार के वाल्मीकि नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ और कटाव के कारण विस्थापित हुए तथा वर्तमान में रेलवे की भूमि पर रह रहे लोगों का पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री अजय भट्ट द्वारा उत्तराखंड में वनों के ऊपर से गुजरने वाले हाईटेंशन तार के कारण लगने वाली वन आग की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. श्री प्रदीप पुरोहित द्वारा बारगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित गंधमर्दन पर्वत को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किए जाने तथा इसे पर्यटन, खेल एवं सतत विकास के केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

<sup>#</sup> अपराह्न 12.07 बजे से अपराह्न 12.12 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

8. श्री अरुण कुमार सागर द्वारा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एनएच-731 पर बाईपास के कथित घटिया निर्माण कार्य के बारे में।
9. श्री रविंद्र दत्ताराम वाइकर द्वारा मुंबई में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए पीएमएवाई के अंतर्गत आवासीय योजनाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
10. श्री असित कुमार मल द्वारा जीवन रक्षक दवाइयों की कीमतों के बारे में।
11. श्री बलभद्र माझी द्वारा मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड धारकों को दैनिक मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
12. श्री दिलीप शङ्कीया द्वारा असम में बोंगाईगांव रिफाइनरी की क्षमता विस्तार के बारे में।
13. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता के बारे में।
14. श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा महाराष्ट्र में किसानों से सोयाबीन की शीघ्र खरीद किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
15. श्री हरीश चंद्र मीना द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा को पशुपालन और डेयरी क्षेत्र तक विस्तारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
16. डॉ. विनोद कुमार बिंद द्वारा हावड़ा-लालकुआं एक्सप्रेस का भदोही रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिए जाने तथा ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन से लखनऊ तक ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
17. श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा कुरिची, केरल स्थित राष्ट्रीय होम्योपैथी मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान (एनएचआरआईएमएच) को एम्स, होम्योपैथी के रूप में उन्नत किए जाने के बारे में।
18. श्री रमेश अवस्थी द्वारा कानपुर के फजलगंज में टूल रूम एवं प्रौद्योगिकी केंद्र को पुनः प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
19. श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लखनऊ छावनी बोर्ड के अधीन क्षेत्र को संडीला तक विस्तारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
20. सुश्री इकरा चौधरी द्वारा विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में किसानों को डीएपी और यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
21. श्री लालजी वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के एनटीपीसी टांडा के ऐश डैम से होने वाले जल प्रदूषण के बारे में।
22. श्री संजय दीना पाटिल द्वारा मुंबई के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास रहने वाले लोगों के पुनर्वास की आवश्यकता के बारे में।
23. श्री थरानिवेथन एम. एस. द्वारा तमिलनाडु के गिंगी में राजा देसिंह किले में रोप कार सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 2.01 बजे

9. सरकारी विधेयक - विचाराधीन

रेल (संशोधन) विधेयक, 2024.

आबंटित समय : 4 घंटे

लिया गया समय : 6 घंटे 04 मिनट

श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा 4 दिसम्बर, 2024 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

श्री अश्विनी वैष्णव ने वाद-विवाद पर अपना उत्तर आरंभ किया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराहन 2.11 बजे स्थगित हुई और अपराहन 3.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

श्री अश्विनी वैष्णव ने अपना भाषण पुनः आरंभ किया और उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराहन 3.04 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा शुक्रवार, 6 दिसम्बर, 2024 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह  
महासचिव

लोक सभा

-----

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

-----

शुक्रवार, 6 दिसम्बर, 2024/ 15 अग्रहायण, 1946 (शक)

-----

संख्या 31

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिए जा सके। अतः आज की कार्यसूची में शामिल तारांकित प्रश्न संख्या 161 से 180 अतारांकित माने गए और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1841 से 2070 के उत्तरों के साथ आज की अधिकारिक रिपोर्ट में मुद्रित किए जाएंगे।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

मध्याह्न 12.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) भारत के विधि आयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) प्रतिवेदन संख्या 278 - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VII के नियम 14(4) में संशोधन की तत्काल आवश्यकता।
- (दो) प्रतिवेदन संख्या 279 - राजद्रोह के कानून की प्रथा।
- (तीन) प्रतिवेदन संख्या 280 - प्रतिकूल कब्जे संबंधी कानून।
- (चार) प्रतिवेदन संख्या 281 - भारतीय तार अधिनियम, 1885 और विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत टावरों और ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना के कारण क्षति के लिए मुआवजा।
- (पांच) प्रतिवेदन संख्या 282 - एफआईआर के ऑनलाइन पंजीकरण को सुगम बनाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 में संशोधन।
- (छह) प्रतिवेदन संख्या 283 - लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत सहमति की आयु।
- (सात) प्रतिवेदन संख्या 284 - सार्वजनिक संपत्ति को क्षति की रोकथाम संबंधी कानून की समीक्षा।
- (आठ) प्रतिवेदन संख्या 285 - आपराधिक मानहानि संबंधी कानून।
- (नौ) प्रतिवेदन संख्या 286 - महामारी अधिनियम, 1897 की समग्र समीक्षा।
- (दस) प्रतिवेदन संख्या 287 - अनिवासी भारतीयों और भारत के प्रवासी नागरिकों से संबंधित वैवाहिक मुद्दों संबंधी कानून।
- (ग्यारह) प्रतिवेदन संख्या 289 - व्यापार गोपनीयता और आर्थिक जासूसी।

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) फूड सेफ्टी एंड स्टेण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) फूड सेफ्टी एंड स्टेण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त मद संख्या (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज, आइजोल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज, आइजोल के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त मद संख्या (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-  
(एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विष और अवशेष) पहला संशोधन विनियम, 2024 जो दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या 01-एसपी(पीएआर)-अधिसूचना-कीटनाशक/मानक-एफएसएसएआई /2017 में प्रकाशित हुए थे।  
(दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिषेध) पहला संशोधन विनियम, 2024 जो दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या आरईजी-11027/2/2022 विनियम-एफएसएसएआई में प्रकाशित हुए थे।

(6) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 56 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग (आयुर्वेदिक औषधि और शल्यचिकित्सा में स्नातक हेतु पूर्व-आयुर्वेद-कार्यक्रम) विनियम, 2024 जो दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. बीओए/3-बी/पीएपी/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग (स्नातकोत्तर यूनानी शिक्षा के लिए न्यूनतम मानक तथा स्नातकोत्तर संस्थानों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, मूल्यांकन और रेटिंग) विनियम, 2024 जो दिनांक 30 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. बीयूएसएस/यूनानी पीजी विनि./2023 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग (स्नातकोत्तर सिद्ध शिक्षा के लिए न्यूनतम मानक तथा स्नातकोत्तर संस्थानों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, मूल्यांकन और रेटिंग) विनियम, 2024 जो दिनांक 30 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. बीयूएसएस/सिद्ध पीजी विनि./2023 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा के लिए न्यूनतम मानक तथा स्नातकोत्तर संस्थानों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, मूल्यांकन और रेटिंग) विनियम, 2024 जो दिनांक 4 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. बीओए/2-आई/2024 में प्रकाशित हुए थे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, गुवाहाटी के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, गुवाहाटी के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, रायबरेली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, रायबरेली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) नई दिल्ली ट्यूबरकलोसिस केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नई दिल्ली ट्यूबरकलोसिस केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त मद संख्या (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पोपुलेशन साइंसेज, मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पोपुलेशन साइंसेज, मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त मद संख्या (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) ओषधि (.....संशोधन) नियम, 2023, जो दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.922(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका शुद्धपत्र जो दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 666(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (दो) नवीन ओषधि और नैदानिक परीक्षण (संशोधन) नियम, 2024, जो दिनांक 19 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 581(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (8) उपर्युक्त मद संख्या 7 (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।



पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्तनु ठाकुर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
  - (क) (एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।  
(दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
  - (ख) (एक) हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, हावड़ा के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।  
(दो) हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, हावड़ा का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
  - (ग) (एक) उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कांचीपुरम के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।  
(दो) उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कांचीपुरम का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
  - (घ) (एक) कामराजर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।  
(दो) कामराजर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) (एक) न्यू मंगलोर पोर्ट अथॉरिटी, मंगलोर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।  
(दो) न्यू मंगलोर पोर्ट अथॉरिटी, मंगलोर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।  
(तीन) न्यू मंगलोर पोर्ट अथॉरिटी, मंगलोर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी, तूतीकोरीन के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी, तूतीकोरीन के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) मुंबई पोर्ट अथॉरिटी, मुंबई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मुंबई पोर्ट अथॉरिटी, मुंबई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) टेरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट, मुंबई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) टेरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट, मुंबई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) इंडियन मेरिटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन मेरिटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंडियन मेरिटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 73 के अंतर्गत न्यू मंगलोर पत्तन प्राधिकरण (बोर्ड की बैठकें, इसकी शक्तियां और कारबार का संव्यवहार) विनियम, 2024 जो 19 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11/2/2022/पीएसी.1 में प्रकाशित हुए थे, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ख) (एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, दिरांग के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, दिरांग के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।
- (3) (एक) हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री ठाकुर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक को-ऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक को-ऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।
- (2) उपर्युक्त मद संख्या (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

### 3. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 5 दिसम्बर, 2024 को हुई अपनी बैठक में भारतीय वायुयान विधेयक, 2024, लोक सभा द्वारा यथापारित, पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

### 4. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. फगुन सिंह कुलस्ते ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2024-25) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) "दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के विशेष संदर्भ में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में आरक्षण नीति का कार्यान्वयन" विषय के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 31वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पहला प्रतिवेदन।
- (2) "आरक्षण नीति के निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की भूमिका" विषय के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 25वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।

### 5. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं, निवेश और लोक आस्ति प्रबंधन और लोक उद्यम विभाग) की अनुदानों की मांगों (2024-25) संबंधी पहला प्रतिवेदन।
- (2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2024-25) संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।

- (3) कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2024-25) संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।
- (4) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2024-25) संबंधी चौथा प्रतिवेदन।
- (5) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2024-25) संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।
- (6) “साइबर सुरक्षा और साइबर/व्हाइट कॉलर अपराधों की बढ़ती घटनाएं” विषय के बारे में 59वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी छठा प्रतिवेदन।
- (7) “बीमा क्षेत्र की कार्य-निष्पादन समीक्षा एवं विनियमन” विषय के बारे में 66वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

## 6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव) ने ‘कैंसर देखभाल योजना और प्रबंधन: रोकथाम, निदान, अनुसंधान और कैंसर उपचार की वहनीयता’ विषय पर विभाग से संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 139वें और 147वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।
- (2) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कीर्तिवर्धन सिंह) ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य दिए:-
  - (एक) विदेश मंत्रालय से संबंधित “प्रवासी भारतीयों का कल्याण: नीतियां/योजनाएं” के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
  - (दो) विदेश मंत्रालय से संबंधित “अनुदानों की मांगे (2023-24)” के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
  - (तीन) विदेश मंत्रालय से संबंधित “भारत की पड़ोस प्रथम नीति” के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

## 7. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने 9 दिसम्बर, 2024 से आरंभ हो रहे सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

## 8. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भुवनेश्वर, बिलासपुर, मंगलागिरी, बीबीनगर, पटना, मदुरै, ऋषिकेश, देवघर और गुवाहाटी के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री जगत प्रकाश नड्डा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि एम्स (संशोधन) अधिनियम, 2012 की धारा 6 के साथ पठित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) अधिनियम, 1956 की धारा 4 (छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन नौ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) भुवनेश्वर, बिलासपुर, मंगलागिरी, बीबीनगर, पटना, मदुरै, ऋषिकेश, देवघर और गुवाहाटी के लिए अपने में से, प्रत्येक के लिए, दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

## अपराहन 12.06 बजे

## 9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:-

1. श्री जनार्दन मिश्रा द्वारा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के दौरान मरीजों के उपचार पर हुए सभी खर्चों का ब्यौरा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया द्वारा हिम्मतनगर-खेडब्रह्मा और महेसाणा-अंबाजी नई रेलवे लाइन परियोजनाओं के निर्माण में तेजी लाई जाने की आवश्यकता के बारे में।

3. श्री गणेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश में पर्यटन महत्व के स्थानों को जोड़ने वाले पर्यटन सर्किट के विकास के बारे में।
4. श्रीमती मंजू शर्मा द्वारा शहरों में अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्री जगदम्बिका पाल द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री मन्ना लाल रावत द्वारा देश के युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. श्री मनीष जायसवाल द्वारा झारखंड के हजारीबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों पर ब्लैक स्पॉट के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
8. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव द्वारा अनुसूचित जनजातियों की सूची में 'कुली' को 'कुलिस' के पर्याय के रूप में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
9. श्री रोडमल नागर द्वारा झालावाड़ के रास्ते रामगंजमंडी और उज्जैन के बीच नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
10. सुश्री एस. जोतिमणि द्वारा एलआईसी एजेंटों और पॉलिसी धारकों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
11. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद द्वारा तमिलनाडु में नेवेली हवाई अड्डे से नियमित वाणिज्यिक उड़ानों के संचालन के बारे में।
12. श्री के. सी. वेणुगोपाल द्वारा केरल में अलप्पुझा डेंटल कॉलेज की मान्यता वापस लेने के भारतीय दंतचिकित्सा परिषद के निर्णय के बारे में।
13. श्री मुरारी लाल मीना द्वारा राजस्थान में विद्युत क्षेत्र के निजीकरण के बारे में।
14. श्री धर्मेन्द्र यादव द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी ओबीसी कर्मचारियों के संबंध में क्रीमी लेयर के निर्धारण के बारे में।

15. श्री सी. एन. अन्नादुरई द्वारा तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के चिन्नामोत्तूर गांव में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
16. श्री अरविंद गणपत सावंत द्वारा एमटीएनएल और बीएसएनएल के पुनरुद्धार के बारे में।
17. श्री जयन्त बसुमतारी द्वारा बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में मलेरिया से हुई मौतों की घटनाओं के बारे में।
18. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल द्वारा दमन एवं दीव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मछुआरों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के बारे में ।

**# अपराहन 12.09 बजे**

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा सोमवार, 9 दिसम्बर, 2024 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**उत्पल कुमार सिंह  
महासचिव**

---

<sup>#</sup> अपराहन 12.08 बजे से अपराहन 12.09 बजे तक, सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।



लोक सभा

-----

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

-----

सोमवार, 9 दिसम्बर, 2024/ 18 अग्रहायण, 1946 (शक)

-----

संख्या 32

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिए जा सके। अतः आज की कार्यसूची में शामिल तारांकित प्रश्न संख्या 181 से 200 अतारांकित माने गए और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 2071 से 2300 के उत्तरों के साथ आज की अधिकारिक रिपोर्ट में मुद्रित किए जाएंगे।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

मध्याह्न 12.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) लक्षद्वीप समग्र शिक्षा राज्य मिशन प्राधिकरण, कवरत्ती के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) लक्षद्वीप समग्र शिक्षा राज्य मिशन प्राधिकरण, कवरत्ती के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) उत्तराखण्ड समग्र शिक्षा, देहरादून के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) उत्तराखण्ड समग्र शिक्षा, देहरादून के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) समग्र शिक्षा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, दमन के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) समग्र शिक्षा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, दमन के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) समग्र शिक्षा चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) समग्र शिक्षा चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (किसी निर्गम के बैंकर) (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 20 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी-एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/211 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी उद्यम पूँजी निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 5 सितंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी-एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/203 में प्रकाशित हुए थे।

- (तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्यूचुअल फंड) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 2 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी-एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/197 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 6 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी-एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/198 में प्रकाशित हुए थे।
- (पाँच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 18 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी-एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/205 में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिंग) (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 25 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी-एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/206 में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश ट्रस्ट) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 27 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी-एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/207 में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 27 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी-एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/208 में प्रकाशित हुए थे।
- (2) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) सा.का.नि. 3485(अ) जो दिनांक 14 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमाशुल्क(एनटी) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) का.आ.3720(अ) जो दिनांक 30 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमाशुल्क (एनटी) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) का.आ.3945(अ) जो दिनांक 13 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमाशुल्क (एनटी) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) का.आ.4239(अ) जो दिनांक 26 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या

- (पाँच) 36/2001-सीमाशुल्क (एनटी) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।  
का.आ.4267(अ) जो दिनांक 30 सितंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमाशुल्क (एनटी) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सा.का.नि.4535(अ) जो दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका दिनांक आशय 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमाशुल्क (एनटी) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सा.का.नि.4642(अ) जो दिनांक 23 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमाशुल्क (एनटी) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सा.का.नि.4777(अ) जो दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमाशुल्क (एनटी) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सा.का.नि.4906(अ) जो दिनांक 12 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमाशुल्क (एनटी) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) सा.का.नि.4919(अ) जो दिनांक 13 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमाशुल्क (एनटी) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) सा.का.नि.4931(अ) जो दिनांक 14 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमाशुल्क (एनटी) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 का आदेश संख्या एफ. सं. 462/07/2024-सीमाशुल्क V (2024 का तदर्थ छूट आदेश संख्या 06) जो जिम्बाब्वे, मलावी, जाम्बिया और नामीबिया को खाद्यान्न के रूप में मानवीय सहायता के संबंध में सीमाशुल्क के भुगतान से तदर्थ छूट प्रदान करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (3) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत सा.का.नि.725(अ) जो दिनांक 22 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनका आशय दिनांक 27 मार्च, 2021 की अधिसूचना संख्या 18/2021-सीमाशुल्क (एडीडी) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (4) केंद्रीय उत्पादशुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत सा.का.नि.716(अ) जो दिनांक 19 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनका आशय दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय उत्पादशुल्क में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (5) शेयर बाजार घोटाला और उससे संबंधित मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति-दिसम्बर 2024 की सिफारिशों के अनुसरण में की-गई-कार्रवाई संबंधी 43वें प्रगति प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनोमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनोमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-  
(एक) इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।  
(दो) इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारानन्दलाजे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 40 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-  
(एक) का.आ.3046(अ) जो दिनांक 30 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित निम्नलिखित औद्योगिक उपक्रमों में लगी सेवाओं को 30 जुलाई, 2024 से छह महीने की और अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में अधिसूचित किया गया है।

- (दो) का.आ.3096(अ) जो दिनांक 2 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित एल्युमिना और एल्युमिनियम के विनिर्माण और बॉक्साइट खनन उद्योग में लगी सेवाओं को 4 सितंबर, 2024 से छह महीने की और अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया गया है।
- (तीन) का.आ.3493(अ) जो दिनांक 16 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसूर, कर्नाटक में लगी सेवाओं को दिनांक 19.08.2024 से छह महीने की और अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- (चार) का.आ.3494(अ) जो दिनांक 16 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित भूमि या जल मार्ग से यात्रियों या माल के परिवहन के लिए परिवहन उद्योग (रेलवे के अलावा) में लगी सेवाओं को दिनांक 16 अगस्त, 2024 से छह महीने की और अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- (पाँच) का.आ.3495(अ) जो दिनांक 16 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा लौह और इस्पात उद्योगों में लगी सेवाओं को 17 अगस्त, 2024 से छह महीने की और अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- (छह) का.आ.3646(अ) जो दिनांक 28 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा खनिज तेल (कच्चा तेल), मोटर और विमानन स्पिरिट, डीजल तेल, केरोसीन तेल, ईंधन तेल, विविध हाइड्रोकार्बन तेलों और सिंथेटिक ईंधनों, लुब्रिकेटिंग ऑयलों सहित इसी तरह के अन्य मिश्रणों के विनिर्माण या उत्पादन में लगी सेवाओं को 28 अगस्त, 2024 से छह महीने की और अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- (सात) का.आ.4486(अ) जो दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा लौह अयस्क खनन में लगी सेवाओं को 14 अक्टूबर, 2024 से छह महीने की और अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- (आठ) का.आ.4822(अ) जो दिनांक 6 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा सीसा और जस्ता खनन उद्योग में लगे उद्योग की सेवाओं को 14 अक्टूबर, 2024 से छह महीने की और अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में अधिसूचित किया गया है।

- (नौ) का.आ.4823(अ) जो दिनांक 6 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लिमिटेड, मैसूर (कर्नाटक) और सालबोनी (पश्चिम बंगाल) में लगी सेवाओं को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- (दस) का.आ.4828(अ) जो दिनांक 6 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा तांबा खनन उद्योग में लगी सेवाओं को 7 नवम्बर, 2024 से छह महीने की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित करना अधिसूचित किया गया है।
- (2) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उप-धारा (1) और (2) के अंतर्गत कर्मचारी जमा-लिंकड बीमा (दूसरा संशोधन) योजना, 2024 जो 19 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.715(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कीर्तिवर्धन सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 10 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3864(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) पर्यावरण संरक्षण (जांच करने और शास्ति लगाने की रीति) नियम, 2024 जो दिनांक 4 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 4790(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2012 जो दिनांक 28 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 513(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2017 जो दिनांक 9 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2537(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पाँच) पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 2020 जो दिनांक 22 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3235(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2020, जो दिनांक 18 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1127(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 2020 जो दिनांक 3 दिसम्बर, 2020 भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 4367 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 16 जून, 2021 भारत के

राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2346(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) पर्यावरण (संरक्षण) पांचवां संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 5487(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ.1567(अ) जो दिनांक 15 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नेशनल पार्क, रोलापडू वन्यजीव अभयारण्य, आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।

(दो) का.आ.2409(अ) जो दिनांक 18 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।

(तीन) का.आ.2936(अ) जो दिनांक 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा श्री पेनुसिला वन्यजीव अभयारण्य, आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।

(चार) का.आ.3922(अ) जो दिनांक 22 सितंबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभयारण्य, आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।

(पाँच) का.आ. 4373(अ) जो दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।

(छह) का.आ.1193(अ) जो दिनांक 12 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कैपबेल बे नेशनल पार्क, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।

(सात) का.आ.1194(अ) जो दिनांक 12 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गैलेथिया बे नेशनल पार्क, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।



- (आठ) का.आ.2020(अ) जो 29 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।
- (नौ) का.आ.1923(अ) जो दिनांक 6 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा सेरसा आर्किड सेंचुरी ईगल नेस्ट डब्ल्यूएलएस और पाक्के टाइगर रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश के आसपास के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।
- (दस) का.आ. 1718(अ) जो 30 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा केन वन्यजीव अभयारण्य, अरुणाचल प्रदेश के आस-पास के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।
- (ग्यारह) का.आ. 3243(अ) जो 9 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कमलांग वन्यजीव अभयारण्य ओर नामदफा बाघ अभयारण्य, अरुणाचल के आस-पास के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।
- (बारह) का.आ. 1716(अ) जो 30 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य, असम के आस-पास के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।
- (तेरह) का.आ. 1923(अ) जो 25 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पानीदिहिंग पक्षी अभयारण्य, असम के आस-पास के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।
- (चौदह) का.आ. 1924(अ) जो 25 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बराइल वन्यजीव अभयारण्य, असम के आस-पास के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।
- (पंद्रह) का.आ. 2715(अ) जो 11 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 7 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.1817(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सोलह) का.आ. 70(अ) जो 10 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य, बिहार के आस-पास के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।
- (सत्रह) का.आ. 3184(अ) जो 6 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 10 जनवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.71(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (अठारह) का.आ. 3736(अ) जो 2 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 2 सितम्बर, 2024 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3549(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (उन्नीस) का.आ. 3831(अ) जो 6 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 10 जनवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 70(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बीस) का.आ. 4337(अ) जो 4 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 23 नवम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3517(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (इक्कीस) का.आ. 4386(अ) जो 9 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 12 जुलाई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2201(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बाईस) का.आ. 834(अ) जो 22 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 20 जून, 1991 की अधिसूचना संख्या का.आ. 416(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तेईस) का.आ. 3592(अ) जो 2 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 फरवरी, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 133(अ) कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चौबीस) का.आ. 327(अ) जो 24 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 1996 की अधिसूचना संख्या का.आ. 884(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पच्चीस) का.आ. 2820(अ) जो 21 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 17 जनवरी, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 52(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (छब्बीस) का.आ. 625(अ) जो 9 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 1996 की अधिसूचना संख्या का.आ. 884(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सत्ताईस) का.आ. 1125(अ) जो 10 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 1996 की अधिसूचना संख्या का.आ. 884(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (अट्ठाईस) का.आ. 2133(अ) जो 9 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 1996 की अधिसूचना संख्या का.आ.

884(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (उनतीस) का.आ. 4029(अ) जो 30 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 25 जून, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1545(अ) में संशोधन किया गया है।
- (तीस) का.आ. 2994(अ) जो 12 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नियोरा वैली नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल के आस-पास के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशीलक्षेत्र घोषित किया गया है।
- (इकतीस) का.आ. 3613(अ) जो 17 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सिंगालीला नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल के आस-पास के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशीलक्षेत्र घोषित किया गया है।
- (बत्तीस) का.आ. 5836(अ) जो 26 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा रायगंज वन्यजीव अभयारण्य, पश्चिम बंगाल के आस-पास के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशीलक्षेत्र घोषित किया गया है।
- (तैंतीस) का.आ. 319(अ) जो 15 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सेंचल वन्यजीव अभयारण्य, पश्चिम बंगाल के आस-पास के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशीलक्षेत्र घोषित किया गया है।
- (चौतीस) का.आ. 1931(अ) जो 7 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा चपरामारी वन्यजीव अभयारण्य, पश्चिम बंगाल के आस-पास के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशीलक्षेत्र घोषित किया गया है।
- (पैंतीस) का.आ. 3151(अ) जो 30 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा रमनाबागान वन्यजीव अभयारण्य, पश्चिम बंगाल के आस-पास के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।
- (छत्तीस) का.आ. 3652(अ) जो दिनांक 10 अक्टूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिभूतिभूषण वन्यजीव अभयारण्य के आस-पास के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।
- (सैंतीस) का.आ. 1962(अ) जो दिनांक 18 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा रमनाबागान वन्यजीव अभयारण्य के आस-पास पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र की अंतिम अधिसूचना में संशोधन किए गए हैं।
- (अड़तीस) का.आ. 2937(अ) जो दिनांक 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बल्लवपुर वन्यजीव अभयारण्य, पश्चिम बंगाल के आस-पास के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।

- (उनतालीस) का.आ. 4500(अ) जो दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 11 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2994(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चालीस) का.आ. 2930(अ) जो दिनांक 18 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भागीरथी, उत्तराखण्ड के आस-पास के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।
- (इकतालीस) का.आ. 1656(अ) जो दिनांक 17 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2012 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2930(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बयालीस) का.आ. 94(अ) जो दिनांक 6 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 फरवरी, 1989 की अधिसूचना संख्या का.आ. 102(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तैंतालीस) का.आ. 5253(अ) जो दिनांक 14 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2012 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2930(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (3) उपर्युक्त मद संख्या [(1) के (तीन) से (नौ)) और मद संख्या (2)] में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश गोपी) की ओर से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी :-

- (1) (एक) कुमारकृपा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) कुमारकृपा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) (एक) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

- (दो) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) (एक) रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।
- (4) (एक) पांडेचेरी अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुदुचेरी के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) पांडेचेरी अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुदुचेरी का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।
- (5) (एक) इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।
- (6) (एक) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) (एक) लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुकान्त मजूमदार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2014 की धारा 50 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद (संशोधन) परिनियम, 2024 जो दिनांक 9 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3230(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, करनूल (संशोधन) परिनियम, 2024 जो दिनांक 9 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3226(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम (संशोधन) परिनियम, 2024 जो दिनांक 9 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3227(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा - भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, जबलपुर (संशोधन) परिनियम, 2024 जो दिनांक 9 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3228(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) अटल बिहारी वाजपेयी - भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थान, ग्वालियर (संशोधन) परिनियम, 2024 जो दिनांक 9 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3229(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (2) वास्तुविद् अधिनियम, 1972 की धारा 45 की उप-धारा (3) के अंतर्गत वास्तुकला परिषद (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 20 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.512(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।
- (3) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।  
(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।  
(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, बेंगलूरु के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, बेंगलूरु के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, उदयपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, उदयपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विशाखापट्टनम के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विशाखापट्टनम के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।





- (दो) भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखा विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोट्टायम के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोट्टायम के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रायचूर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रायचूर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रायचूर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भागलपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भागलपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भागलपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) अविनाशीलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वूमेन, कोयंबटूर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) अविनाशीलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वूमेन, कोयंबटूर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) अविनाशीलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वूमेन, कोयंबटूर के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान, कुरनूल, कुरनूल के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान, कुरनूल, कुरनूल के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान, कुरनूल, कुरनूल के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) अविनाशीलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर विमेन, कोयम्बटूर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) अविनाशीलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर विमेन, कोयम्बटूर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) अविनाशीलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर विमेन,

कोयम्बटूर, तमिलनाडु के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (25) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय प्रबंध संस्थान, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़ के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़ के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (30) (एक) महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोटा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोटा के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उप-धारा (4) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) कंपनी (शास्तियों का न्यायनिर्णयन) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 5 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 476(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) कंपनी (विदेशी कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 12 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 491(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 12 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 492(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (चार) कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 9 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 555(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) दूसरा संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 9 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 554(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 20 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 583(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) कंपनी (लेखा) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 24 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 587(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) तीसरा संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 28 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 602(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) कंपनी (शास्तियों का न्यायनिर्णयन) दूसरा संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 9 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 630(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 79 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 5 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 475(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

### 3. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के विवरण

डॉ. फगुन सिंह कुलस्ते ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2024-25) के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) “सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पेट्रोल और गैस एजेंसियों (सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी आदि) और अन्य संबंधित एजेंसियों, इकाईयों

के आवंटन की स्थिति” विषय के बारे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 28वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार का अंतिम-की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण।

- (2) “राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) के कार्यकरण की समीक्षा” विषय के बारे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 29वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार का अंतिम-की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण।

#### 4. ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका ने ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) से संबंधित “प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-(पीएमजीएसवाई) (2022-23)” के बारे में ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के 32वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 36वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) संबंधी विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.05 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः सम्मवेत हुई।)*

**अपराह्न 2.00 बजे**

#### 5. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:-

1. श्री परषोत्तमभाई रुपाला द्वारा शत्रु संपत्ति के निस्तारण के लिए एक विशेष नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्रीमती डी. के. अरुणा द्वारा तेलंगाना के जोगुलंबा गडवाल जिले में एक हैण्डलूम पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उड़ान योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के कपिलवस्तु में एक हेलीपोर्ट स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अवैध निर्माण के विरुद्ध राष्ट्रीय हरित अधिकरण और उच्चतम न्यायालय के निदेशों को लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

5. डॉ. जयंत कुमार राय द्वारा पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी को विरासत पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्रीमती मालविका देवी द्वारा कालाहांडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जूनागढ़ एनएसी के लिए बाईपास सड़क की आवश्यकता के बारे में।
7. श्री रोडमल नागर द्वारा कृषि और पशुपालन क्षेत्रों में इष्टतम परिणाम प्राप्त करने के लिए कृषि अपशिष्ट के रूपांतरण और उपयोग हेतु एक केंद्रीकृत प्रणाली विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
8. श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवर ब्रिज/अंडरपास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
9. डॉ. भोला सिंह द्वारा वर्तमान में टिन शेड के मकानों में रहने वाले परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
10. श्री रमेश अवस्थी द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर की लाल इमली मिल को फिर से शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
11. श्री हैबी ईडन द्वारा केरल में पेरियार नदी को औद्योगिक प्रदूषण से बचाने के लिए व्यापक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
12. प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ द्वारा मुम्बई में रेलवे की भूमि पर रह रहे लोगों के पुनर्वास के बारे में।
13. श्री बलवंत बसवंत वानखडे द्वारा साइबर फ्रॉड की घटनाओं को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।
14. श्री रॉबर्ट ब्रूस सी. द्वारा तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में ईएसआईसी अस्पताल के उन्नयन के लिए पर्याप्त निधियां स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
15. मोहम्मद रकिबुल हूसैन द्वारा असम में ब्रह्मपुत्र नदी में आने वाली बाढ़ और कटाव की समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
16. श्री सनातन पांडेय द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया और गाजीपुर जिले में रेलगाड़ियों के ठहराव और हॉल्ट स्टेशनों का पूर्ण रेलवे स्टेशनों के रूप में उन्नयन किए जाने के बारे में।
17. श्री आदित्य यादव द्वारा रायबरेली, उत्तर प्रदेश के ऊंचाहार में एनटीपीसी संयंत्र में बॉयलर विस्फोट की घटना में की गई कार्रवाई के बारे में।
18. श्री कीर्ति आजाद झा द्वारा फार्मास्यूटिकल्स वितरण और खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ फार्मास्यूटिकल विनियामक ढांचे का पालन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
19. श्री मलैयारासन डी. द्वारा गन्ना (नियंत्रण) आदेश-2024 द्वारा प्रस्तावित क्रियान्वयन के कारण गन्ना किसानों को होने वाली समस्याओं के बारे में।

20. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू द्वारा देश में केन्द्रीय विद्यालयों के कर्मचारियों के सामने आ समस्याओं के बारे में।
21. श्री दिलेश्वर कामैत द्वारा बिहार के सुपौल जिले के सिमराही बाजार में राष्ट्रीय राजमार्ग-106 और राष्ट्रीय राजमार्ग-57 चौराहे पर उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
22. श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा प्रदान किए जाने के बारे में।
23. श्री मड्डीला गुरुमूर्ति द्वारा नेल्लोर चेन्नई राष्ट्रीय राजमार्ग को छह लेन का बनाए जाने के बारे में।
24. श्री सुधाकर सिंह द्वारा किसानों को डीएपी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
25. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा केरल के कोल्लम में नए ईएसआई मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए पार्वती मिल्स की अप्रयुक्त भूमि को चिह्नित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

#### अपराहन 2.01 बजे

#### 6. सरकारी विधेयक - विचाराधीन

रेल (संशोधन) विधेयक, 2024.

आबंटित समय : 4 घंटे

लिया गया समय : 6 घंटे 05 मिनट

श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा 4 दिसम्बर, 2024 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

श्री अश्विनी वैष्णव ने वाद-विवाद पर अपना उत्तर आरंभ किया और उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराहन 2.02 बजे स्थगित हुई और अपराहन 3.00 बजे

पुनः समवेत हुई।)

#### अपराहन 3.01 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा मंगलवार, 10 दिसम्बर, 2024 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह

महासचिव



लोक सभा

-----

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

-----

मंगलवार, 10 दिसम्बर, 2024/ 19 अग्रहायण, 1946 (शक)

-----

संख्या 33

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिए जा सके। अतः आज की कार्यसूची में शामिल तारांकित प्रश्न संख्या 201 से 220 अतारांकित माने गए और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 2301 से 2630 के उत्तरों के साथ आज की अधिकारिक रिपोर्ट में मुद्रित किए जाएंगे।

2. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी \*

अध्यक्ष ने सदस्यों से गरिमा बनाए रखने और सभा को सुचारु रूप से चलने देने की अपील की।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.04 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

---

\* मूल हिंदी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

- (1) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ. 416(अ) जो दिनांक 6 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2012 - अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 09 के आईटीसी (एचएस) 0908 31 के अंतर्गत इलायची की आयात नीति शर्तों में संशोधन के बारे में है।
- (दो) का.आ. 3838(अ) जो दिनांक 6 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017 - अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 09 के अंतर्गत वर्गीकृत काली मिर्च की आयात नीति शर्त में संशोधन के बारे में है।
- (तीन) का.आ. 1309(अ) जो दिनांक 21 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017 - अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 09 के अंतर्गत वर्गीकृत काली मिर्च की आयात नीति शर्त में संशोधन के बारे में है।
- (चार) का.आ. 3612(अ) जो दिनांक 25 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017 - अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 08 के एक्विजम कोड 080280 के अंतर्गत वर्गीकृत सुपारी की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (पांच) का.आ. 3613(अ) जो दिनांक 25 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017 - अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 09 के अंतर्गत वर्गीकृत काली मिर्च की नीति शर्त में संशोधन के बारे में है।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) (एक) भारतीय गुणवत्ता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय गुणवत्ता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडार डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडार डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) इंडियन रबर मैटेरियल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, थाणे के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन रबर मैटेरियल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, थाणे के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) जम्मू-कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड, जम्मू के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) जम्मू-कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड, जम्मू का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडार डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडार डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ग) (एक) ईईपीसी इंडिया, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ईईपीसी इंडिया, कोलकाता का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) नेशनल को-आपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) नेशनल को-आपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 3950(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत उसमें उल्लिखित अधिकारिता क्षेत्र के साथ पादप संरक्षण, संघरोध और भंडारण निदेशालय के 207 अधिकारियों की कीटनाशी निरीक्षकों के रूप में नियुक्ति को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 468(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 से संबंधित जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 की अनुसूची में क्रम संख्या 5 पर उपबंधों के प्रभावी होने की तारीख के रूप में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को अधिसूचित किया गया है।
- (3) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा (3) की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (4) (एक) फल और सब्जियां श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 2024 जो 5 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.480(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) मोटा अनाज श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2024 जो 5 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.479(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (5) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 62(अ) जो दिनांक 25 मई, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 5ग के अंतर्गत विपणन और निरीक्षण निदेशालय के उसमें उल्लिखित अधिकारियों को, अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिसूचना में प्रत्येक के सामने उल्लिखित क्षेत्र के लिए, आगे के देश जारी होने तक, न्यायनिर्णयन अधिकारियों के रूप में अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) ओडिशा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ओडिशा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलोर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलोर का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (7) उपर्युक्त (6) की मद संख्या (क) और (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।  
(दो) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।  
(तीन) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।  
(दो) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) असम राइफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अंतर्गत गृह मंत्रालय, असम राइफल्स नायब सूबेदार (स्टोर कीपर टेक्निकल इंजीनियर), समूह 'ख' कंबैटाइज्ड पद, भर्ती नियम, 2024 जो 17 अगस्त, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 110 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 77 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (समूह 'ख' और समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2024 जो 12 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 138 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) कोएलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।  
(दो) कोएलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) उमा एजुकेशन एंड टेक्निकल सोसाएटी, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) उमा एजुकेशन एंड टेक्निकल सोसाएटी, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) आदित्य एजुकेशन सोसाएटी, एलुरु जिला, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) आदित्य एजुकेशन सोसाएटी, एलुरु जिला, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) अलाकेन्दु बोध निकेतन रेजिडेन्शियल, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) अलाकेन्दु बोध निकेतन रेजिडेन्शियल, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) नेशनल ट्रस्ट फॉर दि वेलफेयर ऑफ पर्संस विद ओटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एण्ड मल्टीपल डिसऐबिलिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल ट्रस्ट फॉर दि वेलफेयर ऑफ पर्संस विद ओटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एण्ड मल्टीपल डिसऐबिलिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) देवनार फाउंडेशन फॉर दि ब्लाइंड, हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) देवनार फाउंडेशन फॉर दि ब्लाइंड, हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) भ्रदाचलम एजेंसी फॉर रूरल डेवलपमेंट रिहैबिलिटेशन एण्ड एजुकेशन सोसाएटी फॉर दि हैंडीकैप्ड, कोथागुडम के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भ्रदाचलम एजेंसी फॉर रूरल डेवलपमेंट रिहैबिलिटेशन एण्ड एजुकेशन सोसाएटी फॉर दि हैंडीकैप्ड, कोथागुडम के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।



गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडि संजय कुमार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) रेप्को बैंक, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) रेप्को बैंक, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, गांधीनगर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, गांधीनगर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) ने भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
  - (क) (एक) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।  
(दो) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
  - (ख) (एक) केआईओएल लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।  
(दो) केआईओएल लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
  - (ग) (एक) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) नेशनल बाईसाइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) नेशनल बाईसाइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) एण्ड्रू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) एण्ड्रू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता, इसकी अनुषंगी फैरो सक्रेप निगम लिमिटेड सहित, के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता, इसकी अनुषंगी फैरो सक्रेप निगम लिमिटेड सहित, का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ज) (एक) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (झ) (एक) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ज) (एक) भारत पम्पस एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) भारत पम्पस एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ट) (एक) मैसर्स ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) मैसर्स ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ठ) (एक) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ड) (एक) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ढ) (एक) मैसर्स ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) मैसर्स ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ण) (एक) मैसर्स रिचर्डसन एंड क्रूडडस (1972) लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) मैसर्स रिचर्डसन एंड क्रूडडस (1972) लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (त) (एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (थ) (एक) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (द) (एक) मेकोन लिमिटेड, झारखण्ड के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मेकोन लिमिटेड, झारखण्ड का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ध) (एक) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, बैंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, बैंगलुरु का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (न) (एक) नेपा लिमिटेड, नेपानगर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) नेपा लिमिटेड, नेपानगर का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (प) (एक) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (फ) (एक) एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, नगरनार के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, नगरनार का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
2. (एक) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
3. (एक) सेंट्रल मैनुफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, बेंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल मैनुफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, बेंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2024-2025 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की युक्तिका।
- (दो) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2024-2025 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (तीन) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2024-2025 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।
- (चार) एमएसटीएस लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2024-2025 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (पाँच) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2024-2025 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोले) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक महासंघ लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- (दो) राष्ट्रीय सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक महासंघ लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (2) (एक) नेशनल कोऑपरेटिव एक्स्पोर्ट्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल कोऑपरेटिव एक्स्पोर्ट्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, आणंद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (4) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- (दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (5) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- (दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (6) (एक) नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (चार) नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन एम्प्लाईज प्रोविडेंट फंड के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबित्रा मार्गेरिता) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) वूल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वूल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) मानव निर्मित वस्त्र अनुसंधान संघ, सूरत के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) मानव निर्मित वस्त्र अनुसंधान संघ, सूरत के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) भारतीय जूट उद्योग अनुसंधान संघ, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय जूट उद्योग अनुसंधान संघ, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संघ, गाजियाबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संघ, गाजियाबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, जयपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, जयपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) पर उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

#### 4. लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन

श्री के.सी. वेणुगोपाल ने “स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय (2021-22)” के बारे में लोक लेखा समिति (2024-25) का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।



## 5. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) 'विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2024-25)' संबंधी पहला प्रतिवेदन।
- (2) 'नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2024-25)' संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।

## 6. आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री मगुंटा श्रीनिवासूलू रेड्डी ने आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' संबंधी पहला प्रतिवेदन।
- (2) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित 'स्मार्ट सिटी मिशन: एक मूल्यांकन', विषय के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति (2023-24) के 21वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।

## 7. मंत्री द्वारा वक्तव्य

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी) ने कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) (मांग संख्या 1) के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 51वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

## 8. राजभाषा समिति के लिए लोक सभा के एक सदस्य के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री नित्यानन्द राय ने अमित शाह की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप-धारा 2 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार श्री चव्हाण वसंतराव बलवंतराव, जिनका 26 अगस्त, 2024 को निधन हो गया है, के स्थान पर राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

## 9. नारियल विकास बोर्ड के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री राम नाथ ठाकुर ने श्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि नारियल विकास बोर्ड नियम, 1981, यथासंशोधित, के नियम 4 के साथ पठित नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ड) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अधीन, नारियल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

## अपराहन 12.07 बजे

### 10. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

*वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2024*

श्री मनीश तिवारी और प्रो. सौगत राय ने विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगे।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री (श्री सर्बानंद सोनोवाल) ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

## अपराहन 12.14 बजे

### 11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:-

1. श्री दिनेशभाई मकवाणा द्वारा गुजरात के अहमदाबाद पश्चिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मणिनगर रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

2. श्रीमती स्मिता उदय वाघ द्वारा महाराष्ट्र के जलगांव हवाई अड्डे पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री अनुराग शर्मा द्वारा झांसी मास्टर प्लान 2031 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री शशांक मणि द्वारा देश में नव स्थापित मेडिकल कॉलेजों के साथ हाल में विलय किये गये जिला अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्री भर्तृहरि महताब द्वारा ओडिशा में मनाए जाने वाले 'बाली जात्रा' त्योहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में नामांकित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्रीमती मंजू शर्मा द्वारा जयपुर में बच्चों के लिए एक विशेषीकृत कैंसर अनुसंधान संस्थान तथा अस्पताल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. सुश्री कंगना रनौत द्वारा हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर से रामपुर बुशहर होते हुए शिपकिला दरें तक नई रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
8. डॉ. डी. पुरंदेश्वरी द्वारा आंध्र प्रदेश के येल्लूरु जिले में येर्राकाल्वा जलाशय परियोजना को मजबूत तटबंधों और जलाशय क्षमता में वृद्धि के साथ आधुनिक बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
9. श्री मुकेश राजपूत द्वारा गाजियाबाद से कानपुर तक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
10. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा बिहार के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 50 बिस्तरों वाला आयुष अस्पताल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
11. श्री अरुण गोविल द्वारा आयुष्मान भारत योजना में संशोधन किए जाने के बारे में।
12. श्री खगेन मुर्मू द्वारा पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में नवोदय विद्यालय और केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
13. श्री मुरारी लाल मीना द्वारा राजस्थान के दौसा जिले में लेवल क्रॉसिंग संख्या 156 और 101 पर रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के बारे में।
14. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश द्वारा एक निजी स्वास्थ्य बीमा कंपनी की वेबसाइट से ग्राहक डेटा लीक होने की घटना की जांच बैठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
15. श्री उज्ज्वल रमण सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एम्स की स्थापना किए जाने के बारे में।
16. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला द्वारा राजस्थान के झुंझनू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रामगढ़ शेखावाटी रेलवे स्टेशन पर अरावली एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 19707/08) का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. एडवोकेट अदूर प्रकाश द्वारा केरल के अट्टिंगल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न लेवल क्रॉसिंग पर स्वीकृत रेलवे ओवर ब्रिजों के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
18. श्री आनंद भदौरिया द्वारा अहमदाबाद में अनुसंधान दौरे के दौरान आईआईटी, दिल्ली के एक छात्र की मृत्यु के बारे में।
19. श्री रमाशंकर राजभर द्वारा देश में अंधविश्वास प्रथाओं को समाप्त करने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
20. प्रो. सौगत राय द्वारा बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की शिकायतों को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
21. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी द्वारा तमिलनाडु के चेंगलपेट स्थित एचबीएल इंटीग्रेटेड वैक्सीन कॉम्प्लेक्स (आईवीसी) बायो लैब को पूरी तरह चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
22. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल किराये में रियायत बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
23. श्री अरुण भारती द्वारा बिहार के जमुई जिले में स्वर्ण का सर्वेक्षण करने और खनन शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
24. श्री सुदामा प्रसाद द्वारा सहारा कंपनी में निवेश करने वाले लोगों की धन वापसी के बारे में।
25. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल द्वारा दमन एवं दीव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों को बहाल किए जाने के बारे में।
26. श्री राजेश रंजन द्वारा बिहार के पूर्णिया जिले में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

#### **अपराहन 12.17 बजे**

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा बुधवार, 11 दिसम्बर, 2024 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**उत्पल कुमार सिंह**  
**महासचिव**

लोक सभा

-----

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

-----

बुधवार, 11 दिसम्बर, 2024/ 20 अग्रहायण, 1946 (शक)

-----

संख्या 34

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 221 से 227 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 228 से 240 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2531 से 2760 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्युक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्युक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) (एक) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) केंद्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) केंद्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रोपिकल मेट्रोलोजी, पुणे के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रोपिकल मेट्रोलोजी, पुणे के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलोजी, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलोजी, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इन्फॉर्मेशन सविसेज, हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इन्फॉर्मेशन सविसेज, हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) नेशनल सेंटर फॉर पोलर एण्ड ओशियन रिसर्च, गोवा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) नेशनल सेंटर फॉर पोलर एण्ड ओशियन रिसर्च, गोवा के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (9) (एक) हरिशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्रयागराज के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) हरिशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्रयागराज के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भुवनेश्वर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भुवनेश्वर के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ मेथमेटिकल साइंसेज, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टीट्यूट ऑफ मेथमेटिकल साइंसेज, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ख) (एक) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने मंत्रियों द्वारा पंद्रहवीं, सोलहवीं, सत्रहवीं और अठारहवीं लोक सभाओं के विभिन्न सत्रों के दौरान दिए गए आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी-

|      |              |                          |
|------|--------------|--------------------------|
|      |              | <b>पंद्रहवीं लोक सभा</b> |
| (1)  | विवरण सं. 42 | आठवां सत्र, 2011         |
|      |              | <b>सोलहवीं लोक सभा</b>   |
| (2)  | विवरण सं. 30 | पांचवां सत्र, 2015       |
| (3)  | विवरण सं. 25 | ग्यारहवां सत्र, 2017     |
| (4)  | विवरण सं. 18 | सोलहवां सत्र, 2018       |
|      |              | <b>सत्रहवीं लोक सभा</b>  |
| (5)  | विवरण सं. 24 | पहला सत्र, 2019          |
| (6)  | विवरण सं. 19 | दूसरा सत्र, 2019         |
| (7)  | विवरण सं. 18 | तीसरा सत्र, 2020         |
| (8)  | विवरण सं. 17 | चौथा सत्र, 2020          |
| (9)  | विवरण सं. 19 | पांचवां सत्र, 2021       |
| (10) | विवरण सं. 17 | छठा सत्र, 2021           |



|                         |              |                      |
|-------------------------|--------------|----------------------|
| (11)                    | विवरण सं. 11 | सातवां सत्र, 2021    |
| (12)                    | विवरण सं. 12 | आठवां सत्र, 2022     |
| (13)                    | विवरण सं. 9  | नौवां सत्र, 2022     |
| (14)                    | विवरण सं. 7  | दसवां सत्र, 2022     |
| (15)                    | विवरण सं. 7  | ग्यारहवां सत्र, 2023 |
| (16)                    | विवरण सं. 4  | बारहवां सत्र, 2023   |
| (17)                    | विवरण सं. 4  | चौदहवां सत्र, 2023   |
| (18)                    | विवरण सं. 3  | पंद्रहवां सत्र, 2024 |
| <b>अठारहवीं लोक सभा</b> |              |                      |
| (19)                    | विवरण सं. 1  | दूसरा सत्र, 2024     |

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) सेमी-कंडक्टर लेबोरेट्री, एसएस नगर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
 (दो) सेमी-कंडक्टर लेबोरेट्री, एसएस नगर के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो-इन्फोरमेटिक्स (बीआईएसएजी-एन), गांधीनगर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
 (दो) भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो-इन्फोरमेटिक्स (बीआईएसएजी-एन), गांधीनगर के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
 (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) दूरसंचार अधिनियम, 2015 की धारा 56 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
  - (एक) दूरसंचार (टेलीकॉम साइबर सुरक्षा) नियम, 2024 जो 22 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 720(अ) में प्रकाशित हुए थे।
  - (दो) दूरसंचार (महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना) नियम, 2024 जो 22 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 723(अ) में प्रकाशित हुए थे।
  - (तीन) दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 जो 22 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 724(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उप-धारा (5) के अंतर्गत हवाई उड़ान और सामुद्रिक संयोजकता (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 4 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 682(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
  - (क) (एक) टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
  - (दो) टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
  - (ख) (एक) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
  - (दो) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
  - (ग) (एक) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
  - (दो) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (4) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश गोपी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलोजी, अमेठी के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलोजी, अमेठी के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरुगन) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
  - (एक) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
  - (दो) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवनीत सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
  - (एक) रेल भूमि विकास प्राधिकरण (भूमि का विकास और अन्य कार्य) संशोधन विनियम, 2024 जो दिनांक 12 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 568(अ) में प्रकाशित हुए थे।
  - (दो) रेल (यात्रियों के सार्वजनिक परिवहन की शुरुआत) दूसरा संशोधन विनियम, 2024 जो दिनांक 18 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 579(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उप-धारा (3) के अंतर्गत रेल दावा अधिकरण (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2024 जो दिनांक 14 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 500(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
  - (क) (एक) कोंकण रेल निगम लिमिटेड, नवी मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
  - (दो) कोंकण रेल निगम लिमिटेड, नवी मुम्बई का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ख) (एक) कोलकाता मेट्रो रेल निगम लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) कोलकाता मेट्रो रेल निगम लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) मुम्बई रेल विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) मुम्बई रेल विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) रेल विकास निगम लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) रेल विकास निगम लिमिटेड, दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) भारतीय रेलटेल निगम लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) भारतीय रेलटेल निगम लिमिटेड, दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) भारतीय रेल वित्त निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) भारतीय रेल वित्त निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) वाबटेक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) वाबटेक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ज) (एक) मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (झ) (एक) राइट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राइट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ज) (एक) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ट) (एक) भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ठ) (एक) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ड) (एक) कंटनेर कारपोरेशन ऑफ इंडिया (कोनकोर) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कंटनेर कारपोरेशन ऑफ इंडिया (कोनकोर) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ढ) (एक) नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ण) (एक) हासन मेंगलोर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हासन मेंगलोर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (2) (एक) रेल भूमि विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) रेल भूमि विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) रेल खेल संवर्धन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) रेल खेल संवर्धन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) भारतीय रेल कल्याण संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) भारतीय रेल कल्याण संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) एनआरटीयू फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 (17.1.2024 तक) के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) एनआरटीयू फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 (17.1.2024 तक) के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) रेल विकास निगम लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

#### 4. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) ने (एक) 'डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की स्थिति' के बारे में सर्वश्री सी.एन. अन्नादुरई, नवासखनी के. और सेल्वम जी., संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 272 के 24.07.2024 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण बताने वाला एक वक्तव्य दिया।
- (2) ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी) ने डाक विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित 'पहल और चुनौतियां-डाक विभाग' विषय के बारे में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के वें प्रतिवेदन 57 में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

#अपराहन 12.26 बजे

5. सदस्यों द्वारा निवेदन

श्री गौरव गोगोई ने मणिपुर में स्थिति के बारे में निवेदन किया।

श्री मणिकम टैगोर सहयोजित हुए।

श्री पीयूष गोयल\* ने उत्तर दिया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराहन 12.29 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 2.00 बजे

6. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:-

1. श्री रुद्र नारायण पाणी द्वारा ओडिशा में रेल सेवाओं के विस्तार के बारे में।
2. श्री अरुण कुमार सागर द्वारा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730सी के निर्माण कार्य में कथित अनियमितताओं के बारे में।
3. डॉ. निशिकान्त दुबे द्वारा झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में जरमुंडी(दुमका), देवघर और महागामा (गोड्डा) में केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री भरतसिंहजी शंकरजी डाभी द्वारा गुजरात के पाटन संसदीय क्षेत्र में चाणस्मा से राधनपुर तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्री गणेश सिंह द्वारा सतना और दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता तथा बाढ़ से प्रभावित लेवल क्रॉसिंग पर रेलवे अंडरपास के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने की भी आवश्यकता के बारे में।

---

# अपराहन 12.04 बजे से अपराहन 12.29 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

\* वाणिज्य और उद्योग मंत्री।



6. श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड में सोन-कनहर पाइप लाइन सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता ।
7. श्री अनूप संजय धोत्रे द्वारा महाराष्ट्र के अकोला और मध्य प्रदेश के खंडवा के बीच एक नई ग्रीनफील्ड सड़क परियोजना विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
8. डॉ. हेमंत विष्णु सवरा द्वारा महाराष्ट्र के पालघर जिले में मोबाइल दूरसंचार सेवा में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
9. श्री तेजस्वी सूर्या द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए निक्षेप बीमा कवरेज बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
10. श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा झारखंड के जमशेदपुर में एम्स की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
11. श्री नव चरण माझी द्वारा ओडिशा के मयूरभंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रायरंगपुर में एक जनजातीय सभागार और संग्रहालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
12. श्री राधेश्याम राठिया द्वारा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हवाई अड्डे की स्थापना किए जाने के बारे में।
13. श्री वी. के. श्रीकंदन द्वारा केरल के पलक्कड़ में सीजीएचएस वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
14. श्री एस. सुपोंगमेरेन जमीर द्वारा एनआईसी में *तदर्थ आधार पर* काम कर रहे नेटवर्क फील्ड इंजीनियरों को नियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
15. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर द्वारा गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के बारे में के बारे में।
16. श्री बैन्नी बेहनन द्वारा केरल में अंगमाली-एरुमेली सबरी रेलवे लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
17. श्री धर्मेन्द्र यादव द्वारा क्रीमी लेयर के मानदंडों की समीक्षा और पुनर्निर्धारण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
18. श्री राजीव राय द्वारा सरकारी विभागों में शिकायत निवारण तंत्र की समीक्षा किए जाने तथा न्यायालयीन आदेशों को लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
19. श्री ए.मणि द्वारा तमिलनाडु के धर्मापुरी जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20. तिरु अरुण नेहरू द्वारा टेली-मार्केटिंग और अन्य एजेंसियों से स्पैम कॉल को नियंत्रित करने के लिए व्यापक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
21. श्री पुट्टा महेश कुमार द्वारा देश में कोको उत्पादकों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
22. श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार के नालंदा जिले में पेयजल की कमी के बारे में।
23. डॉ. राजकुमार सांगवान द्वारा उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्मारकों के संरक्षण एवं विकास के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
24. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर द्वारा देश में केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों में संकाय-सदस्यों की भर्ती में आरक्षण नीति कथित रूप से लागू न किए जाने के बारे में।
25. श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा किसानों के लिए कल्याणकारी उपायों के बारे में।

## अपराहन 2.01 बजे

### 7. सरकारी विधेयक - पारित

रेल (संशोधन) विधेयक, 2024.

आबंटित समय : 4 घंटे

लिया गया समय : 6 घंटे 53 मिनट

श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए 4 दिसम्बर, 2024 को पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

श्री अश्विनी वैष्णव ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 और 4 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

## 8. सरकारी विधेयक - विचाराधीन

*आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024*

आबंटित समय : 6 घंटे

लिया गया समय : 1 घंटा 25 मिनट

श्री नित्यानन्द राय द्वारा श्री अमित शाह की ओर से विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. डॉ. शशि थरूर
2. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत
3. श्री कल्याण बनर्जी \*\*
4. श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया @ (हस्तक्षेप किया)

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 4.10 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 4.40 बजे*

*पुनः समवेत हुई।)*

*(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 4.43 बजे स्थगित हुई और अपराह्न*

*5.00 बजे पुनः समवेत हुई।)*

5. श्री राम शिरोमणि वर्मा (भाषण अपूर्ण)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

## अपराह्न 5.01 बजे

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा गुरुवार, 12 दिसम्बर, 2024 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**उत्पल कुमार सिंह**

**महासचिव**

---

\*\* उन्होंने अपना भाषण अपराह्न 4.40 बजे सभा के पुनः समवेत होने पर पुनः आरंभ किया।

@ संचार मंत्री; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री। उन्होंने अपना भाषण अपराह्न 4.40 बजे सभा के पुनः समवेत होने पर पुनः आरंभ किया।

## लोक सभा

-----

### समाचार – भाग 1 (कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

-----

गुरुवार, 12 दिसम्बर, 2024/ 21 अग्रहायण, 1946 (शक)

-----

संख्या 35

**पूर्वाह्न 11.00 बजे**

#### 1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 241 से 247 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 248 से 260 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

#### 2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2761 से 2990 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

**मध्याह्न 12.00 बजे**

#### 3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोले) ने नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) विद्युत अधिनियम, 2003 की उप-धारा 182 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) (पहला संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 24 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-जेकेएल/रेग./2024/10 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति कोड) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 11 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-23/2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (नेट मीटरिंग और सकल मीटरिंग पर आधारित सौर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव प्रणाली) (पहला संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 11 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-23/2019 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच और लोकपाल) विनियम, 2024 जो दिनांक 27 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-31/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अंतरा-राज्य पारेषण और वितरण में संयोजकता और मुक्त पहुंच) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 19 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-21/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (चिकित्सा सुविधा) विनियम, 2024 जो दिनांक 20 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-34/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (2) उपर्युक्त (1) के (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) विनियम, 2024 जो दिनांक 21 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/260/2021/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) अधिसूचना सं. एल-1/260/2021/सीईआरसी जो दिनांक 10 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 16 सितम्बर, 2024 को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) विनियम, 2024 के प्रभावी होने की तिथि के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- (तीन) अधिसूचना सं. एल-1/260/2021/सीईआरसी जो दिनांक 5 नवम्बर, 2024 के भारत के

राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) विनियम, 2024 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (चार) अधिसूचना सं. एल-1/260/2021/सीईआरसी जो दिनांक 30 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) विनियम, 2024 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पांच) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) (पहला संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/265/2022/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र के शुल्क और प्रभार तथा अन्य संबंधित मामले) विनियम, 2024 जो दिनांक 1 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/271/2024/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।
- (4) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उप-धारा (1) के अंतर्गत का.आ.4490(अ) जो दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 सितम्बर, 2022 की अधिसूचना सं.4554(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (5) (एक) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (11) (एक) फॉर्म ऑफ रेगुलेटर्स (एफओआर), नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
 (दो) फॉर्म ऑफ रेगुलेटर्स (एफओआर), नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी), नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
 (दो) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी), नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जम्मू के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।  
 (दो) चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जम्मू का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) डीएनएच और डीडी पावर कारपोरेशन लिमिटेड, सिल्वासा के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।  
 (दो) डीएनएच और डीडी पावर कारपोरेशन लिमिटेड, सिल्वासा का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।  
 (दो) एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।  
 (दो) एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।  
 (दो) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) टीआरईडीसीओ राजस्थान लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।  
 (दो) टीआरईडीसीओ राजस्थान लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) टीयूएससीओ लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।  
 (दो) टीयूएससीओ लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ज) (एक) टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड, देहरादून के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड, देहरादून का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) एमएसएमई टेक्नोलोजी सेंटर, भिवाडी के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई टेक्नोलोजी सेंटर, भिवाडी के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) एमएसएमई टेक्नोलोजी सेंटर, भोपाल के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई टेक्नोलोजी सेंटर, भोपाल के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) एमएसएमई टेक्नोलोजी सेंटर, पुदी (विशाखापट्टनम) के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई टेक्नोलोजी सेंटर, पुदी (विशाखापट्टनम) के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) एमएसएमई टेक्नोलोजी सेंटर, पुदुचेरी के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई टेक्नोलोजी सेंटर, पुदुचेरी के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) एमएसएमई टेक्नोलोजी सेंटर, रोहतक के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई टेक्नोलोजी सेंटर, रोहतक के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) एमएसएमई टेक्नोलोजी सेंटर, सितारगंज, ऊधम सिंह नगर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई टेक्नोलोजी सेंटर, सितारगंज, ऊधम सिंह नगर के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-



- (1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उप-धारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का नियतन और संग्रहण) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 10 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 556(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
  - (एक) केंद्रीय मोटर यान (बारहवां संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 21 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 721(अ) में प्रकाशित हुए थे।
  - (दो) केंद्रीय मोटर यान (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 14 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 709(अ) में प्रकाशित हुए थे।
  - (तीन) केंद्रीय मोटर यान (दसवां संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 20 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 514(अ) में प्रकाशित हुए थे।
  - (चार) अधिसूचना सं. सा.का.नि.451(अ) जो दिनांक 26 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 15 जुलाई, 2024 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.407(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (3) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
  - (एक) का.आ. 2874(अ) जो दिनांक 19 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में एनएच-130ए के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 18.700 तथा कि.मी. 25.900 से कि.मी. 38.000 (वर्तमान कि.मी. 7.750 से कि.मी. 26.542; कि.मी. 32.093 से कि.मी. 44.186) तक बिलासपुर से मुंगेली खंड तक पक्के शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
  - (दो) का.आ. 2875(अ) जो दिनांक 19 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनएच-4 के डिजाइन कि.मी. 427.300 से कि.मी. 452.425 तक दिल्ली-वडोडरा एक्सप्रेसवे की आठ लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
  - (तीन) का.आ. 2876(अ) जो दिनांक 19 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में एनएच-12 (पुराना एनएच-34) के डिजाइन कि.मी. 48.553 से कि.मी. 115.272 (वर्तमान कि.मी. 48.553 से कि.मी. 115.272) तक बारासात-कृष्णानगर खण्ड की चार अथवा अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
  - (चार) का.आ. 2877(अ) जो दिनांक 19 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था

तथा जो तेलंगाना राज्य में एनएच-365ए के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 31.800 (एनएच-65क के वर्तमान कि.मी. 185.000 से कि.मी. 29.400) तक कोडाड-खम्माम खण्ड की चार अथवा अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पांच) का.आ. 2978(अ) जो दिनांक 26 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में एनएच सं. 22 (पुराना एनएच-83) के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 127.217 (वर्तमान कि.मी. 0.000 से कि.मी. 127.000) तक पटना-गया-डोभी खण्ड की चार अथवा अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छह) का.आ. 2979(अ) जो दिनांक 26 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में एनएच सं. 1ए (नया एनएच-44) के कि.मी. 67.000 से कि.मी. 156.900 तक उधमपुर-रामबन-मारूग खण्ड की चार अथवा अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सात) का.आ. 3017(अ) जो दिनांक 29 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच- 52 (पुराना एनएच -211) के डिजाइन चैनेज कि.मी. 390.000 से कि.मी. 457.231 तक बोधरे-धुले खण्ड की चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(आठ) का.आ. 3018(अ) जो दिनांक 29 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में एनएच 23 (नया एनएच -43) के डिजाइन कि.मी. 26.00 से कि.मी. 89.170 (वर्तमान कि.मी. 26.00 से कि.मी. 88.600) तक एनएच-23 (नया एनएच-43) के पलमा-गुमला खण्ड की चार अथवा अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(नौ) का.आ. 3041(अ) जो दिनांक 30 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 344एम के एसपीयूआर के रूप में हरियाणा में गांव बरवासानी, सोनीपत में एनएच- 352ए के कि.मी. 00.000 से कि.मी. 29.600 के बवाना औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली (एनएच-344एम के कि.मी. 07.750 पर) से शुरू होकर सोनीपत बाईपास तक एनएच-344पी (यूईआर पैकेज-04) की चार अथवा अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(दस) का.आ. 3042(अ) जो दिनांक 30 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में एनएच 125ए के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 74.619 तक दांगियावास-जाजीवाल खण्ड की दो/चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 3043(अ) जो दिनांक 30 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48 के कि.मी. 198.000 से कि.मी. 263.000 (डिजाइन चैनेज) तक भरूच-सूरत खण्ड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

- (बारह) का.आ. 3044(अ) जो दिनांक 30 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में एनएच 8ई के कि.मी. 221.610 से कि.मी. 263.000 (डिजाइन चैनेज कि.मी. 222.400 से कि.मी. 263.430) और एनएच-8डी के कि.मी. 120.900 से कि.मी. 121.150 तक कोडिनार-वेराबल खण्ड की चार अथवा अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (तेरह) का.आ. 3119(अ) जो दिनांक 5 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच सं. 752जी के डिजाइन कि.मी. 21.427 से कि.मी. 64.000 तक पिम्पलनेर से सताना खण्ड की दो/चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (चौदह) का.आ. 3130(अ) जो दिनांक 5 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच सं. 548एच के डिजाइन कि.मी. 71.530 से कि.मी. 132.958 तक अम्बोली जंक्शन-अजारा-संकेश्वर खण्ड की पक्के शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (पंद्रह) का.आ. 3131(अ) जो दिनांक 5 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में एनएच सं. 55 (पुराना एनएच सं. 42) के डिजाइन चैनेज कि.मी. 0.400 (वर्तमान कि.मी. 0.400) से डिजाइन चैनेज कि.मी. 60.200 (वर्तमान कि.मी. 60.200) तक कटक-अंगुल खण्ड की चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (सोलह) का.आ. 3132(अ) जो दिनांक 5 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में एनएच सं. 55 (पुराना एनएच सं. 42) के डिजाइन चैनेज कि.मी. 60.200 से कि.मी. 111.410 (वर्तमान कि.मी. 60.200 से कि.मी. 112.000) तक कटक-अंगुल खण्ड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (सत्रह) का.आ. 3208(अ) जो दिनांक 7 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. एनएच 44 के डिजाइन कि.मी. -0.687 से डिजाइन कि.मी. 57.568 (पठानकोट-जम्मू खण्ड के वर्तमान कि.मी. 86 से जम्मू श्रीनगर खंड के वर्तमान कि.मी. 15.068 तक) तक जम्मू रिंग रोड (एनएच-244ए) की दो/चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (अठारह) का.आ. 4791(अ) जो दिनांक 4 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में डिजाइन कि.मी. 184.912 से कि.मी. 230.060 (वर्तमान चैनेज कि.मी. 189.700 – कि.मी. 237.000) तक एनएच-75क के हासन-मारनहाली खण्ड की चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (उत्तीस) का.आ. 4818(अ) जो दिनांक 5 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में एनएच-161ए के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 45.535 (वर्तमान कि.मी. 0.000 से कि.मी. 45.878) तक ओराड से बीदर खण्ड की पक्के शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (बीस) का.आ. 4872(अ) जो दिनांक 11 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ

था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे संख्या एनई4 के कि.मी. 29.100 से कि.मी. 417.810 के खण्ड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

- (इक्कीस) का.आ. 4873(अ) जो दिनांक 11 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब और हरियाणा राज्य में एनएच-07 के डिजाइन कि.मी. 35.500 से कि.मी. 44.500 तथा एनएच-09 के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 38.450 तक मलोट-मंडी डबवाली खण्ड (मलोट और मंडी डबवाली बाईपासों सहित) की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (बाईस) का.आ. 4908(अ) जो दिनांक 12 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में एनएच सं. 53 (पुराना एनएच - 200) के डिजाइन चैनेज कि.मी. 388.000 (वर्तमान कि.मी. 388.382) से डिजाइन चैनेज कि.मी. 427.400 (वर्तमान कि.मी. 428.074) तक दुबुरी-चंडीखोले खण्ड की चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (तेईस) का.आ. 4907(अ) जो दिनांक 12 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में एनएच सं. 42 (नया एनएच - 55) के डिजाइन चैनेज कि.मी. 112.000 से कि.मी. 262.858 (वर्तमान कि.मी. 112.000 से कि.मी. 265.000) तक अंगुल संबलपुर खंड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (चौबीस) का.आ. 4914(अ) जो दिनांक 13 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच - 42 के डिजाइन चैनेज कि.मी. 76.00 से कि.मी. 129.300 (वर्तमान कि.मी. 76.00 से कि.मी. 133.471) तक एनएच- 42 के अनंतपुरामू-मुद्दीगुब्बा खंड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (पच्चीस) का.आ. 4915(अ) जो दिनांक 13 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच - 167बी के डिजाइन चैनेज कि.मी. 143.320 से कि.मी. 189.050 (वर्तमान चैनेज कि.मी. 143.505 से कि.मी. 188.445) तक मलकोंडा से सिंहरायकोंडा खंड की पक्के शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (छब्बीस) का.आ. 4929(अ) जो दिनांक 14 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में एनएच - 149बी के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 38.200 (वर्तमान कि.मी. 5.750 से कि.मी. 27.150) तक चाम्पा-कोरबा-काटघोड़ा खंड की पक्के शोल्डर सहित चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (सत्ताईस) का.आ. 4043(अ) जो दिनांक 19 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 167 के डिजाइन चैनेज कि.मी. 14.900 से कि.मी. 69.700 (वर्तमान कि.मी. 14.900 से कि.मी. 70.000) तक

- चिंताकुंता से अडोनी खंड की दो/चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (अठ्ठाईस) का.आ. 4369(अ) जो दिनांक 8 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 83 (पुराना एनएच-67) के डिजाइन कि.मी. 1.600 से कि.मी. 16.690 तथा कि.मी. 29.850 से कि.मी. 80.133 तक नागपट्टिनम से तंजावुर खंड की पक्के शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (उनतीस) का.आ. 4371(अ) जो दिनांक 8 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 383 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 38.000 के डिंडीगुल-नाथम-कोट्टमपट्टी खंड की दो/चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (तीस) का.आ. 4385(अ) जो दिनांक 9 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु और पुदुचेरी राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 45ए (नया एनएच-332) के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 29.000 (वर्तमान कि.मी. 0.000 से कि.मी. 25.624) तक विलुपुरम से पुदुचेरी खंड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (इकतीस) का.आ. 4394(अ) जो दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 752ई के डिजाइन कि.मी. - 1.800 से कि.मी. 42.417 (वर्तमान कि.मी. 0.000 से कि.मी. 44.400) तक औरंगाबाद से बिडकीन से पैठान खंड की चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (बत्तीस) का.आ. 4506(अ) जो दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 548सी के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 35.786 (वर्तमान कि.मी. 565.653 से कि.मी. 529.867) तक खामगांव देउलगांव सकरशा खंड की पक्के शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (तैंतीस) का.आ. 4540(अ) जो दिनांक 16 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-61 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 40.600 तक [सिन्नर-शिर्डी-अहमदनगर (एनएच-160) सड़क के वर्तमान कि.मी. 163.400 से एनएच-222 के कि.मी. 228.700 तक] अहमदनगर बाईपास खंड की चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (चौंतीस) का.आ. 4584(अ) जो दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 (नया एनएच-16) के कि.मी. 355.000 से कि.मी. 434.15 तक चिल्कालूरीपेट-विजयवाड़ा खंड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (पैंतीस) का.आ. 4657 (अ) जो दिनांक 24 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

- हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. - 50 के कि.मी. 54.370 से कि.मी. 101.400 तक बीदर-हुमनाबाद खंड की दो/चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (छत्तीस) का.आ. 3634 (अ) जो दिनांक 28 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 66 (नया एनएच सं. 77) के डिजाइन कि.मी. 37.600 से कि.मी. 219.782 (वर्तमान कि.मी. 37.600 से कि.मी. 214.200) तक तिंडीवनम से कृष्णागिरी खंड की पक्के शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (सैंतीस) का.आ. 3635 (अ) जो दिनांक 28 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-353जे के डिजाइन कि.मी. 34.000 से कि.मी. 62.035 तक नागपुर रिंग रोड खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (अड़तीस) का.आ. 3711 (अ) जो दिनांक 30 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में एनएच - 968 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 67.950 तक मोकल सरकारीतल खंड तथा एनएच- 68 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 125.573 तक तनोट-जेसलमेर खंड की दो/चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (उनतालीस) का.आ. 3712(अ) जो दिनांक 30 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में एनएच सं. 23 (नया एनएच - 143) के डिजाइन कि.मी. 287.200 से कि.मी. 337.050 (वर्तमान कि.मी. 287.205 से वर्तमान कि.मी. 337.882) तक राजमुंडा-बारकोटे खंड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (चालीस) का.आ. 3802(अ) जो दिनांक 4 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में एनएच - 08 (नया एनएच-58) के डिजाइन चैनेज कि.मी. 58.245 से कि.मी. 173.30 तक ब्यावर-गोमती खंड की पक्के शोल्डर सहित चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (इकतालीस) का.आ. 3803(अ) जो दिनांक 4 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.- 911 के डिजाइन कि.मी. (-)0.500 से कि.मी. 101.000 तक रायसिंह नगर-गजसिंहपुर-कर्णपुर-साधुवाली (गंगानगर) खंड की पक्के शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (बयालीस) का.आ. 3829(अ) जो दिनांक 6 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48 (पुराना एनएच-8) के डिजाइन कि.मी. 108.700 से कि.मी. 192.000 (वर्तमान चैनेज कि.मी. 108.700 से कि.मी. 192.000) तक वड़ोदरा-भरुच खंड की चार/छह लेन खंडों की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

- (तैंतालीस) का.आ. 3857(अ) जो दिनांक 9 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 71 के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 57.046 (वर्तमान कि.मी. 124.600 से कि.मी. 183.400) तक रनीगुंटा-नायडूपेटा खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (चवालीस) का.आ. 3858(अ) जो दिनांक 9 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य और पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र में कि.मी. 0.000 से कि.मी. 85.000 तक एनएच-544एच तक थोपुर-मेटूर-भवानी-इरोड खंड की पक्के शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (पैंतालीस) का.आ. 3859(अ) जो दिनांक 9 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य और पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 32 के कि.मी. 0.000 से 32.290 तक पांडेचेरी-तिंडिवनम खंड की चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (छयालीस) का.आ. 3860(अ) जो दिनांक 9 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग – 327ई के डिजाइन कि.मी. 49.000 से कि.मी. 93.983 (वर्तमान कि.मी. 49.000 से कि.मी. 93.983) तक बहादुरगंज से अररिया खंड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (सैंतालीस) का.आ. 3921(अ) जो दिनांक 12 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 516ई के डिजाइन कि.मी. 2.400 से कि.मी. 51.772 तक पाडेरु-गोंडीगुड़ा और गोंडीगुड़ा-अराकू (भालूगुड़ा तक) खंड की पक्के शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (अड़तालीस) का.आ. 3923(अ) जो दिनांक 12 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में डिजाइन कि.मी. 106.000 से कि.मी. 136.520 और 0.000 से 32.900 (वर्तमान कि.मी. 105.171 से कि.मी. 135.740 तथा कि.मी. 0.000 से कि.मी. 34.230) तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. एनएच-214 और एनएच-214ए (नया एनएच- 216) के पसरलापुडी से लोसारी खंड की पक्के शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (उनचास) का.आ. 3924(अ) जो दिनांक 12 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड और पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 18 (पुराना एनएच-32) के पुरुलिया (जेएचआर बार्डर)– बलरामपुर-चांडिल खंड के डिजाइन कि.मी. 70.524 से कि.मी. 453.705 (वर्तमान कि.मी. 70.524 से कि.मी. 153.705) (वर्तमान कि.मी. 70.524 से कि.मी. 153.705) तक पुरुलिया (जेएचआर बार्डर)– बलरामपुर-चांडिल (एनएच-33 के साथ जंक्शन) खंड की पक्के शोल्डर सहित

- दो/चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (पचास) का.आ. 3925(अ) जो दिनांक 12 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-26 के डिजाइन चैनेज कि.मी. 486.300 से कि.मी. 538.365 (वर्तमान कि.मी. 486.831 से कि.मी. 537.600) तक रायपुर-विशाखापट्टनम खंड की पक्के शोल्डर सहित दो/चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (इक्यावन) का.आ. 3926(अ) जो दिनांक 12 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 167बीजी के डिजाइन चैनेज कि.मी. 36.400 से कि.मी. 107.224 (वर्तमान कि.मी. 36.400 से कि.मी. 107.830) तक दत्तालुरु से कवाली खंड की दो/चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (बावन) का.आ. 4042(अ) जो दिनांक 19 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. एनएच-730सी के कि.मी. 52.770 से कि.मी. 114.000 (राष्ट्रीय राजमार्ग सं. एनएच-730सी पर 52.770 कि.मी. पर शुरू होने वाला और कि.मी. 114.000 पर समाप्त होने वाला) तक अल्लाहगंज-मीरनपुर-कटरा खंड की दो/चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (तिरपन) का.आ. 3209(अ) जो दिनांक 7 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में कि.मी. 263.000 से कि.मी. 502.000 एनएच-8 तक सूरत-दहीसर खंड की छह लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (चौवन) का.आ. 3237(अ) जो दिनांक 9 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में एनएच सं. 31 के डिजाइन कि.मी. 153.300 से कि.मी. 197.900 (एनएच- 31 के वर्तमान कि.मी. 153.300 से कि.मी. 204.741) तक बख्तियारपुर-मोकामा खंड की चार या अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (पचपन) का.आ. 3238(अ) जो दिनांक 9 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 20 (पुराना एनएच-31) के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 50.890 (वर्तमान कि.मी. 152.780 से कि.मी. 101.650) तक बख्तियारपुर-राजोली खंड की चार या अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (छप्पन) का.आ. 3441(अ) जो दिनांक 12 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में एनएच सं. 127 के डिजाइन कि.मी. 278.600 से कि.मी. 315.315 (वर्तमान कि.मी. 278.58 से कि.मी. 315.315) तथा एनएच सं. 715 के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 17.300 (वर्तमान कि.मी. 0.000 से कि.मी. 17.300) तक नौगांव बाईपास से कलियाबोर तिनियाली से दोलाबारी खंड की पक्के



शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

- (सत्तावन) का.आ. 3442(अ) जो दिनांक 12 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में दोलाबारी से जामूगुरी खंड के डिजाइन कि.मी. 17.300 से कि.मी. 182.000 और जामूगुरी से गोहपुर खंड की एनएच-715 के डिजाइन कि.मी. 182.000 से कि.मी. 265.500 तक एनएच-15 की (वर्तमान कि.मी. 182.000 से कि.मी. 264.100) चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (अठ्ठावन) का.आ. 3460(अ) जो दिनांक 14 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 927ए के डिजाइन कि.मी. 151.400 से डिजाइन कि.मी. 211.100 (वर्तमान कि.मी. 148.170 से वर्तमान कि.मी. 211.100) तक देवल-डूंगरपुर-हिराता-वर्दा-सागवाड़ा खंड की दो/चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (उनसठ) का.आ. 3461(अ) जो दिनांक 14 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में एनएच सं. एनई-4 के 844.667 से कि.मी. 936.141 (844.667 से शुरू होने वाली और शुल्क प्लाजा सीएच. 936.141 पर समाप्त होने वाली) (लंबाई 91.474 कि.मी.) तक खंड की आठ लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (साठ) का.आ. 3518(अ) जो दिनांक 20 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी आधार पर दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे (पैकेज-1 से पैकेज-12 से सीएच. 0.000 से 397.700) की चार लेन ग्रीन फील्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (इकसठ) का.आ. 3543(अ) जो दिनांक 21 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 66 (पुराना एनएच सं. 47) के कि.मी. 486.500 से कि.मी. 499.500 (कोल्लम बाईपास खंड) के उपयोग हेतु दिनांक 15 सितम्बर, 2020 की अधिसूचना सं. का.आ. 3132(अ) के अधिक्रमण में परियोजना हेतु प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (बासठ) का.आ. 3604(अ) जो दिनांक 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 965सी के डिजाइन चैनेज कि.मी. 48.375 से कि.मी. 79.533 (वर्तमान कि.मी. 51.575 से कि.मी. 82.800) तक पंढरपुर से संगोला खंड की दो/चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (तिरसठ) का.आ. 3605(अ) जो दिनांक 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 548ए के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 42.345 (वर्तमान कि.मी. 0.000 से कि.मी. 43.925) तक इंदापुर से अग्रडंडा खंड की पक्के शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क

अधिसूचना के बारे में है।  
(चौसठ) का.आ. 3606(अ) जो दिनांक 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में एनएच- 25 विस्तार के कि.मी. 0.972 से कि.मी. 69.910 तक बाड़मेर-घागरिया खंड की दो/चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

- (4) (एक) इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स, नोएडा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स, नोएडा के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दुर्गा दास उइके) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।  
(2) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. राज भूषण चौधरी) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तोखन साहू) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) मेट्रो रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 32 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे:-  
(एक) का.आ. 3587(अ) जो 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के संरेखण को अधिसूचित किया गया है।  
(दो) का.आ. 3588(अ) जो 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के संरेखण को अधिसूचित किया गया है।  
(तीन) का.आ. 4018(अ) जो 19 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के संरेखण को अधिसूचित किया गया है।  
(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-  
(एक) मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ वॉटर एंड लैंड मैनेजमेंट, तेजपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ वॉटर एंड लैंड मैनेजमेंट, तेजपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) नमामि गंगे, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) नमामि गंगे, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।  
(तीन) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोला) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।
- (दो) एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

#### 4. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती अपराजिता सारंगी ने लोक लेखा समिति (2024-25) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) 'अनियमित कर छूट के कारण राजस्व की हानि- दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय' विषय के बारे में लोक लेखा समिति के 80वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में दूसरा प्रतिवेदन।
- (2) 'एक्स-इंजन की अधिप्राप्ति' विषय के बारे में लोक लेखा समिति के 81वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति का तीसरा प्रतिवेदन।
- (3) 'चैनल एयर बॉक्स की खरीद पर परिहार्य व्यय : बनारस रेल इंजन कारखाना' विषय के बारे में लोक लेखा समिति के 90वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति का चौथा प्रतिवेदन।

#### 5. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के विवरण

श्री गणेश सिंह ने अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) लिमिटेड में रोजगार में ओबीसी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण हेतु किए गए उपाय' विषय के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के पहले

प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित समिति के नौवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम-की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

- (2) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम-की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।
- (3) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित 'कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित समिति के अठ्ठाईसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम-की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।
- (4) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल), ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) और फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (एफएसीटी) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के बीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम-की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

- (5) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित 'कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार पर सरकार द्वारा अंतिम-की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

## **6. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2024-25) के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2024-25) का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

## **7. जल संसाधन संबंधी समिति का विवरण**

श्रीमती संजना जाटव ने 'अनुदानों की मांगें (2023-24)' संबंधी इक्कीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों से संबंधित अठ्ठाईसवां प्रतिवेदन (की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन) तथा 'भूजल; एक मूल्यवान लेकिन घटता संसाधन' विषय संबंधी बाईसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों से संबंधित पच्चीसवें प्रतिवेदन (की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन) पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

## **8. ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-25) संबंधी पहला प्रतिवेदन।
- (2) भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-25) संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।

(3) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-25) संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

## 9. मंत्री द्वारा वक्तव्य

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य दिए :-

- (1) विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (2) विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (3) विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (4) विद्युत मंत्रालय से संबंधित विद्युत क्षेत्र को आवंटित कोयला ब्लॉकों का विकास विषय के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (5) विद्युत मंत्रालय से संबंधित विद्युत प्रशुल्क नीति की समीक्षा – देश भर में प्रशुल्क संरचना में एकरूपता की आवश्यकता विषय के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

## 10. अनुदानों की अनुपूरक मांगें

श्री पंकज चौधरी ने श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से वर्ष 2024-25 के लिए 'अनुदानों की अनुपूरक मांगें – पहला बैच' को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.18 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 1.00 बजे पुनः समवेत हुई।)*

**\*अपराह्न 1.00 बजे**

## 11. नियम 377 के अधीन मामले

---

\* अपराह्न 12.07 बजे से अपराह्न 12.18 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:-

1. श्री रवि किशन द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कैंसर अस्पताल की स्थापना किए जाने के बारे में।
2. डॉ. मन्ना लाल रावत द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत उदयपुर में बावड़ियों को बारहमासी जल स्रोत के रूप में जोड़ने तथा सांस्कृतिक पर्यटन के अंतर्गत उन्हें 'ग्राम तीर्थ' के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री काली चरण सिंह द्वारा झारखंड के चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लावालौंग ब्लॉक में बिजली उपलब्ध कराए जाने और पक्की सड़कें बनवाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री दुलू महतो द्वारा झारखंड के बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए अधिगृहीत की गई भूमि के हिस्से के उपयोग के बारे में।
5. श्री आशीष दुबे द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हरी मटर की बिक्री और भंडारण के लिए 'सफल' स्टोर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री दामोदर अग्रवाल द्वारा राजस्थान में भीलवाड़ा-शाहपुरा-जहाजपुर-देवली सड़क को फोरलेन बनाए जाने के बारे में।
7. श्री राजू बिष्ट द्वारा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एम्स की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
8. श्री विजय बघेल द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र के अंतर्गत खाली पड़ी भूमि के उपयोग हेतु योजना बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
9. श्री दर्शन सिंह चौधरी द्वारा मध्य प्रदेश में उत्पादित बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान किए जाने तथा चावल की खरीद के लिए एमएसपी घोषित किए जाने के बारे में।
10. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी द्वारा महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले और अन्य आकांक्षी जिलों के विकास के लिए पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
11. श्री राहुल कस्वां द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत दावों के निपटान के बारे में।
12. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले द्वारा एपीएएआर आईडी और डिजी-लॉकर बनाने हेतु उपयोग किए गए छात्रों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के बारे में।
13. श्री मनीश तिवारी द्वारा पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों और महिलाओं हेतु पूरक पोषण के लिए लागत मानदंडों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
14. डॉ. मोहम्मद जावेद द्वारा बिहार में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के किशनगंज केंद्र को



धनराशि जारी किए जाने तथा वहाँ कर्मचारियों की भर्ती किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. डॉ. धर्मवीर गांधी द्वारा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों में मरीजों का इलाज सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
16. सुश्री इकरा चौधरी द्वारा सभी राज्यों में वन अधिकार अधिनियम, 2006 का सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
17. श्री देवेश शाक्य द्वारा उत्तर प्रदेश के एटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रेलवे से संबंधित मुद्दों के बारे में।
18. डॉ. रानी श्रीकुमार द्वारा देश में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं और निजी स्व-सहायता समूहों द्वारा कमजोर समुदायों का शोषण किए जाने के बारे में।
19. डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा पंचदेवरी-भटनी रेलवे लाइन परियोजना का निर्माण किए जाने के बारे में।
20. श्री संजय दीना पाटिल द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल किराये में रियायत बहाल किए जाने के बारे में।
21. श्री नरेश गणपत म्हस्के द्वारा आपत्तिजनक और अश्लील सामग्री प्रसारित करने वाले ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
22. श्री के. सुब्बारायण द्वारा पाकिस्तान में स्थित सिंधु घाटी स्थलों पर निर्देशित पर्यटन, सांस्कृतिक उत्सवों और शैक्षिक आदान-प्रदान को सुकर बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ सहयोग किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
23. डॉ. डी. रवि कुमार द्वारा देश में गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के समक्ष आने वाली समस्याओं के बारे में।
24. एडवोकेट चन्द्र शेखर द्वारा छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में सतनामी समुदाय के खिलाफ हुई हिंसा के बारे में।

*(लोक सभा अपराह्न 1.01 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)*

## **अपराह्न 2.00 बजे**

### **12. सरकारी विधेयक – पारित**

*आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024.*

आबंटित समय : 6 घंटे

श्री नित्यानन्द राय द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए 11 दिसम्बर, 2024 को पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया।

1. श्री राम शिरोमणि वर्मा (अपना भाषण पुनः आरंभ किया)
2. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि
3. श्री केसिनेनी शिवनाथ
4. श्री दिनेश चंद्र यादव
5. श्री अनिल यशवंत देसाई
6. श्री राजेश वर्मा
7. श्री सप्तगिरि शंकर उलाका
8. श्री गणेश सिंह
9. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी
10. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
11. श्री के. राधाकृष्णन
12. श्री सुधाकर सिंह
13. श्री छोटेलाल
14. प्रो सौगत राय
15. श्री नवासखनी के.
16. श्री कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस
17. श्री अरुण गोविल
18. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर
19. श्री सुब्बारायण के.
20. श्री राजेश रंजन
21. श्री अनिल बलूनी
22. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी
23. श्री मियां अल्ताफ अहमद
24. श्री पुट्टा महेश कुमार
25. श्री चंदन चौहान
26. श्री सुदामा प्रसाद
27. श्री एम. मल्लेश बाबू
28. श्री वीरेन्द्र सिंह
29. श्री वी. वैथिलिंगम

30. श्री शंकर लालवानी
31. श्री दुरई वाइको
32. श्री हनुमान बेनीवाल
33. तिरु अरुण नेहरू
34. श्री संतोष पांडेय
35. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे
36. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
37. श्रीमती लवली आनंद
38. श्रीअसादुद्दीन ओवैसी
39. श्री संजय उत्तमराव देशमुख
40. एडवोकेट चन्द्रशेखर
41. श्री पटेल उमेशभाई बाबूभाई
42. डॉ. इंद्रा हांग सुब्बा
43. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील
44. एडवोकेट डीन कुरियाकोस
45. श्री आनंद भदौरिया
46. श्री बृजमोहन अग्रवाल

श्री नित्यानन्द राय ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

खंड 5 स्वीकृत हुआ।

खंड 6 स्वीकृत हुआ।

खंड 7 स्वीकृत हुआ।

खंड 8 और 9 स्वीकृत हुए।

खंड 10 से 12 स्वीकृत हुए।

खंड 13 स्वीकृत हुआ।

खंड 14 और 15 स्वीकृत हुए।

खंड 16 और 17 स्वीकृत हुए।

खंड 18 से 22 स्वीकृत हुए।

खंड 23 से 26 स्वीकृत हुए।

खंड 27 और 28 स्वीकृत हुए।

खंड 29 से 51 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री नित्यानन्द राय द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

**रात्रि 8.03 बजे**

*( लोक सभा शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 2024 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक  
के लिए स्थगित हुई।)*

**उत्पल कुमार सिंह  
महासचिव**

## लोक सभा

-----

### समाचार – भाग 1 (कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

-----

शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 2024/ 22 अग्रहायण, 1946 (शक)

-----

संख्या 36

#### पूर्वाह्न 11.00 बजे

##### 1. अध्यक्ष द्वारा दुःखद घटना संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने 13 दिसंबर, 2001 को संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले की दुःखद घटना के बारे में उल्लेख किया।

इसके बाद, सदस्य आतंकवादी हमले में शहीद हुए कर्मियों की स्मृति के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहे।

#### पूर्वाह्न 11.02 बजे

##### 2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 261 से 266 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 267 से 280 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

##### 3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2991 से 3220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

#### मध्याह्न 12.00 बजे

##### 4. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने 12 दिसंबर, 2024 को सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीतने तथा 18 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बनने पर श्री गुकेश डी को सभा की ओर से बधाई दी।

#### अपराह्न 12.02 बजे

## 5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि के वर्ष 2023-2024 के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे।
- (2) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि के वर्ष 2023-2024 के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे।

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत ओषधि (पांचवां संशोधन) नियम, 2024, जो दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.669(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति, तथा उसका शुद्धिपत्र जो दिनांक 21 नवम्बर, 2024 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.660(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (2) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
  - (एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्य) पहला संशोधन विनियम, 2024 जो दिनांक 23 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसटीडी/एफए/38/एफएसएसआई(भाग-एक) में प्रकाशित हुए थे।
  - (दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.678(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (3) (एक) केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद्, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद्, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मंगलगिरि के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मंगलगिरि के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक

- प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मदुरै के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मदुरै के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) राष्ट्रीय क्षय और श्वसन रोग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय क्षय और श्वसन रोग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा का विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान), बेंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान), बेंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (सांख्यिकी विभाग, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ोदा), वडोदरा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- [illegible]



- [illegible]

- (दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (आंध्र विश्वविद्यालय), विशाखापत्तनम के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।  
 (दो) राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।  
 (दो) राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।  
 (दो) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।  
 (दो) एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड त्रावणकोर लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।  
 (दो) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड त्रावणकोर लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्तनु ठाकुर) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1980 की धारा 458 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) वाणिज्य पोत परिवहन (पोत और पत्तन परिवहन सुरक्षा) नियम, 2024, जो 22 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा.का.नि. 84(अ) में प्रकाशित हुए थे।  
 (दो) का.आ. 2446 (अ) जो 24 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1980

- की धारा 7 के अंतर्गत नियुक्त पोत परिवहन महानिदेशक उक्त अधिनियम के भाग 9ख के प्रयोजनों के लिए अभिहित प्राधिकारी होंगे।
- (तीन) वाणिज्य पोत परिवहन (अपील) नियम, 2024 जो दिनांक 10 सितंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 558 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) का.आ. 3870(अ) जो 10 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को उस तारीख के रूप में अधिसूचित किया गया है जिसको वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1980 से संबंधित जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 की अनुसूची की क्रम सं. 14 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।
- (2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक) पर उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 113 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अंतर्देशीय जलयान (केन्द्रीय डाटाबेस और सहबद्ध मामले) नियम, 2024 जो दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 670(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण, कांडला के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण, कांडला के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण, कांडला के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (चार) दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण, कांडला के वर्ष 2023-2024 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (चार) जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण, विशाखापत्तनम के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण, विशाखापत्तनम के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक

- प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (चार) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (9) भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 की धारा 47 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. आईएमयू/एचक्यू/एडीएम/अधिसूचना/2023/01, जो दिनांक 3 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा परिनियम 34(1), 2024 का अध्यादेश सं.1, 2024 का अध्यादेश सं. 2, 2016 का विनियम 01, 2016 का विनियम 03 अधिसूचित किए गए हैं और भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय के प्रत्येक कैम्पस द्वारा नियंत्रित लोक परिसरों के संबंध में संपदा अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, सिविल निर्माण अधिकारी संवर्ग (समूह 'क' तथा 'ख' पद) भर्ती नियम, 2023, जो दिनांक 10 जून, 2023 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 73(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा नियम, 2023 जो दिनांक दिनांक 3 जून, 2023 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 72 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भंडार सहायक 'ख' और भंडार सहायक 'क' (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2023, जो दिनांक 24 जून, 2023 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 78 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, वरिष्ठ भंडार अधिकारी ग्रेड- II, भंडार अधिकारी और वरिष्ठ भंडार सहायक (समूह 'क' तथा 'ख' पद) भर्ती नियम,

- 2023, जो दिनांक 26 अगस्त, 2023 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 85 में प्रकाशित हुए थे।
- (पाँच) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2023, जो दिनांक 30 सितम्बर, 2023 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 86 में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, लेखा संवर्ग, लेखाकार (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2024, जो दिनांक 10 फरवरी, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 9 में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, लेखा संवर्ग, वरिष्ठ लेखा अधिकारी ग्रेड-1 (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2024, जो दिनांक 10 फरवरी, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 10 में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-II (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2024, जो दिनांक 1 जून, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 24 में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, प्रधान निजी सचिव भर्ती (संशोधन) नियम, 2024, जो दिनांक 1 जून, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 25 में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, तकनीकी संवर्ग भर्ती नियम, 2024, जो दिनांक 21 सितम्बर, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 52 में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, उप निदेशक (राजभाषा), समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2023, जो दिनांक 30 दिसम्बर, 2023 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 90 में प्रकाशित हुए थे।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले ग्यारह विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) सेंटर फॉर जॉइंट वारफेयर स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) सेंटर फॉर जॉइंट वारफेयर स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) छावनी परिषदों के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।  
(दो) छावनी परिषदों के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) नेशनल मेरिटाइम फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) नेशनल मेरिटाइम फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की

सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (6) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) बीईएमएल लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बीईएमएल लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) बीईएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बीईएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) बीईएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बीईएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (7) उपर्युक्त (6) की मद संख्या (ग) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबित्रा मार्गेरिता) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (एक) रिसर्च एण्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रिसर्च एण्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

## 6. प्राक्कलन समिति के विवरण

डॉ. संजय जायसवाल ने प्राक्कलन समिति (2024-25) के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) गृह मंत्रालय से संबंधित 'केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां-मूल्यांकन और प्रतिउत्तर तंत्र' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति (2017-2018) के 28वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित प्राक्कलन समिति (2020-2021) के दूसरे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा अंतिम-की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।
- (2) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों का युक्तिकरण' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति (2015-2016) के 12वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित प्राक्कलन समिति (2020-2021) के 10वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा अंतिम-की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।
- (3) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित 'भारतमाला परियोजनाओं सहित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का प्राक्कलन और कार्यकरण' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति (2020-2021) के 7वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित प्राक्कलन समिति (2022-2023) के 16वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा अंतिम-की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।
- (4) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) से संबंधित 'सरकारी व्यय के बेहतर प्रबंध के लिए हालिया बजटीय सुधार' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति (2020-2021) के 9वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित प्राक्कलन समिति (2022-2023) के 17वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा अंतिम-की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।
- (5) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित 'प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई – जी) के निष्पादन की समीक्षा' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति (2021-2022) के 11वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित प्राक्कलन समिति (2022-2023) के 22वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा अंतिम-की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।
- (6) गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग) से संबंधित 'राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की समीक्षा' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति (2021-2022) के 13वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित प्राक्कलन समिति (2022-2023) के 25वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा अंतिम-की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।
- (7) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित 'उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के प्राक्कलन और नीतिगत पहलू' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति (2022-2023) के 18वें प्रतिवेदन

(सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित प्राक्कलन समिति (2023-2024) के 29वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा अंतिम-की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

## **7. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्ययन दौरे के प्रतिवेदन**

डॉ. फगन सिंह कुलस्ते ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2024-2025) के निम्नलिखित अध्ययन दौरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 4 से 9 नवम्बर, 2023 तक गुवाहाटी, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी का अध्ययन दौरा प्रतिवेदन।
- (2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 16 से 21 अक्टूबर, 2024 तक मुन्नार, कोच्चि, बेंगलुरु और भुवनेश्वर का अध्ययन दौरा प्रतिवेदन।

## **8. रेल संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

डॉ. सी.एम. रमेश ने रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2024-25) के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (2024-25) का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

## **9. रेल संबंधी स्थायी समिति का विवरण**

डॉ. सी.एम. रमेश ने 'रेल भूमि विकास प्राधिकरण का कार्य-निष्पादन' विषय के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम-की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

## **10. मंत्री द्वारा वक्तव्य**

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ) ने रक्षा मंत्रालय से संबंधित थल सेना, नौसेना, वायु सेना और संयुक्त स्टाफ (मांग संख्या 19 और 20) के बारे में अनुदानों की मांगों (2019-20) के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।



## 11. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम) मेघवाल ने 18वीं लोक सभा के तीसरे सत्र के शेष भाग के दौरान सरकारी कार्य के संबंध में एक वक्तव्य दिया।

## अपराह्न 12.06 बजे

## 12. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:-

1. श्रीमती भारती पारधी द्वारा मध्य प्रदेश के बालाघाट में फॉरेस्ट रेंजर्स कॉलेज को फिर से खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्री दिलीप शङ्कीया द्वारा टोल प्लाजाओं के बीच न्यूनतम दूरी को मौजूदा 60 किलोमीटर से बढ़ाकर 100 किलोमीटर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री प्रदीप पुरोहित द्वारा आईआईएचटी, बरगढ़, ओडिशा में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू किए जाने तथा बालीजोरी हैंडलूम बाजार में आधारभूत अवसंरचना सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री योगेन्द्र चांदोलिया द्वारा डीआईडीओएम अधिनियम के अंतर्गत दिल्ली में उद्योगों पर सेवा शुल्क समाप्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्री पी. पी. चौधरी द्वारा देश के युवाओं पर सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए इसे विनियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री जुगल किशोर द्वारा जम्मू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रियासी विधानसभा क्षेत्र में 1971 में सेना द्वारा खंदक के निर्माण के लिए जिन किसानों की भूमि अधिगृहीत की गई थी, उन्हें मुआवजा का भुगतान फिर से शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. श्री कामाख्या प्रसाद तासा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों और शैक्षिक अनुसंधान संस्थानों द्वारा असमिया भाषा का व्यापक अध्ययन और शोध कार्य करने के लिए कदम उठाए जाने की

आवश्यकता के बारे में।

8. डॉ. के. सुधाकर द्वारा देश के बच्चों पर सोशल मीडिया के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में।
9. डॉ. सी. एम. रमेश द्वारा आंध्र प्रदेश के अनकापल्लू जिले के पुडीमडका में फिशिंग हार्बर के निर्माण कार्य को पूरा करने में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
10. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर द्वारा दादरा और नागर हवेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम पंचायत सरपंच के कामकाज में अधिकारियों के कथित हस्तक्षेप के बारे में।
11. श्री ज्ञानेश्वर पाटील द्वारा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में केला अनुसंधान केन्द्र एवं कृषि महाविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
12. श्री दुष्यंत सिंह द्वारा कृषि-जैव विविधता का संरक्षण तथा किसानों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए जीएम फसलों के उपयोग के बारे में नीति लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
13. श्री बिभु प्रसाद तराई द्वारा ओडिशा के पारादीप पत्तन क्षेत्र में झुग्गीवासियों का पुनर्वास कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
14. डॉ. शशि थरूर द्वारा केरल के तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) केंद्र को फिर से खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
15. श्री सतपाल ब्रह्मचारी द्वारा हरियाणा के सोनीपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे से संबंधित मुद्दों के बारे में।
16. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी द्वारा पोलावरम बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना से तेलंगाना के समक्ष उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए एक शीर्ष समिति गठित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
17. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग द्वारा पंजाब में अशोधित औद्योगिक अपशिष्टों के कारण सतलुज नदी की सहायक नदी बुद्ध नाला के प्रदूषण के बारे में।
18. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका द्वारा ओडिशा में गंधमर्दन पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्र में खनन गतिविधियों को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।
19. श्री ससिकांत सेंथिल द्वारा देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
20. श्री बाबू सिंह कुशवाहा द्वारा किसानों को डीएपी की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
21. श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा केन्द्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालयों में लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर भर्ती में आरक्षण नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

के बारे में।

22. श्री के. ईश्वरस्वामी द्वारा सूखी ईंटें बनाने वाली एमएसएमई कंपनियों को थर्मल पावर प्लांट की सूखी राख मुफ्त या रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
23. श्री बस्तीपति नागराजू द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में वेदवती लिफ्ट सिंचाई, गुंडेवुला और राजौलीबंदा डायवर्सन योजना परियोजना को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
24. श्री अरविंद गणपत सावंत द्वारा मुंबई पत्तन की भूमि पर झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों का पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
25. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील द्वारा महाराष्ट्र में पात्र भूमिहीन परिवारों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण कराए जाने तथा उनके द्वारा सरकारी सुविधाओं का कानूनी रूप से लाभ उठाया जाना सुनिश्चित करने के लिए भूमि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
26. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी द्वारा कुड़मी जनजाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने के बारे में।

## अपराह्न 12.07 बजे

### 13. भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा के बारे में चर्चा

उपलब्ध समय : 12 घंटे  
लिया गया समय : 7 घंटे 03 मिनट

अध्यक्ष ने इस विषय पर टिप्पणी\* की।

इसके बाद श्री राजनाथ सिंह# ने चर्चा आरंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा
2. श्री अखिलेश यादव
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री टी. आर. बालू
5. डॉ. बायरेडु शबरी
6. श्री राजीव रंजन सिंह @

---

\* मूल हिन्दी में। ब्योरे के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

# रक्षा मंत्री।

@ पंचायती राज मंत्री; तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री।

7. श्री अरविंद गणपत सावंत
8. श्री भर्तृहरि महताब
9. श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा
10. डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे
11. श्रीमती शांभवी
12. श्री सुब्बारायण के.
13. श्री सचिदानन्दम आर.
14. श्री अवधेश प्रसाद
15. सुश्री महुआ मोइत्रा
16. \*\*श्री किरेन रिजिजू (हस्तक्षेप किया)

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 5.23 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 5.53 बजे पुनः समवेत हुई।)

(लगातार व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 5.55 बजे स्थगित हुई और सायं 6.15 बजे पुनः समवेत हुई।)

17. श्री जगदम्बिका पाल
18. श्री मलविंदर सिंह कंग
19. श्री हैबी ईडन
20. श्री ई टी मोहम्मद बशीर
21. डॉ. डी. पुरंदेश्वरी
22. सुश्री इकरा चौधरी
23. श्री हनुमान बेनीवाल
24. श्री एम. मल्लेश बाबू
25. श्री राजकुमार रोट

चर्चा पूरी नहीं हुई।

**रात्रि 8.00 बजे**

(लोक सभा शनिवार, 14 दिसम्बर, 2024 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

**उत्पल कुमार सिंह**  
महासचिव

---

\*\* संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

## लोक सभा

-----

### समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

-----

शनिवार, 14 दिसम्बर, 2024 / 23 अग्रहायण, 1946 (शक)

-----

संख्या 37

पूर्वाह्न 11.00 बजे

#### 1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री प्रभात सामंतराय, सदस्य, बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा; डॉ. के. मलयसामी, सदस्य, तेरहवीं लोक सभा; श्रीमती मनोरमा सिंह, सदस्य, आठवीं लोक सभा; श्री एस.एम. कृष्णा, सदस्य, चौथी, पांचवीं और सातवीं लोक सभा; और श्री एरा मोहन, सदस्य, सातवीं लोक सभा के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

#### 2. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस आशय के संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा शुक्रवार, 6 दिसम्बर, 2024 को हुई अपनी बैठक में, श्री कृष्ण लाल पँवार, जिन्होंने 14.10.2024 से राज्य सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति से राज्य सभा से एक सदस्य को समिति के शेष कार्यकाल के लिए सहयोजित करने के लिए नामनिर्दिष्ट करने की लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और उन्होंने श्री बालयोगी उमेशनाथ के नाम की सूचना भी दी, जो उक्त समिति के लिए निर्वाचित हुए हैं।

पूर्वाहन 11.06 बजे

3. भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा के बारे में चर्चा

उपलब्ध समय : 14 घंटे

लिया गया समय : 15 घंटे 43 मिनट

भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा के बारे में आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

1. \*\* श्री किरन रिजिजू
2. श्री ए. राजा
3. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
4. श्री सुधाकर सिंह
5. श्री मड्डीला गुरुमूर्ति
6. श्री राजेश रंजन
7. श्री सुखदेव भगत
8. श्री तेजस्वी सूर्या
9. श्री जिया उर रहमान
10. डॉ. राजकुमार सांगवान
11. डॉ. तिरुमावलवन थोलकप्पियन
12. श्री विजय कुमार हाँसदाक
13. श्री राहुल गांधी
14. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
15. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
16. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
17. श्री राजा राम सिंह
18. श्री मियां अल्ताफ अहमद
19. श्री रवि शंकर प्रसाद
20. कुमारी सैलजा

---

.. संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

21. श्री असादुद्दीन ओवैसी
22. प्रो. सौगत राय
23. श्री अल्फ्रेड कनंगम एस. आर्थर
24. श्री दुरई वाङ्को
25. एडवोकेट चन्द्र शेखर
26. श्री इमरान मसूद
27. एडवोकेट प्रिया सरोज
28. श्री कोडिकुन्नील सुरेश
29. श्री जयन्त बसुमतारी
30. श्री पटेल उमेषभाई बाबूभाई
31. सुश्री एस. जोतिमणि
32. # श्रीमती अनुप्रिया पटेल
33. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे
34. श्रीमती अपराजिता सारंगी
35. \* श्री अरुण कुमार सागर
36. \* श्री नारायणदास अहिरवार
37. \* श्री के. राधाकृष्णन
38. \* श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी
39. \* डॉ. रानी श्रीकुमार
40. \* डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन
41. \* डॉ. आलोक कुमार सुमन
42. \* एडवोकेट डीन कुरियाकोस
43. \* श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
44. \* श्री मनोज तिवारी
45. \* डॉ. राजेश मिश्रा

---

# स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

\* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए

46. \* श्री नवीन जिंदल
47. \* श्री चन्द्र प्रकाश जोशी
48. \* श्री नरेश गणपत म्हस्के
49. \* श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
50. \* श्री संजय उत्तमराव देशमुख
51. \* श्री देवसिंह चौहान
52. \* एडवोकेट गोवाल पाडवी
53. \* श्री राव राजेन्द्र सिंह
54. \* श्री सेल्वम जी.
55. \* श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी
56. \* श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील
57. \* एडवोकेट अदूर प्रकाश
58. \* श्री पुष्पेंद्र सरोज
59. \* श्री दिलेश्वर कामैत
60. \* श्री दिलीप शङ्कीया
61. \* डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले
62. \* श्री शंकर लालवानी
63. \* डॉ. हेमांग जोशी
64. \* श्री दामोदर अग्रवाल
65. \* श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव
66. \* तिरु डी. एम. कथीर आनंद
67. \* श्री एस. जगतरक्षकन
68. \* डॉ. कलानिधि वीरास्वामी
69. \* श्रीमती कमलेश जांगडे
70. \* श्रीमती लवली आनंद
71. \* श्रीमती मालविका देवी

---

\* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए



72. \* श्री बलवंत बसवंत वानखडे
73. \* श्री महेश कश्यप
74. \* श्री बैन्नी बेहनन
75. \* श्रीमती धानोरकर प्रतिभा सुरेश
76. \* श्रीमती कृति देवी देबबर्मन
77. \* डॉ. लता वानखेडे
78. \* डॉ. के. सुधाकर
79. \* श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषाद
80. \* श्री प्रदीप पुरोहित
81. \* डॉ. राजीव भारद्वाज
82. \* श्री यदुवीर वाडियार
83. \* श्री अरुण गोविल
84. \* श्री सुरेश कुमार कश्यप
85. \* डॉ. फगुन सिंह कुलस्ते
86. \* श्री राधा मोहन सिंह
87. \* श्री उम्मेदा राम बेनीवाल
88. \* डॉ. मन्ना लाल रावत
89. \* श्रीमती स्मिता उदय वाघ
90. \* श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
91. \* श्री सी. एन. अन्नादुरई
92. \* श्रीमती भारती पारधी
93. \* श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी
94. \* श्री शशांक मणि
95. \* श्री जी. एम. हरीश बालयोगी
96. \* श्री हरेन्द्र सिंह मलिक
97. \* श्रीमती मंजू शर्मा

98. \* श्री बिद्युत बरन महतो
99. \* श्रीमती देलकर कलाबेन मोहनभाई
100. \* श्रीमती सुप्रिया सुले
101. \* श्री सालेंग ए. संगमा
102. \* श्री चुड़ासमा राजेशभाई नारणभाई
103. \* श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम
104. \* श्री चावड़ा विनोद लखमशी
105. \* श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर
106. \* श्री जीतन राम माँझी
107. डॉ. मोहम्मद जावेद
108. श्री अभिजीत गंगोपाध्याय
109. श्री पी. पी. चौधरी
110. \* श्री सनातन पांडेय
111. \* श्री अशोक कुमार रावत
112. \* श्री देवेश शाक्य
113. \* डॉ. किरसान नामदेव
114. \* श्री रमेश अवस्थी
115. \* डॉ. भोला सिंह
116. \* श्री राधेश्याम राठिया
117. श्री नरेन्द्र मोदी @

चर्चा पूरी हुई।

---

\* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए

@ प्रधानमंत्री

**सायं 7.46 बजे**

*(लोक सभा सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**उत्पल कुमार सिंह  
महासचिव**

## लोक सभा

-----

### समाचार – भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

-----

सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024/ 25 अग्रहायण, 1946 (शक)

-----

संख्या 38

पूर्वाह्न 11.00 बजे

#### 1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 281 से 291 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 292 से 300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

#### 2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3221 से 3450 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराहन 12.01 बजे

#### 3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संस्कृति मंत्री; तथा पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय कला का इतिहास, संरक्षण और संग्रहालय विज्ञान संग्रहालय संस्थान, नोएडा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) राष्ट्रीय कला का इतिहास, संरक्षण और संग्रहालय विज्ञान संग्रहालय संस्थान, नोएडा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) तिब्बत हाउस, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) तिब्बत हाउस, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) तिब्बत हाउस, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) भारतीय संग्रहालय, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय संग्रहालय, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) राष्ट्रीय संस्कृति कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (9) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ड़ की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) लाखा मंडल मंदिर एवं उसके आसपास की छवियाँ, ग्राम लाखा मंडल, तहसील चकराता, जिला देहरादून, उत्तराखंड के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम।
- (दो) स्थित प्राचीन उत्खनित स्थलों एवं अवशेषों, ग्राम खावली सेरा, पुरोला, जिला उत्तरकाशी, उत्तराखंड के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम।
- (तीन) कब्रिस्तानों, मौजा कीडगंज, जिला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम।
- (चार) उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले के पिपरहवा तहसील में शाक्य स्तूप एवं मठ स्थल के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम।
- (पाँच) "दो मकबरे, अर्थात्, पहला अष्टकोणीय एवं मुहम्मद मोमिन, 'उस्ताद', जो अब खाली है, का मकबरा के रूप में ज्ञात एवं दूसरा वर्गाकार एवं हाजी जमाल, उनके शिष्य के मकबरे के रूप में ज्ञात; दूसरे में 5 कब्र अंदर एवं एक कब्र बाहर के एक प्लेटफॉर्म पर है" नकोदर, जिला जालंधर, पंजाब के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत

उपनियम।

- (छह) प्राचीन स्थल एवं बौध स्तूप, संघोल, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम।
- (सात) हुसैनाबाद, तहसील लखनऊ सदर, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आसफ-उद-दौला के इमामबाड़े, आसफ-उद-दौला से जुड़ी मस्जिद एवं आसफ-उद-दौला इमामबाड़े के निकट रूमी दरवाजा के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम।
- (आठ) शाह नवाज खान, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश के गुंबद के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम।
- (नौ) हम्माम खाना, चौक मोहल्ला, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम।
- (दस) बीटा (बेहटा) नदी पर पुल एवं उससे जुड़े मंदिर, टिकैतगंज, (तहसील-मलिहाबाद, जिला - लखनऊ, उत्तर प्रदेश) के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम।
- (ग्यारह) स्थानीय रूप से पेनहिया झार, खरहुआ झार, ओरा झार के रूप में ज्ञात टीले, जो सहेथ-महेथ (श्रावस्ती), जिला - बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के प्राचीन अवशेषों के पास बलरामपुर से जाने वाली सड़क पर स्थित हैं, के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम।
- (बारह) वृंदावन चंद्र मठ गुप्तीपुरा के नाम से ज्ञात मंदिरों का समूह, जिला - हुगली, पश्चिम बंगाल, के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम।
- (तेरह) लॉर्ड कार्नवालिस मकबरा, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम।
- (चौदह) बीबी साहब की मस्जिद, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम।
- (पंद्रह) फाजिलनगर का कोट के रूप में ज्ञात प्राचीन स्थल, जिसमें सर्वेक्षण भूखंड संख्या 766, 782 एवं सर्वेक्षण भूखंड संख्या 757, 758 एवं 759 का हिस्सा शामिल है, जिला - कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार); तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 12 जुलाई के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 384(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपरोक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) (एक) राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, नोएडा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
 (दो) राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, नोएडा के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
 (दो) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) समग्र शिक्षा, पुदुचेरी के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।  
 (दो) समग्र शिक्षा, पुदुचेरी के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।  
 (दो) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।  
 (तीन) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।  
 (दो) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।  
 (तीन) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) स्टार्स, मध्य प्रदेश के वर्ष 2020-2021 एवं 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
 (दो) स्टार्स, मध्य प्रदेश के वर्ष 2020-2021 एवं 2021-22 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपरोक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) स्टार्स, राजस्थान के वर्ष 2022-23 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
 (दो) स्टार्स, राजस्थान के वर्ष 2022-23 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपरोक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला

विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (12) (एक) तेलंगाना समग्र शिक्षा, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) तेलंगाना समग्र शिक्षा, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) उपरोक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- (14) (एक) समग्र शिक्षा, लद्दाख के वर्ष 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।  
(दो) समग्र शिक्षा, लद्दाख के वर्ष 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) उपरोक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

- (1) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31; प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 31 की उप-धारा (3) और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 27 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (दस्तावेजों का सत्यापन) (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 28 नवंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/212 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 27 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और प्रतिभागी) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 30 नवंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/213 में प्रकाशित हुए थे।
- (3) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-  
(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 20 नवंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/210 में प्रकाशित हुए थे।  
(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंकर) (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 29 नवंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/214 में प्रकाशित में हुए थे।



- (4) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सिक्का निर्माण (डॉ. पंजाबराव उर्फ भाऊसाहब देशमुख की 125वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2023, जो 21 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 905(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) सिक्का निर्माण (रामकृष्ण मिशन की स्थापना के 125 वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2023, जो 21 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 906(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) सिक्का निर्माण (खरतरगच्छ सहस्राब्दी, संस्थापक जैनाचार्य श्री जिनेश्वर सूरी के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2023, जो 23 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 914(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) सिक्का निर्माण (डॉ. हरेकृष्ण महताब की 125वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2023, जो 29 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 926(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पाँच) सिक्का निर्माण (कर्नाटक बैंक के 100 वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2023, जो 29 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 927 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) सिक्का निर्माण (वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के 20 वर्ष पूरा होने के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो 02 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 4 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) सिक्का निर्माण (स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो 22 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 56(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) सिक्का निर्माण (गणतंत्र दिवस समारोह के 75वें वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो 23 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 60 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) सिक्का निर्माण (उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर के श्री राम चंद्र जी की 125वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो 31 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 80(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) सिक्का निर्माण (श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की 150वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो 01 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 84(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) सिक्का निर्माण (भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो 23 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 127(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (बारह) सिक्का निर्माण (मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड की स्थापना के 250 वर्ष के

- अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो 12 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 178(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तेरह) सिक्का निर्माण (भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के 90 वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो 19 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 218(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चौदह) सिक्का निर्माण (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो 11 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 382(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पंद्रह) सिक्का निर्माण (भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो 11 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 383(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सोलह) सिक्का निर्माण (कलिंगनार डॉ. एम. करुणानिधि की जन्मशती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो 12 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 393(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सत्रह) सिक्का निर्माण (एच.एच. श्री माताजी निर्मला देवी की जन्म शताब्दी के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो दिनांक 6 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 539(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (अठारह) सिक्का निर्माण (भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई मुख्य शाखा भवन शताब्दी वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो दिनांक 11 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 563(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (उन्नीस) सिक्का निर्माण (श्री स्वामीनारायण मंदिर, वडतालधाम द्विशताब्दी महोत्सव के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो दिनांक 11 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 564(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (बीस) सिक्का निर्माण (राजभाषा के हीरक जयंती वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्के जारी किया जाना) नियम, 2024, जो दिनांक 11 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 565(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (इक्कीस) सिक्का निर्माण (केंद्रीय रेशम बोर्ड के स्थापना वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो 18 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 578(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (बाईस) सिक्का निर्माण (जैन आचार्य श्रीमद बुद्धिसागर सुरीश्वरजी महाराजजी की 150वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो दिनांक 4 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 686(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तेईस) सिक्का निर्माण (बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी की हीरक जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, दिनांक 4 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 685(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (चौबीस) सिक्का निर्माण (भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो दिनांक 12 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 700(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पच्चीस) सिक्का निर्माण (पार्श्वनाथ भगवान के 2900वें जन्म कल्याणक के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो 18 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 711(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छब्बीस) सिक्का निर्माण (पार्श्वनाथ भगवान के 2800वें निर्वाण कल्याणक के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो 18 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 710(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सत्ताईस) सिक्का निर्माण (मैसूर मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान के शताब्दी समारोह के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो 25 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 728(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (अट्ठाईस) सिक्का निर्माण (डॉ. हरेकृष्ण महताब की 125वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो 19 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 714(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (उनतीस) सिक्का निर्माण (संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2024, जो 20 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 718(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (5) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 27 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एपीजीवीबी-एसआर-संशोधन/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2023, जो दिनांक 27 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 904/एपीजीबी/पीएचआरडी/डीएफएस में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एपीआरबी/जीएन/142/1677 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) असम ग्रामीण विकास बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 6 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एजीवीबी/पीईआर/ईएसटीटी-बी/01/2024-25 में प्रकाशित हुए थे।
- (पाँच) बंगिया ग्रामीण विकास बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 9 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बीजीवीबी/एचओ/एचआर/4637/2024-25 में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियमन, 2024, जो दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या

- फा.सं. बीयूपीबी/एचओ/एचआरएम/06/17631019 में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) बड़ौदा यू.पी. बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 19 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बीयूपीबी/1019 में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीआरजीबी/एचओ/एचआर/1094/2024-25 में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 6 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. डीबीजीबी 1/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 11 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचपीजीबी/एचओ/एचआरडी/2024 में प्रकाशित हुए थे तथा दिनांक 25 जुलाई, 2024 की अधिसूचना संख्या एचपीजीबी/एचओ/एचआरडी/2024 में प्रकाशित उसका एक शुद्धिपत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण)।
- (ग्यारह) जे एंड के ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 22 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेकेजीबी/एचओ/एचआरडीडी /2024-25/2978 में प्रकाशित हुए थे।
- (बारह) झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 19 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेकेजीबी/सेवा/( संशोधन)/2024-25 में प्रकाशित हुए थे।
- (तेरह) कर्नाटक ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.स. एनबी.एचओ.आईडीडी.नीति/182/316(सेवा विनियम)/2024-25 में प्रकाशित हुए थे।
- (चौदह) कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 8 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एनबी.एचओ.आईडीडी.नीति/182/316(सेवा विनियम)/ 2024-25 में प्रकाशित हुए थे।
- (पंद्रह) केरल ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 11 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या केजीबी/सेवा विनियम (संशोधन)/1/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (सोलह) मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.स. एमपीजीबी/एचओ/एचआरडी/2041/ सेवा(संशोधन)/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (सत्रह) मध्यांचल ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024,

- जो दिनांक 4 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचआरडी/2024-25/683 दिनांक 30.10.2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (अठारह) महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 13 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एमजीबी/सेवा विनियम (संशोधन)/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (उन्नीस) मेघालय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 4 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एमईजीआरआरबी/ सेवा (संशोधन) विनियम, 2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (बीस) मिजोरम ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 1 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एमआरबी/2024-मिजोरम ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (इक्कीस) ओडिशा ग्राम्य बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीएच/एचआरडी/831/2024-25 (संशोधन) विनियम, 2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (बाईस) पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीबीजीबी/एचओ/सीएचएम/पीएडी/300/2024-25 में प्रकाशित हुए थे।
- (तेईस) प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 11 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.स. पीयूपीजीबी.1/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (चौबीस) पंजाब ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 10 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ :एचआरडी:2024/3357 में प्रकाशित हुए थे।
- (पच्चीस) राजस्थान मरुधारा ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 19 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आरएमजीबी/एसआर संशोधन/10/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (छब्बीस) सप्तगिरि ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 12 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.स. एचओ/एचआरएम/ डीओपी-जीओआई /84/2024-25 में प्रकाशित हुए थे।
- (सत्ताईस) सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 10 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/एचआरडीडी/2024/1891 में प्रकाशित हुए थे।
- (अठ्ठाईस) सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 22 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसजीबी/एचओ/पीईआर/19638/2024 में प्रकाशित हुए थे।

- (उनतीस) तमिलनाडु ग्राम बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 13 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या टीएनजीबी/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीस) तेलंगाना ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या टीजीबी सेवा विनियम संशोधन 2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (इकतीस) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 9 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या टीजीबी.1/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (बत्तीस) उत्कल ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीईआर/242 में प्रकाशित हुए थे तथा दिनांक 8 नवम्बर, 2024 की अधिसूचना संख्या पीईआर/1733 में प्रकाशित उसका एक शुद्धिपत्र।
- (तैंतीस) उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.स. यूबीकेजीबी.1/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (चौंतीस) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 27 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/एचआरडी/17/24-25/1151 में प्रकाशित हुए थे।
- (पैंतीस) उत्तराखंड ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 25 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या यूजीबी/एचओ/2024-25/पीईआर/661 में प्रकाशित हुए थे।
- (छत्तीस) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 11 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या वीकेजीबी/एचओ/एचआरडी/एमआरएस/2024-25/25 में प्रकाशित हुए थे।
- (सैंतीस) आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 24 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.स. एपीजीवीबी-पीआर-संशोधन-2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (अड़तीस) आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 4 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1020/एपीजीबी/पीएचआरडी/डीएफएस/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (उनतालीस) अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एपीआरबी/जीएन/142/3936 में प्रकाशित हुए थे।
- (चालीस) आर्यावर्त बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आर्यावर्त बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 में प्रकाशित हुए थे।

- (इकतालीस) असम ग्रामीण विकास बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एजीवीबी/पीईआर/ईएसटीटी-बी/08/03/2024-25 में प्रकाशित हुए थे।
- (बयालीस) बंगीय ग्रामीण विकास बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बीजीवीबी/एचओ/एचआर/5700/2024-25 में प्रकाशित हुए थे।
- (तैंतालीस) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.स. बीजीजीबी/एचओ/एचआरएम/06/1763 में प्रकाशित हुए थे।
- (चवालीस) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचआरएम/एचओ/2024-25/252 में प्रकाशित हुए थे।
- (पैंतालीस) बड़ौदा यूपी बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 16 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.स. बीयूपीबी/24-25/158 में प्रकाशित हुए थे।
- (छियालीस) छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीआरजीबी/एचओ/एचआर/1161/2024-25 में प्रकाशित हुए थे।
- (सैंतालीस) दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 8 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीबीजीबी/2/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (अड़तालीस) एलाक्काई देहाती बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 22 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ईडीबी/714/संशोधित पेंशन विनियम, 2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (उनचास) हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 23 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचपीजीबी/एचओ/एचआरडी/2024/पीईएन-1 में प्रकाशित हुए थे।
- (पचास) जेएंडके ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेकेजीबी/एचओ/एचआरडीडी/2024-25/4359 में प्रकाशित हुए थे।
- (इक्यावन) झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 6 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेआरजीबी/पेंशन (संशोधन)/2024-25 में प्रकाशित हुए थे।
- (बावन) कर्नाटक ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 6 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 8/4/2024-आरआरबी में प्रकाशित हुए थे।

- (तिरपन) कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 1 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या केवीजीबी/पेंशन विनियम/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (चौवन) केरल ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 1 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या केजीबी पेंशन विनियम (संशोधन)/1/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (पचपन) मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.स. एमपीजीबी/एचओ/एचआरडी/2042/पेंशन (संशोधन)/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (छप्पन) मध्यांचल ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 4 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या कार्मिक (पेंशन)/डीकेएम/24-25/57 में प्रकाशित हुए थे।
- (सत्तावन) महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 5 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.स. 8/20/2010-आरआरबी में प्रकाशित हुए थे।
- (अठ्ठावन) मणिपुर ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.स. एमआरबी/ईपीआर/2/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (उनसठ) मेघालय ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 4 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.स. एमईजीआरआरबी/पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (साठ) मिजोरम ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 1 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जीजेडटी-एमआरबी/पीएसएन-एएमएम/2024-25/01 विनियम, 2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (इकसठ) नागालैंड ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 4 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एनआरबी/पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (बासठ) पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.स. पीबीजीबी/एचओ/सीएचएम/पीएडी/301/2024-25, 2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (तिरसठ) प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.स. पीयूपीजीबी 2/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (चौसठ) पंजाब ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.स. एचओ:एचआरडी: 2024/4363 में प्रकाशित हुए थे।



- (पैंसठ) राजस्थान मरुधारा ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 22 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आरएमजीबी/पीआर संशोधन/19/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (छियासठ) सप्तगिरी ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 22 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/एचआरएम/डीओपी-जीओआई/86//2024-25 में प्रकाशित हुए थे।
- (सड़सठ) सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/एचआरडीडी/2024/2016 में प्रकाशित हुए थे।
- (अड़सठ) सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसजीबी/एचओ/पीईआर/20282/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (उनहत्तर) तमिलनाडु ग्राम बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 22 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या टीएनजीबी/पेंशन(संशोधन)/041024/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (सत्तर) तेलंगाना ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 01 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या तेलंगाना ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (इकहत्तर) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. टीजीबी.1/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (बहत्तर) उत्कल ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीईआर/252 में प्रकाशित हुए थे।
- (तिहत्तर) उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 16 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. यूबीकेजीबी.2/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (चौहत्तर) उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/टीबीसी/17/2024-25/646 में प्रकाशित हुए थे।
- (पचहत्तर) उत्तराखंड ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 24 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. यूजीबी/एचओ/2024-52/पीईआर/1133 में प्रकाशित हुए थे।
- (छिहत्तर) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या वीकेजीबी/पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 में प्रकाशित हुए थे।

- (6) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 19 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) बैंक ऑफ बड़ौदा (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 29 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा. सं. एचओ/एचआरएम/116/2714 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 4 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बीओआई/एचओ/एचआर/आईआर/एमकेबी/एल-324(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 4 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा. सं. एएक्स1/एसटी/ओएसआर/119/2024-25 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 4 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा. सं. आईबी/जी-10/1/2024-25(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पाँच) इंडियन ओवरसीज बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 2 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा. सं. एचआरएमडी/एसयूपी/177/01/2024-25(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 28 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचआरडब्ल्यू पीएम 6114 2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 27 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीओ/एचसीएम/आईआरपी/2024-25/295 में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) यूको बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 27 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/ईएसटी/2024-25/570 में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) पंजाब नेशनल बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 29 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा. सं. एचआरडीडी/पीओएल/ओएसआर(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) पंजाब एंड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 26 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा. सं.

पीएसबी/एचआरडी/ओएसआर/2024-25/01 में प्रकाशित हुए थे।

- (ग्यारह) यूनिजन बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 27 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीओ/ईआरडी/पीडी/798/2024 में प्रकाशित हुए थे।
- (7) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत माल और सेवा कर अपीलीय अधिकरण (समूह 'ग' कर्मचारियों की भर्ती, वेतन तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2024, जो दिनांक 21 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 340(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (8) उपरोक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि.743(अ) जो दिनांक 3 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, और जिनके द्वारा दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 496(अ) का निरसन किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 3 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 745(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (10) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 744(अ) जो दिनांक 3 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 500(अ) का निरसन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (11) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ. 5063(अ) जो दिनांक 26 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जिसके द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 2024 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3048(अ) और दिनांक 29 नवम्बर, 2024 की अधिसूचना संख्या का.आ. 5128(अ) में प्रकाशित उसके शुद्धिपत्र में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) का.आ. 3048(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ

था, जिसके द्वारा सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 109 की उप-धारा (1), (3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए (एक) 1.9.2023 से माल और सेवा कर अपीलीय अधिकरण (जीएसटीएटी) की स्थापना, (दो) नई दिल्ली में जीएसटीएटी की प्रधान पीठ के गठन, और (तीन) जीएसटीएटी की कई राज्य पीठ के गठन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (तीन) सा.का.नि. 729(अ) जो दिनांक 25 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 19 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 02/2017-केंद्रीय कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) का.आ 5091(अ) जो दिनांक 27 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसका आशय डीजीजीआई द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के लिए समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी नियुक्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सा.का.नि.735(अ) जो दिनांक 27 नवम्बर, 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मणिपुर राज्य में व्यापार का प्रधान स्थान पंजीकृत व्यक्तियों के लिए अक्टूबर, 2024 के माह के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3ख प्रस्तुत करने की नियत तारीख बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (12) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि.749(अ) जो दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा दिनांक 05 दिसम्बर, 2024 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 751(अ) में प्रकाशित उसके शुद्धिपत्र जिनका आशय अधिसूचना की तारीख से 06 माह की अवधि के लिए चीन जनवादी गणराज्य तथा वियतनाम से "टेक्सचर्ड टेम्पर्ड कोटेड तथा अनकोटेड ग्लास" के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (13) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 2024, जो 29 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 739(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (14) सामान्य बीमा कारबार राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1972 के अध्याय-पांच के खंड 17 के अंतर्गत सामान्य बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का युक्तिकरण) संशोधन योजना, 2024 जो दिनांक 6 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 5257 में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (वाणिज्य)- वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 12 (अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां) की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) वर्ष 2023-2024 के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यक्रम की सरकार द्वारा की गई समेकित समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कीर्तिवर्धन सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (1) और (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 353(अ) जो दिनांक 29 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 मई, 2023 की अधिसूचना संख्या का.आ.489(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपरोक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 63 की उप-धारा (3) के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (अध्यक्ष के नामनिर्देशन की रीति तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2024, जो 25 नवंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 727 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।
- (4) (एक) गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुकान्त मजूमदार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 43 की उप-धारा (2) के अंतर्गत झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय (अतिरिक्त) परिनियम, 2024 जो दिनांक 17 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा. सं. सीयूजे/परिनियम/1/2010/भाग/II में प्रकाशित हुए थे।
- (2) पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 44 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:-  
(एक) अधिसूचना संख्या पीयू/एलसी/संशोधन/2023-24/फा.सं. 39-12/2023-सीयू-एक, जो दिनांक 5 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के परिनियम 1 में उसमें उल्लिखित कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (दो) अधिसूचना संख्या फा. 39-4/2019-सीयू-एक, जो दिनांक 23 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के परिनियमों में उसमें उल्लिखित कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तीन) पांडिचेरी विश्वविद्यालय (संशोधन) परिनियम, 2021, जो दिनांक 9 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा. सं. एफ-39-4/2019-सीयूआई/दिनांक 3.2.2021 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) पांडिचेरी विश्वविद्यालय (संशोधन) परिनियम, 2019, जो दिनांक 26 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा. सं. 39-4/2019-सीयू-1/दिनांक 6.12.2019 में प्रकाशित हुए थे।
- (3) उपर्युक्त (2) की मद संख्या (दो से चार) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले 3 विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (4) (एक) योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) नागालैंड विश्वविद्यालय, नागालैंड के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (9) (एक) शास्त्री इंडो कैनेडियन इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे
- (दो) शास्त्री इंडो कैनेडियन इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (10) उपरोक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (बीओएटी), उत्तरी क्षेत्र, कानपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (बीओएटी), उत्तरी क्षेत्र, कानपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, रायपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, रायपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बम्बई, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बम्बई, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बम्बई, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा) ने निम्नलिखित प्रस्ताव सभा पटल पर रखे:-

- (1) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (2) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के कार्यक्रम और प्रशासन के

#### 4. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2024-25) के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।
- (2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2024-25) के बारे में छठा प्रतिवेदन।

#### 5. श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री रूद्र नारायण पाणी ने श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) श्रम और रोजगार मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2024-25)' के बारे में पहला प्रतिवेदन।
- (2) वस्त्र मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2024-25)' के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।
- (3) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2024-25)' के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।

#### 6. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री आज्ञाद कीर्ति झा ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'कीटनाशी और नाशकजीवमार-सुरक्षित उपयोग सहित संवर्धन और विकास – कीटनाशकों हेतु लाइसेंस व्यवस्था' विषय के बारे में समिति के 46वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पहला प्रतिवेदन।
- (2) औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'चिकित्सा उपकरण उद्योग का संवर्धन' विषय के बारे में समिति के 50वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।
- (3) उर्वरक विभाग से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2024-25)' के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।
- (4) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2024-25)' के बारे में चौथा प्रतिवेदन।
- (5) औषध विभाग से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2024-25)' के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।



## 7. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के की-गई-कार्रवाई विवरण

श्री आज़ाद कीर्ति ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम-की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले छह की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) उर्वरक विभाग से संबंधित 'सतत कृषि उत्पादन और मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नैनो उर्वरक' के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 39वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित समिति के 47वें प्रतिवेदन के संबंध में की-गई-कार्रवाई विवरण।
- (2) 'उर्वरक विभाग की अनुदानों की मांगें (2023-24)' के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित समिति के 48वें प्रतिवेदन के संबंध में की-गई-कार्रवाई विवरण।
- (3) 'रसायन और पेट्रोरसायन विभाग की अनुदानों की मांगें (2023-24)' के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 41वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित समिति के 51वें प्रतिवेदन के संबंध में की-गई-कार्रवाई विवरण।
- (4) औषध विभाग की 'अनुदानों की मांगें (2023-24)' के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 42वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित समिति के 45वें प्रतिवेदन के संबंध में की-गई-कार्रवाई विवरण।
- (5) उर्वरक विभाग से संबंधित 'उर्वरकों पर जीएसटी और आयात शुल्क सहित उर्वरक उत्पादन और आयात नीति आयोजना' के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 43वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित समिति के 52वें प्रतिवेदन के संबंध में की-गई-कार्रवाई विवरण।
- (6) उर्वरक विभाग से संबंधित 'यूरिया राजसहायता योजना को जारी रखने की आवश्यकता सहित उर्वरक राजसहायता नीति और मूल्य निर्धारण संबंधी मुद्दे' के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 44वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित समिति के 49वें प्रतिवेदन के संबंध में की-गई-कार्रवाई विवरण।

## 8. कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2022-23)' के बारे में समिति के 28वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में 32वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।
- (2) खान मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2022-23)' के बारे में समिति के 29वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में 33वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।
- (3) कोयला मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2022-23)' के बारे में समिति के 30वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में 34वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।
- (4) खान मंत्रालय से संबंधित 'देश में एल्यूमिनियम और तांबा उद्योगों का विकास' विषय के बारे में 31वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में 35वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।
- (5) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'इस्पात क्षेत्र में कौशल विकास' के बारे में 36वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में 41वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।
- (6) कोयला मंत्रालय से संबंधित 'कोयले का आयात – प्रवृत्ति और आत्मनिर्भरता का मुद्दा' के बारे में 37वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में 42वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।
- (7) कोयला मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2023-24)' के बारे में समिति के 38वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में 43वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।
- (8) खान मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2023-24)' के बारे में समिति के 39वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में 44वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।
- (9) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2023-24)' के बारे में समिति के 40वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में 45वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

## अपराहन 1.00 बजे\*

---

\* अपराहन 12.05 बजे से अपराहन 02.03 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

## 9. सदस्य द्वारा निवेदन

श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने विजय दिवस को लेकर एक निवेदन किया।

सर्वश्री मणिकम टैगोर बी, विशालदादा प्रकाशबापू पाटील और कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस सहयोजित हुए।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत<sup>#</sup> ने उत्तर दिया।

## अपराहन 2.03 बजे

### 10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:-

1. श्री परषोत्तमभाई रुपाला द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा द्वारा रेलगाड़ियों के डिब्बों में शौचालयों की स्थिति के बारे में।
3. डॉ. रबीन्द्र नारायण बेहेरा द्वारा ओडिशा के जाजपुर जिले में हिंद महासागर अध्ययन अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री लुम्बा राम द्वारा झेरडा-माण्डेर-रेवदर-सिरोही राष्ट्रीय राजमार्ग को फोरलेन किए जाने तथा बाईपास सड़कों के निर्माण के बारे में।
5. श्री छत्रपाल सिंह गंगवार द्वारा देश के विभिन्न शहरों से बरेली को वायु सेवा संपर्क उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्रीमती कृति देवी देबबर्मन द्वारा छठी अनुसूची क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों के सशक्तिकरण के बारे में संविधान के 125वें संशोधन को समय पर पारित किया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. डॉ. फगन सिंह कुलस्ते द्वारा देश में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के संरक्षण के बारे में।
8. डॉ. विनोद कुमार बिंद द्वारा मिर्जापुर-गोपीगंज मार्ग को चार लेन का बनाए जाने के बारे में।

---

<sup>#</sup> संस्कृति मंत्री; तथा पर्यटन मंत्री द्वारा अपराहन 01.58 बजे उत्तर दिया गया।

9. श्री अरुण गोविल द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाओं के बारे में।
10. श्री दिलीप शङ्कीया द्वारा असम के कार्बी आंगलोंग जिले में एक जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने तथा साथ ही राज्य के उदलगुरी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का परिसर भी स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
11. श्री दुलू महतो द्वारा झारखंड के धनबाद में 150 बिस्तरों वाला ईएसआईसी अस्पताल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
12. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी द्वारा दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को पीएम उदय योजना के तहत घरों का मालिकाना हक प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
13. श्री गोपाल जी ठाकुर द्वारा बिहार के दरभंगा में आकाशवाणी केंद्र को बनाए रखने और इसे मैथिली भाषा कार्यक्रमों के लिए प्रसारण केंद्र घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
14. सुश्री एस. जोतिमणि द्वारा मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों (पीडब्लूएमआई) के उपचार और पुनर्वास के लिए दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
15. डॉ. किरसान नामदेव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) राजसहायता बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
16. श्री एस. सुपोंगमेरेन जमीर द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, आईसीएआर तथा केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के समान निर्धारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
17. श्री एंटो एन्टोनी द्वारा प्राकृतिक रबर के शुल्क मुक्त आयात को विनियमित किए जाने के लिए मानक इनपुट आउटपुट मानदंड (एसआईओएन) को संशोधित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
18. श्री सुखदेव भगत द्वारा झारखंड के रांची के इटकी में रेल ओवरब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
19. श्री पुष्पेंद्र सरोज द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ एवं कौशांबी जिलों में रेलगाड़ियों के ठहराव के बारे में।
20. सुश्री इकरा चौधरी द्वारा मुजफ्फरनगर और शामली जिलों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किए जाने की समीक्षा की आवश्यकता के बारे में।
21. श्री कालिपद सरेन खेरवाल द्वारा देश के विभिन्न भागों में संथालों और अन्य जनजातियों द्वारा अपनाए जाने वाले 'सारिधरम' और 'सरना धर्म' के लिए अलग धर्म कोड बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
22. श्री कीर्ति आज़ाद झा द्वारा आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएमजेएवाई) के

अंतर्गत इलाज कराने वाले लाभार्थियों के संवेदनशील डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23. तिरु अरुण नेहरू द्वारा देश में साइबर अपराध के खतरे से निपटने के लिए केन्द्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा संचालित पोर्टलों के समन्वय की आवश्यकता के बारे में।
24. श्री श्रीभरत मथुकुमिली द्वारा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम पत्तन पर कोयला और लौह अयस्क के परिवहन से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
25. श्री सुनील कुमार द्वारा बिहार के वाल्मीकिनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के हरनाटांड में हस्तशिल्प प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
26. श्री बजरंग मनोहर सोनवणे द्वारा महाराष्ट्र के बीड जिले में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों की सीबीआई जांच कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
27. श्री नरेश गणपत म्हस्के द्वारा महाराष्ट्र में अंतर्देशीय यात्री जल परिवहन प्रणाली को समय पर पूरा करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
28. डॉ. राजकुमार सांगवान द्वारा उत्तर प्रदेश के मेरठ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
29. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को लागू होनेवाले निबंधन और शर्तों के अनुसार ग्रीन फील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 744 के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

## अपराहन 2.04 बजे

### 11. वर्ष 2024-2025 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें - प्रथम बैच --- विचाराधीन

उपलब्ध समय : 4 घंटे  
लिया गया समय : 6 घंटे 6 मिनट

वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें – प्रथम बैच के बारे में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 1 से 8, 10, 11, 13 से 21, 23 से 38, 43 से 54, 56, 57, 60 से 62, 65, 66, 68, 69, 71, 73, 74, 76 से 79, 81, 83, 85 से 87, 89 से 95 और 97 से 102 के बारे में चर्चा प्रारंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री के.सी. वेणुगोपाल
2. डॉ. संजय जायसवाल
3. श्री लालजी वर्मा
4. प्रो. सौगत राय

5. तिरु डी.एम. कथीर आनंद
6. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी
7. श्री अनिल यशवंत देसाई
8. श्रीमती सुप्रिया सुले
9. श्री नरेश गणपत म्हस्के
10. श्री मनीश तिवारी
11. श्री पी.पी.चौधरी
12. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी
13. श्री सुधाकर सिंह
14. डॉ. एम.पी.अब्दुस्समद समदानी
15. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर
16. श्री सुब्बारायण के.
17. श्री राजा राम सिंह
18. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
19. श्री आनंद भदौरिया
20. सुश्री सयानी घोष
21. डॉ. के. सुधाकर
22. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी
23. श्री ईश्वरस्वामी के.
24. श्री जुगल किशोर
25. श्री श्रीभरत मधुकुमिली
26. श्री राजेश रंजन
27. एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्ज
28. श्री शशांक मणि
29. श्री राहुल कस्वां
30. श्री धर्मेन्द्र यादव
31. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील
32. श्री सी. एन. अन्नादुरई
33. श्री दुरई वाइको
34. श्री बिष्णु पद राय
35. प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़
36. श्री रविंद्र दत्ताराम वाइकर
37. एडवोकेट चन्द्र शेखर
38. श्री दर्शन सिंह चौधरी
39. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद
40. श्री जगदम्बिका पाल

- 41. डॉ. अमर सिंह
- 42. डॉ. निशिकान्त दुबे
- 43. श्री हनुमान बेनीवाल

चर्चा पूरी नहीं हुई।

**रात्रि 8.10 बजे**

*( लोक सभा मंगलवार, 17 दिसम्बर, 2024 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक  
के लिए स्थगित हुई।)*

**उत्पल कुमार सिंह  
महासचिव**

लोक सभा

-----

समाचार – भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

-----

मंगलवार, 17 दिसम्बर, 2024/ 26 अग्रहायण, 1946 (शक)

-----

संख्या 39

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा\*

माननीय अध्यक्ष ने सम्मानित अतिथि के रूप में भारत के दौरे पर आए आर्मेनिया गणराज्य की नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट माननीय श्री एलेन सिमोनियन और संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के स्वागत के बारे में घोषणा की और उन्हें सभा की ओर से शुभकामनाएं दीं।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 301 से 305 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 306 से 320 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3451 से 3680 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

---

\* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए, कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।



अपराहन 12.01 बजे

### 3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) रबर बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।  
(दो) रबर बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।  
(तीन) रबर बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।  
(दो) कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।  
(तीन) कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) (एक) इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट, सूरत के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट, सूरत के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, मुंबई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) केमेक्ससिल, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केमेक्सिल, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुंबई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- 8) (एक) कैपेक्सिल, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कैपेक्सिल, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9 ) (एक) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्चि के वर्ष 2023-2024 के

वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्चि के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) प्लेक्सकॉन्सिल, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) प्लेक्सकॉन्सिल, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) भारतीय मसाला बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय मसाला बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय मसाला बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13 ) (एक) एसईईपीजेड-एसईजेड प्राधिकरण, मुंबई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) एसईईपीजे-एसईजेड प्राधिकरण, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) खेल सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) खेल सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) चमड़ा निर्यात परिषद, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) चमड़ा निर्यात परिषद, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, कुरुक्षेत्र के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, कुरुक्षेत्र के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) राष्ट्रीय निर्यात बीमा लेखा न्यास, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा

## प्रतिवेदन।

- (दो) राष्ट्रीय निर्यात बीमा लेखा न्यास, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) निर्यात (गुणवत्ता, नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -
- (एक) निर्यात निरीक्षण परिषद कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 3 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1465 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) निर्यात निरीक्षण एजेंसी कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 3 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1466 में प्रकाशित हुए थे।
- (20) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) बाइसाइकिल - रेट्रो रिफ्लेक्टिव डिवाइस (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 जो दिनांक 18 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 4569(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (दो) वाणिज्यिक वितरण और वेंडिंग के लिए विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024, जो दिनांक 18 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 4568(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (तीन) खाद्य और पेय पदार्थों के कुकवेयर, यूटेंसिल्स और कैन्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024, जो दिनांक 14 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 4494(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (चार) क्रॉस रिसेस्ड स्कू (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 जो दिनांक 20

सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 4099(अ) में प्रकाशित हुआ था।

- (पांच) घरेलू, वाणिज्यिक और इसी प्रकार के विद्युत उपकरणों की सुरक्षा (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 जो दिनांक 20 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 4098(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (छह) हिन्ज (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 जो दिनांक 26 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2982(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (सात) बोल्ट, नट और फास्नर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 जो दिनांक 15 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2771(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (आठ) खिलौने (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024, जो दिनांक 1 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 4277(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (नौ) घरेलू उपयोग के इंसुलेटेड फ्लास्क, बोतलें और कंटेनर (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 जो दिनांक 30 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3705(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (दस) फ्लेम - प्रोजेक्टिंग लाइट्स (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 जो दिनांक 24 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 4230(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (ग्यारह) पेयजल बोतलें (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 जो दिनांक 30 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3702(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (बारह) एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम मिश्र धातु उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 जो दिनांक 28 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 4696(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (तेरह) घरेलू कपड़े धुलाई के विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024,

जो दिनांक 5 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 4815(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चौदह) जिप्सम आधारित भवन निर्माण सामग्री (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 जो दिनांक 25 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 5058(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(पंद्रह) वी-बेल्ट (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 जो दिनांक 12 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 4880(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(21) सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 33 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ. 3470(अ) जो दिनांक 14 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 16 अगस्त, 2024 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिससे समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम की क्रम संख्या 19 और अनुसूची में तत्संबंधी प्रविष्टियों से संबंधित उपबंध प्रवृत्त होंगे।

(दो) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (शास्तियों का अधिनिर्णयन) नियम, 2024 जो दिनांक 14 अगस्त, 2024 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 501(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(22) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2024 की धारा 40 की उप-धारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, हरियाणा अध्यादेश, 2024 जो दिनांक 3 दिसम्बर, 2024 की अधिसूचना संख्या एफ.सं. एनआईडीएच/जीए/06/05/22-23 में भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (ख) (एक) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (ग) (एक) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (घ) (एक) ईसीजीसी लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ईसीजीसी लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2024 का संख्या 9) - मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आयकर विभाग - राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर द्वारा 'डिस्टिलरी और ब्रेवरीज' के व्यवसाय में कार्यरत करने वाली कंपनियों के मूल्यांकन की जांच पर अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2024 का संख्यांक 10)-आयुध निर्माणियाँ-(अनुपालन लेखापरीक्षा-रक्षा)।
- (तीन) मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2024 का संख्यांक 11) (रक्षा सेवाएं-सेना) - अनुपालन लेखापरीक्षा-रक्षा।
- (चार) मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ (2024 का संख्यांक 13) सरकार (राजस्व विभाग -



- प्रत्यक्ष कर)।
- (पांच) मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2024 का संख्यांक 14) आयकर निर्धारितियों संबंधी बकाया मांग पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा-राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर।
- (छह) मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2024 का संख्यांक 15) - भारतीय वायु सेना, रक्षा सेवाएँ (वायु सेना) में पायलटों का प्रशिक्षण- (निष्पादन लेखापरीक्षा-रक्षा)।
- (सात) मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार-(2024 का संख्यांक 16)-रक्षा सेवाएँ (वायु सेना) - (अनुपालन लेखापरीक्षा-रक्षा)।
- (आठ) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2024 का संख्यांक 17)-निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु (ईपीसीजी) योजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा-राजस्व विभाग - अप्रत्यक्ष कर- सीमा शुल्क।
- (नौ) वर्ष 2023-2024 के लिए संघ सरकार (सिविल) के विनियोग लेखे।
- (दस) वर्ष 2023-2024 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखे।
- (2) प्रारूप अधिसूचना संख्या 3/4/2022-ईएम जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जानी है, तथा जिसके द्वारा यह निदेश दिया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं अधिनियम, 2019 की धारा 31 की उप-धारा (2) के अंतर्गत किसी अंतर्राष्ट्रीय सेवा केंद्र में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं या वित्तीय संस्थान, जैसा भी मामला हो, पर पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 25 लागू नहीं होगी, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) संविधान के अनुच्छेद 338क की धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।
- (दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर)ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) एम.पी. स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एम.पी. स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (2) उपर्युक्त मद संख्या (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) राष्ट्रीय कृषक कल्याण कार्यक्रम क्रियान्वयन सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (4) (एक) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) लक्षद्वीप मूल्य वर्धित कर विनियम, 2022 की धारा 114 के अंतर्गत दिनांक 13 दिसंबर, 2022 के लक्षद्वीप के असाधारण राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 101/01/2022-पीएसएंडटी (वैट) में प्रकाशित लक्षद्वीप मूल्य वर्धित कर नियम, 2022 की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) लक्षद्वीप सहकारी समितियां विनियम, 2022 की धारा 139 की उप-धारा (2) के अंतर्गत दिनांक 8 नवंबर, 2023 को लक्षद्वीप के असाधारण राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 41/4/2022-काँप में प्रकाशित लक्षद्वीप सहकारी समितियां नियम, 2023 की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
  - (एक) गृह मंत्रालय सशस्त्र सीमा बल, समूह 'ख' युद्धक आर्मर काडर पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 12 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 137 में प्रकाशित हुए थे।
  - (दो) गृह मंत्रालय सशस्त्र सीमा बल, समूह 'ख' युद्धक आर्मर काडर पद भर्ती नियम, 2012 जो 14 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 357 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (2) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल.वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2024-2025 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (एससीडब्ल्यूएफ), नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) राष्ट्रीय मानसिक पुनर्वास संस्थान, सीहोर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय मानसिक पुनर्वास संस्थान, सीहोर के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (क) (एक) हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (ख) (एक) एचएमटी लिमिटेड, बंगलुरु और उसकी अनुषंगी कंपनियों के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) एचएमटी लिमिटेड, बंगलुरु और उसकी सहायक अनुषंगी कंपनियों का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (ग) (एक) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की

टिप्पणियाँ।

- (घ) (एक) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (2) (एक) तरल पदार्थ अनुसंधान संस्थान, पलक्कड़ के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) तरल पदार्थ अनुसंधान संस्थान, पलक्कड़ के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 से 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे
- (दो) राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 से 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोले) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर

## लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (2) नेशनल फेडरेशन ऑफ कॉपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जॉर्ज कुरियन) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबित्रा मार्गेरिता) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (4) (एक) सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्सटाइल्स एंड मैनेजमेंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्सटाइल्स एंड मैनेजमेंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, भदोही के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, भदोही के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) अहमदाबाद टेक्सटाइल्स रिसर्च इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन्स, अहमदाबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अहमदाबाद टेक्सटाइल्स रिसर्च इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन्स, अहमदाबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।



- (8) (एक) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (क) (एक) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (ख) (एक) राष्ट्रीय जूट निर्माता निगम लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।
- (दो) राष्ट्रीय जूट निर्माता निगम लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (11) उपरोक्त (10) की मद संख्या (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

## 5. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

प्रो. सौगत राय ने लोक लेखा समिति (2024-25) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) 'पहुंच मार्गों का कार्य पूरा न होने के कारण पूंजी अवरूद्ध होना: मध्य रेलवे' विषय के बारे में लोक लेखा समिति के 93वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।
- (2) 'किराए का कम निर्धारण' विषय के बारे में लोक लेखा समिति के 120वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी छठा प्रतिवेदन।
- (3) 'एक अतिरिक्त सीएनसी क्षैतिज बोरिंग और मिलिंग मशीन की अविवेकपूर्ण खरीद : पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स' विषय के बारे में लोक लेखा समिति के 96वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सातवां प्रतिवेदन।
- (4) 'खुली पहुंच के माध्यम से बिजली खरीद करार को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण अतिरिक्त व्यय : पश्चिम मध्य रेलवे' विषय के बारे में लोक लेखा समिति के 99वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी आठवां प्रतिवेदन।
- (5) 'अतिरिक्त मालभाड़ा अर्जित करने के अवसर को खोना और ढुलाई पर अतिरिक्त व्यय : दक्षिण पश्चिम रेलवे' विषय के बारे में लोक लेखा समिति के 102वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

## 6. कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री चरनजीत सिंह चन्नी ने कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-25) के बारे में पहला प्रतिवेदन।
- (2) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-25) के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।
- (3) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (मत्स्यपालन विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-25) के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।
- (4) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-25) के बारे में चौथा प्रतिवेदन।
- (5) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-25) के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।
- (6) सहकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-25) के बारे में छठा प्रतिवेदन।

## 7. रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राधा मोहन सिंह ने रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक बल, रक्षा सम्पदा संगठन, सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रम, भूतपूर्व सैनिक कल्याण और रक्षा पेंशन (मांग सं. 19 और 22)' के बारे में वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का पहला प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा)।
- (2) 'थल सेना, नौ सेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (मांग सं. 20 और 21) के बारे में वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का दूसरा प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा)।
- (3) 'रक्षा सेवाओं, खरीद नीति और रक्षा आयोजना संबंधी पूंजीगत परिव्यय (मांग सं. 21)' के बारे में वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा)।
- (4) 'आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) – नए डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (मांग सं. 20 और 21)' के बारे में वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का चौथा प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा)।
- (5) 'रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के कार्यकरण की समीक्षा' विषय के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 42वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पांचवां प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा)।
- (6) 'देश में जिला सैनिक बोर्डों के कार्यकरण की समीक्षा' विषय के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 47वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी छठा प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा)।

-----

## 8. ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका ने ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के माध्यम से ग्रामीण रोजगार – मजदूरी दर और अन्य संबंधित मामलों संबंधी जानकारी' (2023-24) के बारे में ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित चौथा प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

## 9. सरकारी विधेयक -पुर:स्थापित

एक) संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024

दो) संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024

निम्नलिखित सदस्यों ने विधेयकों की पुर:स्थापना का विरोध करते हुए संक्षिप्त वक्तव्य दिया और माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा :

1. श्री मनीश तिवारी
2. श्री धर्मेन्द्र यादव
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री टी. आर. बालू
5. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर
6. श्री अनिल यशवंत देसाई
7. श्री गौरव गोगोई
8. श्री असादुद्दीन ओवैसी
9. श्री अमरा राम
10. श्रीमती सुप्रिया सुले
11. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन

#डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी और डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने भी विधेयकों के पक्ष में अपनी बात रखी।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिये।

(एक) संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024

प्रस्ताव पर सभा में मत-विभाजन हुआ : पक्ष में 263; विपक्ष में 198 मत पड़े। तदनुसार, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर: स्थापित किया गया।

---

# ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री

(दो) संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

(लोकसभा अपराह्न 1.54 बजे स्थगित हुई और  
अपराह्न 3.00 बजे पुनः समवेत हुई)

## अपराहन 3.00 बजे

### 10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे :-

1. श्री विजय बघेल द्वारा जैव-उर्वरकों में जिलेटिन आधार के उपयोग के बारे में।
2. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा कटरा/माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन तक ट्रेनों की सेवाओं का विस्तार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. डॉ. निशिकान्त दुबे द्वारा झारखंड में प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़े जाने वाले सर्किट के विकास के लिए व्यापक योजना बनाए जाने तथा साथ ही राज्य के देवघर में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट का निर्माण कार्य पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड के गढ़वा जिले में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्री योगेन्द्र चांदोलिया द्वारा दिल्ली के रोहिणी स्थित हेलीपैड को केएमपी एक्सप्रेसवे से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री परिमल शुक्लबैद्य द्वारा असम के सिल्चर और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. श्री मनीष जायसवाल द्वारा झारखंड के हजारीबाग में एम्स की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
8. श्री जुगल किशोर द्वारा ऋषिकेश-जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन की सेवाएं बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

9. श्री दामोदर अग्रवाल द्वारा पीएम मित्र योजना के अंतर्गत राजस्थान के भीलवाड़ा में एक टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
10. श्री काली चरण सिंह द्वारा झारखंड के चतरा जिला मुख्यालय को रेलमार्ग से जोड़े जाने के बारे में।
11. श्री भरतसिंहजी शंकरजी डाभी द्वारा गुजरात में राधनपुर से पाटन तक चार लेन सड़क का निर्माण किए जाने के बारे में।
12. डॉ. सी. एम. रमेश द्वारा आंध्र प्रदेश में मुतयालम्मापलेम समुद्र तट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
13. श्री राजपालसिंह महेंद्रसिंह जादव द्वारा गुजरात के पंचमहल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-18 (अहमदाबाद-इंदौर) पर एक टोल बूथ को हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
14. श्री राहुल कस्वां द्वारा राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
15. मोहम्मद रकिबुल हुसैन द्वारा असम की चुटिया, कोच-राजबंशी, मोरन, मोटाक और ताई-अहोम जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता।
16. श्री राजमोहन उन्नीथन द्वारा केरल के कासरगोड में एंडोसल्फान पीड़ितों के लिए 'सहा जीवनम् स्नेह ग्रामम्' केंद्र को पुनर्वास केंद्र के रूप में पूरी तरह से संचालित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
17. श्री मुरारी लाल मीना द्वारा राजस्थान के दौसा में स्थित केन्द्रीय विद्यालय में उच्चतर माध्यमिक कक्षाएं शुरू किए जाने तथा विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक अतिरिक्त सेक्शन बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
18. श्री गौरव गोगोई द्वारा दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में प्रदूषण के कारण उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
19. श्री वी. के. श्रीकंदन द्वारा केरल में कल्लदीकोडे के निकट पनयमपदम मोड़ पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 966 पर बारंबार होने वाली दुर्घटनाओं के कारण उत्पन्न स्थिति का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
20. श्री बाबू सिंह कुशवाहा द्वारा उत्तर प्रदेश के जौनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के गांवों को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत मुख्य सड़क से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।
21. श्री लालजी वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरनगर जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
22. श्री खलीलुर रहमान द्वारा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण लोगों को हो रही समस्याओं के बारे में।

23. श्री सी. एन. अन्नादुरई द्वारा तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क की अनुपलब्धता के बारे में।
24. श्री जी. एम. हरीश बालयोगी द्वारा आंध्र प्रदेश में 'सभी के लिए शिक्षा' को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
25. श्री संजय दीना पाटिल द्वारा ट्रेनों में सामान्य एवं शयनयान श्रेणी के डिब्बों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
26. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी द्वारा देश में युवा लोगों की मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए व्यापक वैज्ञानिक और अनुसंधान उन्मुख अध्ययन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
27. श्री सुधाकर सिंह द्वारा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रतिकर नीति की समीक्षा एवं संशोधन किए जाने के बारे में।
28. श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा राजस्थान में एसडीआरएफ मानदंडों में संशोधन के बारे में।
29. श्री राजकुमार रोट द्वारा 'भील प्रदेश' का गठन किए जाने के बारे में।

### अपराहन 3.00 बजे

### 11. वर्ष 2024-2025 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें - प्रथम बैच -- पारित

उपलब्ध समय : 4 घंटे  
लिया गया समय : 7 घंटे 20 मिनट

वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें – प्रथम बैच के बारे में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 1 से 8, 10, 11, 13 से 21, 23 से 38, 43 से 54, 56, 57, 60 से 62, 65, 66, 68, 69, 71, 73, 74, 76 से 79, 81, 83, 85 से 87, 89 से 95 और 97 से 102 के बारे में आगे चर्चा जारी रही।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें- प्रथम बैच की मुद्रित सूची के कॉलम 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए अनुदानों की सभी अनुपूरक मांग संख्या 1 से 8, 10, 11, 13 से 21, 23 से 38, 43 से 54, 56, 57, 60 से 62, 65, 66, 68, 69, 71, 73, 74, 76 से 79, 81, 83, 85 से 87, 89 से 95 और 97 से 102 (दोनों राजस्व लेखा और पूंजी लेखा) पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

12. **सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित**

*विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2024*

13. **सरकारी विधेयक - पारित**

*विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2024*

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार लिया गया।

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव किया गया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

**अपराहन 4.14 बजे**

**14. सरकारी विधेयक – विचाराधीन**

*गोवा राज्य, सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का  
पुनःसमायोजन विधेयक, 2024*

आवंटित समय : 2 घंटे  
लिया गया समय : 1 घंटा 47 मिनट

श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

1. श्री कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस
2. श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल
3. श्री छोटेलाल
4. श्रीमती प्रतिमा मण्डल
5. तिरु डी. एम. कथीर आनंद
6. श्री जी. लक्ष्मीनारायण
7. डॉ. आलोक कुमार सुमन
8. श्रीमती सुप्रिया सुले



9. डॉ. किरसान नामदेव
10. श्री तापिर गाव
11. श्री नरेश गणपत म्हस्के
12. श्री राजू बिष्ट
13. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी
14. श्री सुधाकर सिंह

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.01 बजे

*(लोक सभा बुधवार, 18 दिसम्बर, 2024 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक  
के लिए स्थगित हुई।)*

उत्पल कुमार सिंह  
महासचिव

## लोक सभा

-----

### समाचार – भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

-----

बुधवार, 18 दिसम्बर, 2024/ 27 अग्रहायण, 1946 (शक)

-----

संख्या 40

पूर्वाह्न 11.00 बजे

#### 1. प्रश्न

व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिए जा सके। अतः आज की कार्यसूची में शामिल तारांकित प्रश्न संख्या 321 से 340 अतारांकित माने गए और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 3681 से 3910 के उत्तरों के साथ आज की अधिकारिक रिपोर्ट में मुद्रित किए जाएंगे।

(व्यवधान के कारण, लोकसभा पूर्वाह्न 11.02 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 2.00 बजे

#### 2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, गादंकी के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, गादंकी के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केंद्र, फरीदाबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र, फरीदाबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद, नई दिल्ली के 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, शिलांग के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, शिलांग के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) मौलिक विज्ञान प्रकर्ष केंद्र, मुंबई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मौलिक विज्ञान प्रकर्ष केंद्र, मुंबई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति

- (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भौतिकी संस्थान, भुबनेश्वर के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बंगलुरु का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार); तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत चौधरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुरुग्राम के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुरुग्राम के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) वर्ष 2023-2024 के लिए लोक उद्यम सर्वेक्षण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7(1) और 7(3)(ख) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम छमाही के अंत में बजट से संबंधित प्राप्ति और व्यय

की प्रवृत्तियों की छमाही समीक्षा संबंधी विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा सरकार के दायित्वों को पूरा करने में हुए विचलन का वर्णन करने वाला विवरण।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले) की ओर से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (2) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. सोमना ) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
  - (एक) डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
  - (दो) डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (2) (एक) गति शक्ति विश्वविद्यालय, वडोदरा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) गति शक्ति विश्वविद्यालय, वडोदरा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
  - (एक) सदस्य (चयन और नियुक्ति) संशोधन नियम, 2024, जो दिनांक 9 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 755(अ) में प्रकाशित हुए थे।
  - (दो) स्वतंत्र सदस्य (चयन और नियुक्ति) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 9 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 756(अ) में प्रकाशित हुए

थे।

(तीन) उपाध्यक्ष (चयन एवं नियुक्ति) संशोधन नियम, 2024, जो दिनांक 9 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 757(अ) में प्रकाशित हुए थे।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी) की ओर से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे :-

- (1) (एक) इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।  
(दो) इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (2) (एक) भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।  
(दो) भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।  
(दो) उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एल. मुरुगन) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश चंद्र दुबे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (ख) (एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (ग) (एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड्स का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की

टिप्पणियाँ।

- (2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास एवं अभिकल्प केन्द्र, नागपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास एवं अभिकल्प केन्द्र, नागपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ. 4561(अ) जो दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा "श्रेणी 'क' अन्वेषण एजेंसियों" के अंतर्गत मेसर्स एनवायरोग्रीन कंसल्टेंट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है।
- (दो) का.आ. 5066(अ) जो दिनांक 26 नवंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा "श्रेणी 'क' अन्वेषण एजेंसियों" के अंतर्गत मेसर्स एपीसी ड्रिलिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स वरदान एनवायरनेट एलएलपी को अधिसूचित किया गया है।
- (तीन) का.आ. 5069(अ) जो दिनांक 26 नवंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा "श्रेणी 'क' अन्वेषण एजेंसियों" के अंतर्गत सिनर्जी जियोटेक प्राइवेट लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है।
- (7) अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 35 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-



- (एक) का.आ. 4819(अ) जो दिनांक 6 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि इसमें उल्लिखित सीमा बिन्दुओं के निर्देशांकों के साथ अपतटीय क्षेत्र के भाग समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए उपलब्ध होंगे।
- (दो) का.आ. 4760(अ) जो दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 की प्रथम अनुसूची में, उसमें उल्लिखित कतिपय संशोधन किए गए हैं।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुकान्त मजूमदार) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (ख) (एक) पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

### 3. प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन

डॉ. राजकुमार सांगवान ने प्राक्कलन समिति (2024-25) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित 'सोलर पार्कों का विकास और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन – एक समीक्षा' विषय के बारे में समिति के 31वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पहला प्रतिवेदन।
- (2) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यान्वयन के संबंध में राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) के कार्य निष्पादन की समीक्षा' विषय के बारे में समिति के 32वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।
- (3) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) के तहत हरित राजमार्ग सहित विभिन्न परियोजनाओं का आंकलन' विषय के बारे में समिति के 33वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।
- (4) रेल मंत्रालय से संबंधित 'अमृत भारत स्टेशन योजना की प्रगति' विषय के बारे में समिति के 35वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौथा प्रतिवेदन।
- (5) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित 'प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पीएम मित्रा) पार्क योजना के माध्यम से सशक्तिकरण और रूग्ण वस्त्र इकाइयां/पीएसयू (बीआईसी, एनटीसी, सीटीएल आदि) के पुनरूद्धार प्रयास' विषय के बारे में समिति के 37वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।

#### 4. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री तारिक अनवर ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (अठारहवीं लोक सभा) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) वर्ष 2021 के प्रतिवेदन संख्यांक 03 के लेखापरीक्षा पैरा संख्या 6.1 पर आधारित 'राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवाएं इंक (एनआईसीएसआई) से संबंधित सामरिक गठबंधन के माध्यम से 890.34 करोड़ रूपए की राशि की हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर मद की खरीद' विषय के बारे में पहला प्रतिवेदन।
- (2) 'भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल)' विषय के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।
- (3) वर्ष 2021 के प्रतिवेदन संख्यांक 14 के लेखापरीक्षा पैरा संख्या 2.1 पर आधारित इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) से संबंधित 'उपभोक्ता से टर्नओवर की वसूली के माध्यम से अनुचित उगाही' विषय के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।
- (4) एनएमडीसी लिमिटेड के प्रचालनात्मक कार्य निष्पादन से संबंधित वर्ष 2019 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्यांक 5 पर आधारित 'एनएमडीसी लिमिटेड' के बारे में 18वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी चौथा प्रतिवेदन।
- (5) 'भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी)' विषय के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।
- (6) 'भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)' विषय के बारे में छठा प्रतिवेदन।
- (7) वर्ष 2021 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्यांक 14 के लेखापरीक्षा पैरा संख्या 6.1 पर आधारित 'हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) से संबंधित तांबा अयस्क टेलिंग्स परिष्करण संयंत्र के प्रति निष्फल व्यय' के बारे में 22वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी सातवां प्रतिवेदन।
- (8) 'ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल)' के बारे में 21वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

## 5. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के विवरण

श्री तारिक अनवर ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) 'न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईएसीएल) के संबंध में अविवेकपूर्ण हामीदारी और समुचित जोखिम आंकलन न किए जाने के कारण क्षति (वर्ष 2019 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्यांक 13 के पैरा 3.2 पर आधारित)' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के नौवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 16वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।
- (2) 'इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) से संबंधित समाप्त परियोजनाओं में ऋण की अवधि बढ़ाये जाने के कारण होने वाली परिहार्य हानि (वर्ष 2020 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्यांक 18 के पैरा 5.2 पर आधारित)' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 17वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 20वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।
- (3) 'इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) से संबंधित सड़क परियोजनाओं के ऋणों की समीक्षा (वर्ष 2020 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्यांक 18 के पैरा 5.1 पर आधारित)' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 19वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 23वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

## 6. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री धमेन्द्र यादव ने लोक लेखा समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) 'आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग की कार्य निष्पादन संपरीक्षा' के बारे में लोक लेखा समिति के 38वें की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 64वां प्रतिवेदन।

- (2) 'प्राथमिक शिक्षा को पोषणात्मक सहयोग के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना)' के बारे में लोक लेखा समिति के 9वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) संबंधी 28वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (3) 'आधिक्य भुगतान में परिणत होने वाले दावों की नगण्य संवीक्षा' के बारे में लोक लेखा समिति के 41वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 73वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (4) 'संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स)' के बारे में 55वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 31वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (5) 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के गैर-चयनित लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर की-गई-कार्रवाई टिप्पणी को समय से प्रस्तुत किए जाने में मंत्रालयों द्वारा गैर अनुपालन' के बारे में पहले प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 56वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (6) 'जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)' के बारे में 18वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 57वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (7) 'इंदिरा आवास योजना' के बारे में 43वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 76वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (8) "सेंटर बफर कपलर (सीबीसी) घटकों की विफलता के कारण ट्रेन पार्टिंग के लिए हानि" के बारे में 41वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 80वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (9) 'भारतीय रेल में खाली भूमि का प्रबंधन' के बारे में समिति के 93वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 108वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (10) 'विनियंत्रित फॉस्फेटिक और पोटैसिक उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित राजसहायता नीति' के बारे में 65वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 111वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

- (11) 'रक्षा संपदा प्रबंधन' के बारे में समिति के 89वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 113वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

## **7. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

डॉ. निशिकान्त दुबे ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित 'डाक विभाग – पहले और चुनौतियां (2023-24)' के बारे में समिति के 57वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पहला प्रतिवेदन।
- (2) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।
- (3) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।
- (4) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में चौथा प्रतिवेदन।
- (5) संचार मंत्रालय (दूर संचार विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।

## **8. सामाजिक न्याय और अधिकारता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री गोडम नागेश ने सामाजिक न्याय और अधिकारता संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) सामाजिक न्याय और अधिकारता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारता विभाग) की 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारता संबंधी स्थायी समिति (2024-25) (18वीं लोक सभा) का पहला प्रतिवेदन।
- (2) सामाजिक न्याय और अधिकारता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) की 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारता संबंधी स्थायी समिति (2024-25) (18वीं लोक सभा) का दूसरा प्रतिवेदन।

- (3) जनजातीय कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारता संबंधी स्थायी समिति (2024-25) (18वीं लोक सभा) का तीसरा प्रतिवेदन।
- (4) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारता संबंधी स्थायी समिति (2024-25) (18वीं लोक सभा) का चौथा प्रतिवेदन।

## 9. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (एक) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह) ने (एक) 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान' के बारे में श्री राजेश वर्मा, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2744 के 07.08.2024 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण बताने वाला वक्तव्य दिया।
- (दो) विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित 'भारत में पवन ऊर्जा का मूल्यांकन' के बारे में ऊर्जा संबंधी समिति के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य दिया।
- (तीन) सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरुगन) ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के कार्यकरण की समीक्षा' के बारे में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति के 47वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य दिया।

**अपराहन 2.08 बजे**

## 10. नियम 377 के अधीन मामले

1. श्री अनुराग शर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और झांसी में निरामया योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांग व्यक्तियों के पंजीकरण हेतु आउटरीच कार्यक्रमों को परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्री प्रवीण पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एसएआई केन्द्रों और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री मुकेश राजपूत द्वारा उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक नया केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा देश में बुजुर्ग लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्री दर्शन सिंह चौधरी द्वारा नर्मदा नदी को 'जीवंत नदी' का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री अरुण कुमार सागर द्वारा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बिजली संयंत्र, उर्वरक और चीनी कारखानों के कारण होने वाले जल प्रदूषण की जांच किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. श्री जय प्रकाश द्वारा हरदोई रेलवे स्टेशन और रींगस जंक्शन रेलवे स्टेशन के बीच सीधी ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
8. डॉ. संजय जायसवाल द्वारा बिहार में गंडक नदी के तटबंधों को मजबूत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
9. श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश में बिलग्राम-मल्लावां मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने और उसे विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
10. श्रीमती भारती पारधी द्वारा महाराष्ट्र की सीमा से लगे बालाघाट, सिवनी एवं अन्य क्षेत्रों में नहर प्रणाली के पुनरुद्धार के बारे में।
11. श्री विजय कुमार दूबे द्वारा कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से मुंबई, जम्मू, सूरत और



खाड़ी देशों के लिए उड़ान सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

12. श्री भर्तृहरि महताब द्वारा ओडिशा को आलू और अन्य सब्जियों की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
13. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश द्वारा महाराष्ट्र के मालेगांव में नासिक मर्चेट को-ऑपरेटिव बैंक (नामको बैंक) में कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
14. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले द्वारा सॉवरेन गोल्ड बांड योजना की स्थिति के बारे में।
15. डॉ. अमर सिंह द्वारा गेहूं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
16. श्री रॉबर्ट ब्रूस सी. द्वारा तिरुनेलवेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीड़ी श्रमिकों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का समाधान किए जाने और उनकी पेंशन बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
17. श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा केरल के मावेलीक्करा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं स्थापित किए जाने और पर्याप्त संख्या में एटीएम लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
18. श्री राजीव राय द्वारा केन्द्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों में स्थायी आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
19. श्री धर्मेन्द्र यादव द्वारा प्रस्तावित वाराणसी-आजमगढ़-गोरखपुर नई रेलवे लाइन का निर्माण शुरू किए जाने तथा मझवा रेलवे स्टेशन के आसपास ओवर ब्रिज का निर्माण भी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
20. प्रो. सौगत राय द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
21. श्री सेल्वागणपति टी. एम. द्वारा परिवहन क्षेत्र में ऐप आधारित कंपनियों से जुड़े मालिक-सह-चालकों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
22. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि द्वारा तमिलनाडु में स्थापित की जाने वाली सेमी-कंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23. श्रीमती लवली आनंद द्वारा बिहार के शिवहर जिले में उद्योग स्थापित किए जाने के बारे में।
24. श्री सुदामा प्रसाद द्वारा उत्तर प्रदेश में शारदा सहायक परियोजना के कारण विस्थापित हुए लोगों की आजीविका एवं मुआवजे के बारे में।
25. श्री के. राधाकृष्णन द्वारा केरल में शोरानूर रेलवे मेल सेवा कार्यालय में एक इंटरा सर्किल हब स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
26. श्री राजेश रंजन द्वारा डीएपी और यूरिया की कमी के बारे में।

## **अपराहन 2.09 बजे**

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा गुरुवार, 19 दिसम्बर, 2024 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**उत्पल कुमार सिंह  
महासचिव**

लोक सभा

-----

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

-----

गुरुवार, 19 दिसम्बर, 2024/ 28 अग्रहायण, 1946 (शक)

-----

संख्या 41

पूर्वाह्न 11.00 बजे

**1. निधन संबंधी उल्लेख**

अध्यक्ष ने चौदहवीं लोक सभा के सदस्य श्री ई. वी. के. एस. एलंगोवन के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहे।

**2. प्रश्न**

व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिए जा सके। अतः आज की कार्यसूची में शामिल तारांकित प्रश्न संख्या 341 से 360 अतारांकित माने गए और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 3911 से 4140 के उत्तरों के साथ आज की अधिकारिक रिपोर्ट में मुद्रित किए जाएंगे।

*(व्यवधान के कारण, लोकसभा पूर्वाह्न 11.03 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)*

**अपराह्न 2.01 बजे**

*(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

उत्पल कुमार सिंह  
महासचिव

लोक सभा

-----

समाचार – भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

-----

शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024/ 29 अग्रहायण, 1946 (शक)

-----

संख्या 42

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. संयुक्त समिति को सौंपे जाने के लिए विधेयक - प्रस्ताव स्वीकृत

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया :

“कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक तथा संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को इस सभा के निम्नलिखित 27 सदस्यों :-

1. श्री पी.पी. चौधरी
2. डॉ. सी.एम. रमेश
3. सुश्री बाँसुरी स्वराज
4. श्री परषोत्तमभाई रुपाला
5. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
6. श्री विष्णु दयाल राम
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. डॉ. संबित पात्रा
9. श्री अनिल बलूनी
10. श्री विष्णु दत्त शर्मा

संविधान (129वां संशोधन)  
विधेयक, 2024 तथा संघ  
राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन)  
विधेयक, 2024.

11. श्री बैजयंत पांडा
12. डॉ. संजय जायसवाल
13. श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा
14. श्री मनीश तिवारी
15. श्री सुखदेव भगत
16. श्री धर्मेन्द्र यादव
17. श्री छोटेलाल
18. श्री कल्याण बनर्जी
19. श्री टी. एम. सेल्वागणपति
20. श्री जी.एम. हरीश बालयोगी
21. श्री अनिल यशवंत देसाई
22. श्रीमती सुप्रिया सुले
23. डॉ.श्रीकांत एकनाथ शिंदे
24. श्रीमती शांभवी
25. श्री के.राधाकृष्णन
26. श्री चंदन चौहान
27. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी

और राज्य सभा के 12 सदस्यों वाली संयुक्त समिति को सौंपा जाए ;

यह कि संयुक्त समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई होगी;

यह कि समिति अगले सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिवस तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी;

यह कि अन्य मामलों में, संसदीय समितियों के बारे में इस सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम ऐसे परिवर्तनों और आशोधनों के साथ लागू होंगे, जैसा कि अध्यक्ष महोदय निर्धारित करें; और

यह कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।”

सौंपे जाने से संबंधित प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

## 2. प्रश्न

चूंकि विधेयकों को संयुक्त समिति को सौंपे जाने के प्रस्ताव के पश्चात सभा स्थगित हो गई, अतः तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिए जा सके। अतः आज की कार्य-सूची में शामिल तारांकित प्रश्न संख्या 361 से 380 अतारांकित माने गए तथा उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 4141 से 4370 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

## पूर्वाह्न 11.02 बजे

### 3. राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

## पूर्वाह्न 11.03 बजे

*(लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।)*

उत्पल कुमार सिंह  
महासचिव